

REPORT OF JOINT COMMITTEE IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 28.01.2022 OF HON'BLE NGT, PRINCIPAL BENCH NEW DELHI IN THE MATTER OF OA NO. 462 Of 2021 (DASHRATH SINGH PARIHAR V/s STATE OF MADHYA PRADESH)

Date of inspection: 28.02.2022



Index

Sr.No.	Descriptions	Annexure
1.	ATTENDANCE SHEET OF COMMITTEE MEMBER	1
2.	ATTENDANCE SHEET APPLICANT & OTHERS	2
3.	ILLEGAL MINING PROGRESS OF LAST 10 YEARS	3
4.	PHOTOS TAKEN BY DRONE	4
5.	ACTION TAKEN BY THE FOREST DEPARTMENT	5
6.	NEWS REPORTING IN MEDIA	6



1.0 PREAMBLE

Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi passed an order in the matter of Dashrath Singh Parihar V/s State of Madhya Prades [O.A. No. 462 of 2021] on 28th January, 2022 regarding illegal stone mining in forest area of Mohangarh, Khairona Beet, Forest Division of Distt. Shivpuri, Madhya Pradesh based on Grievance in the application filed by the applicant Mr. Dashrath Singh Parihar.

2.0 CONSTITUTION OF FIVE MEMBER COMMITTEE

The hon'ble NGT vide order dated 28th January, 2022 asked for factual position in the matter through a joint committee of State PCB, Mines and Geological Department, State of Madhya Pradesh, Regional Office of MoEF&CC at Bhopal, DFO-Shivpuri (Madhya Pradesh) and District Magistrate- Shivpuri (Madhya Pradesh) to look into the grievance in this application.

The order states that-“The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The joint Committee may meet within one month and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months before the Ld. Registrar, General, National Green Tribunal, Principal Bench at New Delhi.”

3.0 MEMBERS OF THE COMMITTEE:

In compliance to the order of the Hon'ble NGT, five member committee constituted with following members-


01	Smt. Meena Kumari Mishra, IFS DFO Shivpuri	Member
02	Shri Ganesh Jaiswal, Deputy Collector Representative of collector Shivpuri	Member
03	Shri Anoop Mishra, Deputy Director Geology and Mining Sub office Gwalior	Member
04	Shri Vishwa bandhu Meena, Scientist 'C', MoEF& CC,Regional Office, Bhopal	Member
05	Shri D. V. S. Jatav, Regional Officer, MPPCB, Vijaypur- Guna	Member and Nodal Officer



4.0 APPROACH

The committee adopted following approach:-

1. Meeting among the members and meeting/information sharing of concerned departments i.e. Forest department.
2. Site and surrounding visits
3. Grievance hearing of applicant during the visit
4. Report preparation based on the above

5.0 LOCATION





6.0 ISSUES RAISED BY THE APPLICANT

- A. Illegal Flag stone mining is carried out in forest area of Sub range of Mohangadh, Khairona Beat, Forest Division of Distt. Shivpuri in Madhya Pradesh. Forest division itself is unable to prevent such mining in Reserve Forest area causing damage to environment.
- B. 2000 trees have been rooted out along with tree stem by the mining mafia.

7.0 OBSERVATIONS OF THE COMMITTEE

The committee visited the location on 28.02.2022 to find the factual status of the grievances along with the applicant. Various locations were inspected

(a) Location 1- Arjungawan beat compartment no. 60, near the temple



It is observed that mining in the above said location has been undertaken in the past. There are three small pits generated due to the mining. The complainant informs that illegal mining has been stopped since monsoon -2021. The complainant further added that the mining operation in the forest area was stopped due to the news publication regarding illegal mining.

(b) Location 2- Khairona beat compartment no. RF 53,



At the above location it was noted that mining has been undertaken and over burden was found near the location. It was informed that plantation was done around 3 years ago at the said location. Rain water has accumulated in the pit due to the illegal mining.

The complainant stated that trees with roots & plant stem have been removed from the area. The committee observed that there are some tree/ Plant remains like Root and branches were fell near the location. However, the no. of trees i.e. 2000 Nos. as claimed by the complainant could not be verified.

(c) Location 3- Plantation location (Chamarhar)



The committee visited the location where the plantation was done by the forest department. It is observed that the mining operation was undertaken at a location within the plantation boundary area. It was informed by the forest

department that the plantation was undertaken for the gap filling in the area. The plants like sheesham and kher plants were planted. The plantation was done around 3 years ago.

(d) Location 4- RF-56 & RF 57 (Arjungawan- Khairona)



At this location the committee observed that illegal mining has been undertaken on big scale & Flagstone has been left at the location. Some of the over burden is found dumped in nearby area. The complainant informed that the mining dump is lying there since rainy season.

During the visit, a local resident Shri Dalveer Gurjar Vill majhera, Teh.& Distt. Shivpuri informed that the illegal mining operation was undertaken by the local 4 villages (Arjungawan, Mohangarh, Khairona, Majhera).

8.0 ILLEGAL MINING PROGRESS OF LAST 10 YEARS:

The committee analyzed the google imagery and found out that the illegal mining operation was running from past many years. However, the illegal mining activities has increased in the recent years. The time elapse google imagery is enclosed at the annexure-3.

9.0 IMPACT OF THE ILLEGAL MINING:

(a) Due to the mining operations the over burden is found to be lying here & there.



(b) Rain water was found accumulated in the mining pits.



(c) The plantation is said to be destroyed in those areas where the mining was undertaken.




10.0 ACTION TAKEN BY THE FOREST DEPARTMENT:

The forest department informed that various actions has been undertaken to stop the illegal mining. The forest department furnished the relevant documents & reports. The same is enclosed as annexure-4.

11.0 CONCLUSION & SUGGESTIONS:

- (a) It is evident from the site visit that illegal mining has been undertaken in the past at above said locations.
- (b) The forest department should undertake strict & effective measures to stop the illegal mining like dug trenches to isolate illegal mining sites, regular and surprise raids/checks conducted jointly by security personnel and law and order authorities, installation of checks posts at vulnerable points.
- (c) The forest department may be directed to restore/ reclaimed the illegal mining area/ dumps.


Ganesh Jaiswal,
Joint Collector,
Distt. Shivpuri (M.P.)



Meena Kumari Mishra (IFS)
Shivpuri District forest officer
Distt. Shivpuri (M.P.)


Anoop Mishra,
Deputy Director
Geology and Mining Sub office
Gwalior (M.P.)


Vishwa bandhu Meena,
Scientist 'C'
MoEF & CC, Regional Office,
Bhopal (M.P.)


D.V.S. Jatav,
Regional Officer, MPPCB,
Vijaypur, Distt. Guna (M.P.)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसीपल बैठ, नई दिल्ली
द्वारा प्र.क्र 462/2021 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2022 के अनुपालन में जॉब दिनांक 28.02.2022 को
जॉब दल में शामिल अधिकारियों का उपस्थिति पत्रक

क्र	नाम	पद	विभाग का नाम	ई-मेल/मोबा. नंबर	हस्ताक्षर
1	गणेश जायसवाल डिप्टी कलेक्टर शिवपुरी	साधारण प्रशासन		94254863 64	
2	विश्व बन्धु मीणा	वैज्ञानिक बी	पर्यावरण, वन शुभ्र प्रसवार्थ परिवर्तन प्रकल्प देशीय कार्यालय भोपाल	8527202235	
3	एम.के. सिंह उपवन मंडलाधिकारी शिवपुरी	वन विभाग	वन विभाग	9479497564	
4	मीना कुमारी मिक्का	DFO, शिवपुरी	वन विभाग	9424794737	
5	अनूप मिक्का	ज्वालिय माईनिंग	कृषि उत्पन्न माईनिंग	94251 10763	
6	नेरम गुप्ता	वहमीकर	रक्षण	7747005270	
7	गोविन्द सिंह चौधरी डी.डी.	थाना प्रभारी	पुलिस	7600147100	

8 डी.व्ही. एल जायसवाल

म.प्र.प्र.प.प.प.
क्षेत्रीय अधिकारी
निर्देशन बॉर्ड
विजयपुर-उ.प्र.

9827332693




8	आर. पी. भदकारिका	खनि सुधकारी	खनिज विभाग	9926711041	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली
द्वारा प्र.क्र. 462/2021 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2022 के अनुपालन में जाँच दिनांक 28.02.2022 को
जाँच दल में शामिल अधिकारियों का उपरिथित पत्रक

क्र.	नाम	पद	विभाग का नाम	ई-मेल/मोबा. नंबर	हस्ताक्षर
1	दशरथ सिंह पारिवार	एग्रीकल्चरल ऑफिसर दूधगाय आर.ए.ए.	दूधगाय आर.ए.ए.	97155 34709	
2	उमेश कुमार प.अ. मालवप्रखंड	उपपंच संबंधित	वन विभाग	9575357179	
3	शिवशंकर शर्मा	वनरक्षक	वन विभाग	9993880886	
4	राजेश/राज	राजस्व अधीक्षक	राजस्व	9993621538	
5	महेन्द्र शर्मा	पारिवार	वा.प्र.०	9926858470	
6	अनिल कुमार शर्मा	वनरक्षक	वन विभाग	7967541577	
7	विजय नाथ	वनरक्षक	वन विभाग	9691978989	

8	नकुल शर्मा	वनरक्षक	वन विभाग	7415730773	
9	भारती बजायिया	उप वन विभाग	वन विभाग	9893641971	
10	सौरभ सिंह राजपूत	वनरक्षक	वन विभाग	7805090189	
11	रामर-यशप	वनरक्षक		6264084209	रामर-यशप
12	राजेश	वनरक्षक		977-992623	राजेश
13					
14					
15					




Mining

Cpmt-56
Year-2016




वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी



[Signature]
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

Mining

Cpmt-56
Year-2013




Google Earth


Mining

Cpmt-58
Year-2011





वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी



Mining

Cpmt-60
Year-2016

लेजेंड


Mining

Mining

Google Earth

200m

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी



Deena

वन मण्डलाधिकारी
प्रधान वन मण्डल सिविलरी

Mining

Cpmt-60
Year-2013



वन मंडल विहारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी



Deena

Mining

Cpmt-53 & 64
Year-2020-21



Mining

Cpmt-53 & 64
Year-2015-16



Google Earth

© 2015 Google

Deera

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

उत्पन्न कार्य मण्डलाधिकारी



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

उत्पन्न कार्य





कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

क्रमांक/1061

दिनांक/28/02/2022

प्रति

क्षेत्रीय अधिकारी
विजयपुर - गुना

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्र 462/2021 में दिनांक 28.01.2022 को पारित आदेश के अनुपालन बावत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र /2533 /क्षे.का./प्र.नि.वो./2022 विजयपुर दिनांक 21.02.2022।

—00—

विषयांकित विषय में लेख है कि वनमण्डल शिवपुरी (सा.) अंतर्गत वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) की सबरेंज मोहनगढ़ स्थित बीट खैरोना, अर्जुनगवां, बीट मझेरा एवं बीट बिरधा अंतर्गत अवैध फर्शी पत्थर व अवैध कटाई की रोकथाम हेतु वन विभाग द्वारा की कार्यवाही व उठाए गये कदमों का विवरण निम्नानुसार है :-

- 1- बीट खैरोना अर्जुनगवां, मझेरा, एवं बीट बिरधा अंतर्गत वर्ष 2010 से वर्ष 2021 तक कुल 220 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जो कि संलग्न है।
- 2- वन अमले द्वारा बरती गई लापरवाही के संबंध में संबंधित तत्कालीन पदस्थ शासकीय सेवकों पर कार्यवाही की गई जो इस प्रकार है :-


क्र	शासकीय सेवक का नाम	पद	पदस्थिति	की गई कार्यवाही
1	श्री भुवनेश कुमार योगी	वनक्षेत्रपाल	तत्कालीन प.अ. शिवपुरी	व.म.पत्र क्र 3489 दि.08.07.2020 से आरोप पत्र तैयार कर मु.व.स.वृत्त शिवपुरी को प्रेषित।
2	श्री आशीष समाधिया	उ.व.क्षे.	प.स.शिवपुरी	व.म.पत्र क्र 4039 दि.03.8.2021 से आरोप पत्र तैयार कर मु.व.स.वृत्त शिवपुरी को प्रेषित।
3	श्री अशोक कुमार गहलोत	उ.व.क्षे.	प.स.मोहनगढ़	व.म.पत्र क्र 4410 दि.17.8.2021 से आरोप पत्र तैयार कर मु.व.स.वृत्त शिवपुरी को प्रेषित।
4	श्री ब्रह्मान कोरकू	वनपाल	तत्कालीन प.स. मोहनगढ़	व.म.आदेश क्र 88/दि.21.2.19 से निलंबित किया गया।
5	श्री वीरेन्द्र रघुवंशी	वनपाल	तत्कालीन प.स. मोहनगढ़	व.म.आदेश क्र 220/दि.27.4.2020 से निलंबित किया गया।
6	श्री मुकेश श्रीवास्तव	वनरक्षक	तत्कालीन बीटगार्ड बिची	व.म.आदेश क्र 221/दि.27.4.2020 से निलंबित किया गया।

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

7	श्री रामअवतार शर्मा	—"—	तत्कालीनबीटगार्ड खैरोना	व.म.आदेश क्र 813/दि.18.12.2020 से निलंबित किया गया ।
8	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	—"—	तत्कालीन बीटगार्ड अर्जनगवां	व.म.आदेश क्र 812/दि.18.12.2020 से निलंबित किया गया ।
9	श्री कुणाल शर्मा	—"—	तत्कालीन बीटगार्ड खैरोना	व.म.आदेश क्र 621/दि.02.07.2021 से निलंबित किया गया ।

- 3- वनमण्डल स्तर पर दिनांक 06.08.2021 को उत्खनन रोकने हेतु विशेष दल का गठन किया गया जो मोहनगढ़ सबरेंज अंतर्गत दिन-रात व मुकाम व गश्ती कराई गई । जिससे अवैध उत्खनन व वन अपराधों पर पर्याप्त नियंत्रण हुआ । पत्र संलग्न है ।
- 4- अद्योहस्ताक्षरकर्ता निर्देशन में वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत सबरेंज मोहनगढ़ अंतर्गत संवेदनशील उत्खनन की दृष्टि वन मार्गों को गहरी खाई खोद कर अवरोधित किया गया ,एवं पूर्व के वर्षों में हुए उत्खनित गड्डो को मलवे से भरा गया । जिससे अवैध उत्खनन पर पूर्णतः अंकुश लगाने में सफल रहे । परिक्षेत्र अधिकारी पालन प्रतिवेदन संलग्न ।
- 5- वन मण्डल अंतर्गत संवेदनशील बीट अंतर्गत वृत्त स्तरीय उडनदस्ता एवं वनमण्डल स्तरीय उडनदस्ता व वन चौकी के वाहनों से दल द्वारा रात्रि गश्ती की जाती है । जिससे वन अपराधों पर पर्याप्त नियंत्रण हुआ है ।
- 6- अवैध उत्खनन व अवैध कटाई के संबंध में वन स्टाफ द्वारा जान जोखिम में डालकर कार्यवाही कि गई । परिणाम स्वरूप वन अमले पर हमले भी हुए । जिसकी पुलिस थाने में एफ.आई.आर.दर्ज कराई गई जो संलग्न है ।
- प्रकरण - 04
- 7- सबरेंज मोहनगढ़ अंतर्गत बीटों में गूगल अर्थ टाईम स्केल पर वर्ष 2005 से 2020 तक गूगल - ईमेजनरी निकाली गई । जिससे स्पष्ट है कि उक्त बीट उत्खनन के लिहाज से संवेदनशील होने का प्रमाण मिलते है । गूगल ईमेजनरी संलग्न ।
- 8- वन स्टाफ द्वारा अवैध उत्खनन की रोकथाम के दौरान प्रकरण पंजीबद्ध किये । जिसका प्रकाशन विभिन्न अखबार में प्रदर्शित हुआ जो संलग्न है ।


 (मीना कुमारी मिश्रा)
 वनमण्डलाधिकारी
 वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

गोशवारा

बिंदू क्रमांक - 1 परिशिष्ट

3

क्र	वर्ष	अवैध उत्खनन			अवैध कटाई			अवैध परिवहन			अवैध अतिक्रमण			जप्त वाहन
		अपराधी ज्ञात	अपराधी अज्ञात	कुल	अपराधी ज्ञात	अपराधी अज्ञात	कुल	अपराधी ज्ञात	अपराधी अज्ञात	कुल	अपराधी ज्ञात	अपराधी अज्ञात	कुल	
1	2010	5	6	11	0	0	0	5	4	9	0	0	0	मो.साई.29 ट्रे.ट्रो.3 मारुति 1 साईकल 6
2	2011	1	3	4	0	0	0	2	3	5	0	0	0	मो.साई.5 ट्रे.ट्रो.1
3	2012	0	1	1	2	3	5	0	2	2	0	0	0	मो.साई.04 साईकल 3 बैलगाडी 1
4	2013	0	2	2	2	2	4	0	3	3	0	0	0	मो.साई.04 साईकल 9
5	2014	2	0	2	0	0	0	3	11	14	0	0	0	मो.साई.18 ट्रे.ट्रो.2
6	2015	0	3	3	0	0	0	1	2	3	0	0	0	मो.साई.04
7	2016	3	1	4	0	3	3	2	19	21	0	0	0	मो.साई.22 ट्रे.ट्रो.1 बैलगाडी 3 साईकल 2
8	2017	0	5	5	0	6	6	0	10	10	0	0	0	मो.साई.09 ट्रक 1 साईकल 7
9	2018-19	1	23	24	0	4	4	1	5	6	0	0	0	मो.साई.04 साईकल 2
10	2020	0	27	27	0	2	2	3	12	15	0	0	0	मो.साई.08 ट्रे.ट्रो.2 ट्रक 1
11	2021	2	22	24	0	0	0	0	1	1	0	0	0	ट्रे.ट्रो.1
	कुल योग	14	93	107	4	20	24	17	72	89	0	0	0	0

3/R
Roshni
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)


Deena
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2010, वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

(4)

क्र	आर सी न.	पीओआर क्र	दिनांक	अपरवाह का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	वर्ष	घटना स्थल	अपरवाही का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	जांच अधिकारी नाम एवं पत्र	वर्तमान पदस्थिति एवं पता/मो. न.	जांच के लिये भेजने का विवरण	जांच पूर्ण होने का दिनांक	की जाने वाली कार्रवाई का विवरण	परिक्षेत्र की न्यायालयीन पंजी का विवरण
1	2/2010	1686/2	6.2.2010	अवैध परिहवन	श्री भगवत स्वरूप कोठारी बीटगार्ड मझेरा	मझेरा	आर 51	-	राशिद बेग मिर्जा पुत्र हमीद बेग मिर्जा निवासी पुरानी शिवपुरी	फर्शी पत्थर 5	मो.साई.01 एमपी 33,3951	श्री प्रीतम सिंह कुशवाह, वनपाल वनचाकी प्रभारी शिवपुरी	-	कार्यालयीन पत्र क्र 59 दि.9.2.2010	-	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 126 दि.6.3.2010 से प्रकरण नस्तीबद्ध।	-
2	3/2010	1686/3	6.2.2010	---	---	मझेरा	आर 51	-	अज्ञात	-	साईकल 03	---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 60 दि.9.2.2010	-	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 298 दि.16.6.2010 से राजसात। सीसी न 6/10	-
3	5/2010	1686/5	23.2.2010	---	---	मझेरा	आर 51	-	प्रभुदयाल पुत्र नाथूलाल तिवारी	-	मो.साई.01 चेसेस न.01डी1869700	श्री राकेश भार्गव वनपाल वनचाकी प्रभारी	-	कार्यालयीन पत्र क्र 130 दि.9.3.2010	-	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 136 दि.10.3.2010 से खारिज।	-
4	6/2010	3845/12	26.2.2010	---	श्री सतीश मांडवी बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57	-	रामेश्वर पुत्र सधू सिंह रावत एवं अन्य साथी निवासी बिलीकलां	-	-	श्री के.एन.पाराशर परिक्षेत्र सहायक सुरवाया	-	कार्यालयीन पत्र क्र 131 दि.9.3.2010	-	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 99 दि.19.2.2013 से खारिज। सीसी न 16/13	-
5	18/10	1685/2	2.5.2010	---	श्री हरीशकर कुशवाह बीटगार्ड मोहम्मदपुर	मझेरा	आर 51	-	गजरराज सिंह पुत्र हरनारायण सिंह गुर्जर निवासी मझेरा	फर्शी पत्थर 4	मो.साई.01 एमपी 08 ए 0920	श्री राकेश भार्गव वनपाल वनचाकी प्रभारी	-	कार्यालयीन पत्र क्र 252 दि.6.5.2010	-	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 15 दि.30.8.2011 से शासन पक्ष में राजसात किया गया।	-
6	29/10	223/25	8.10.2010	---	श्री बी.एस. परमार वृत्त उहनदस्ता दल शिवपुरी	खैरोना	आर 56	-	अज्ञात	फर्शी पत्थर 01	मो.साई.01 एमपी 08 जी 7326	श्री दिनेश गावेल परिक्षेत्र सहायक शिवपुरी	-	कार्यालयीन पत्र क्र 590 दि.10.10.2010	-	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 17 दि.01.9.2011 से शासन पक्ष में राजसात किया गया।	-
7	37/10	3844/13	25.10.2010	---	श्री किशोर कोली बीटगार्ड	खैरोना	आर 56	-	अज्ञात	फर्शी पत्थर 04	मो.साई.01 एमपी 08 सी 2687	---	-	-	-	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 20 दि.03.9.2011 से शासन पक्ष में राजसात किया गया।	-
8	38/10	3844/12	25.10.2010	---	---	खैरोना	आर 56	-	अज्ञात	फर्शी पत्थर 02	साईकल 03	---	-	-	-	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 269 दि.23.5.2011 से प्रकरण नस्तीबद्ध। सीसी न 1/11	-
9	49/10	231/3	11.12.2010	---	श्री राजेश ठाकुर बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56	-	महिलपाल पुत्र दानसिंह गुर्जर निवासी बोलाज तह. कोसारस	फर्शी पत्थर 08	मो.साई.01 एमपी 08 सी 7224	---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 826 दि.27.12.2010	-	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 21 दि.05.9.2011 से शासन पक्ष में राजसात किया गया।	-

रॉशिन
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (मोप्रो)


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2010, वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

5

क्र	आर सी न.	पीओआर क्र	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्ष	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4/10	223/12	4.3.2010	अवैध उत्खनन	श्री सीएस राठीर प्रमारी उडनदस्ता वन वृत्त शिवपुरी	पाटखेडा	आर 47		अज्ञात	शबल 3 घन 1 हथौडा 1 छेनी 1	-	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 782 दि. 28.12.2010 से राजसात । सीसी न 48/10
2	8/10	223/13	11.3.10	अवैध परिवहन	श्री एस.एम. विजयवर्गीय उडनदस्ता वन वृत्त शिवपुरी	-	-	बडौदी पत्थर फैक्ट्री	संग्राम सिंह गुर्जर सुल्तान सिंह गुर्जर निवासी ग्राम सुजवाया	फर्शी पत्थर 78	मो.साई.14	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 28 दि. 7.10.2011 से शासन पक्ष में 13 मो.साई राजसात किया गया । फर्शी पत्थर शसकीय संपत्ति घोषित किया गया ।
3	25/10	1686/13	20.8.2010	—"—	श्री भगवत स्वरूप कोठारी बीटगार्ड मझेरा	पाटखेडा	आर 47		रामवीर पुत्र जवाहर लाल रावत एवं 3 अन्य साथी	फर्शी पत्थर 1	मो.साई.4	2 मो.साई.राजसात एवं 2 वसूली कर निर्मुक्त ।
4	26/10	1686/14	20.8.2010	—"—	—"	-	-	फोरलेन खिई	अज्ञात	फर्शी पत्थर 45	मारुति वेन एच आर 51 वी 8363	मारुति वेन शासन पक्ष में राजसात
5	28/10	229/1	22.9.10	—"	श्री वासुदेव पटसारिया बीटगार्ड पाटखेडा	पाटखेडा	आर 47		कमरुद्दीन पुत्र समसुद्दीन	फर्शी पत्थर 11	मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात किया गया ।
6	34/10	229/4	24.10.10	—"	श्री सलीम खान बीटगार्ड पाटखेडा	पाटखेडा	आर 47		रामभरत पुत्र नैनू कोहली निवासी मुबारकपुर तह.	-	ट्रे.ट्रो.01	वसूली कर प्रकरण का प्रशमन किया गया ।
7	35/10	229/5	24.10.10	—"	—"	पाटखेडा	आर 47		अतर सिंह पुत्र भोगा राम जाटव	-	ट्रे.ट्रो.01 सफेद मिटटी से भरा	वसूली कर प्रकरण का प्रशमन किया गया ।
8	39/10	792/1	13.11.2010	—"	श्री गिरीश नामदेव	-	-	इण्डस्ट्रीयल एरिया बडौदी	अज्ञात	-	मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात
9	42/10	229/7	18.11.2010	—"	श्री हरीओम भार्गव	पाटखेडा	पी 994		अज्ञात	-	ट्रे.ट्रो.01 सफेद मिटटी 3 घ.मी.से	वसूली कर प्रकरण का प्रशमन किया गया ।
10	45/10	232/2	2.12.2010	—"	श्री राजेश सिंह ठाकुर	बिरघा	आर 44				मो.साई.02	वसूली कर वाहन मुक्त ।
11	39/10	792/1	13.11.2010	—"	श्री गिरीश नामदेव			इण्डस्ट्रीयल एरिया बडौदी	अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।


Dr. P. S. Singh
RO Shikhar
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म०प्र०)

Deena
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2011, वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र.	आर सी न.	पीओआर क्र	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्ष	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	जांच अधिकारी नाम एवं पत्र	वर्तमान पदस्थिति एवं पता/मो. न.	जांच के लिये भेजने का विवरण	जांच पूर्ण होने का दिनांक	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण	परिक्षेत्र की न्यायालयीन पंजी का विवरण
1	11/11	3844/17	8.3.2011	अवैध उत्खनन	श्री विकास भार्गव बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56	-	वीरेन्द्र सिंह रावत रामवीर सिंह रावत निवासी गढ़ मोहनगढ़	-	-	श्री दिनेश गायेल परिक्षेत्र सहायक शिवपुरी	-	कार्यालयीन पत्र क्र 195 दि.12.3.2011	-	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 563 दि.13.12.2012 से प्रकरण प्रशमन। सीसी न 18/2012	-
2	18/11	3844/18	27.4.2011	—	—	खैरोना	आर 56	-	अज्ञात	औजार 07 नग	-	—	-	कार्यालयीन पत्र क्र 325 दि.13.5.2011	-	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 64 दि. 6.2.2012 से राजसात। सीसी न 133/2012	-
3	24/11	3844/20	22.6.2011	अवैध परिवहन	—	खैरोना	आर 56	-	रामलखन पुत्र धनपाल सिंह गुर्जर निवासी सुजवाया	फर्शी पत्थर 08	मो.साई.01 चेसेस न.1285689ई	श्री महेश सिंह तोमर परिक्षेत्र सहायक शिवपुरी	-	कार्यालयीन पत्र क्र 431 दि.23.6.2011	-	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 18 दि.29.9.2016 से शासन पक्ष में राजसात किया गया।	-
4	49/11	3844/23	26.11.2011	—	—	खैरोना	आर 56	-	अज्ञात	मो.साई.02 एमपी 33 वी 2209.एमपी 33 5199	श्री दिनेश गायेल वनचौकी प्रमारी शिवपुरी	-	कार्यालयीन पत्र क्र 817 दि.28.11.2011	-	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 9 दि.01.04.2013 से शासन पक्ष में राजसात किया गया।	-	

RO Shivan
 उप वनमण्डलाधिकारी
 उप वन मण्डल शिवपुरी (म०प्र०)


 वनमण्डलाधिकारी
 वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2011 ,वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र	आर सी न.	पीओआर क्र	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्ष	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8/11	233/1	7.2.2011	अवैध उत्खनन	श्री माधौव सिंह धाकड	पाटखेडा	आर 49		अज्ञात	-	-	प्रकरण खारिज किया गया ।
2	31/11	233/4	21.8.2011	अवैध परिवहन	—"—	पाटखेडा	आर 48		अज्ञात	फर्शी पत्थर 5	मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात
3	61/11	233/6	26.12.11	अवैध उत्खनन	श्री विशाल प्रभाकर	पाटखेडा	आर 48		अज्ञात	औजार 07		शासन पक्ष में राजसात
4	16/11	292/6	18.4.2011	अवैध परिवहन	श्री गिरीश नामदेव			बडागांव रोड	ब्रजेन्द्र पुत्र प्रभुदयाल शर्मा	बोल्डर 3.5 घ. मी.	महेन्द्रा ट्रैक्टर	वसूली कर प्रकरण प्रशमन किया ।
5	13/11	232/3	9.2.11	अवैध परिवहन	श्री राजेश सिंह ठाकुर	बिरघा	आर 44				मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।

राशि: 
 उप वनमण्डलाधिकारी
 उप वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.) वनमण्डलाधिकारी
 वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2012, वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र.	आर सी न.	पीओआर क्र.	दिनांक	अपराय का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्षा	घटना स्थल	अपराय का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	जांच अधिकारी नाम एवं पत्र	वर्तमान पदस्थिति एवं पता/मो.न.	जांच के लिये भेजने का विवरण	जांच पूर्ण होने का दिनांक	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण	परिक्षेत्र की न्यायालयीन पंजी का विवरण
1	2/12	3844/24	7.1.2012	अवैध कटाई	—	खैरोना	आर 56	—	मोहर सिंह निवासी मोहनगढ़ एवं अन्य 02			श्री महेश शर्मा परिक्षेत्र सहायक शिवपुरी	—	कार्यालयीन पत्र क्र 870 दि.28.8.2012		एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 572 दि.13.12.2012 से प्रशमन किया गया। सीसी न. 130/12	—
2	27/12	3845/15	22.4.2012	—	श्री सतीश मांडी बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 58	—	कल्ला पुत्र पणू जाटव निवासी सतैया अखेरज सिंह जाटव पुत्र कारे जाटव हरीओम पुत्र पाती जाटव निवासी मानकपुर सतैया	जलाक सतरुख 6 विघ.	03 बैलगाड़ी	—	—	—	—	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 370 दि.03.09.2012 से प्रशमन किया गया। सीसी न. 68/12	—
3	35/12	330/15	21.5.2012	अवैध परिवहन	श्री विनोद मिलवार उडनदस्ता दल वन वृत्त शिवपुरी	मझरा		फोरलन			मो.साई.01 सीआई डबलू 9288	—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 500 दि.2.5.2012		एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 19 दि.29.9.2016 से शासन पक्ष में राजसात किया गया।	—
4	44/12	3844/25	15.7.2012	अवैध उत्खनन	श्री विकास भार्गव बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56		अज्ञात	ओजार 05		—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 652 दि.18.7.2012		एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 105 दि.28.1.2013 से प्रकरण राजसात हेतु भेजा।	—
5	48/12	3845/16	28.7.2012	अवैध कटाई	श्री सतीश मांडी बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 58		अज्ञात	खैर नग 44		—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 738 दि.6.8.2012		एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 106 दि.28.1.2013 से प्रकरण कम्पाउण्ड हेतु भेजा।	—
6	78/12	3845/17	3.12.2012	—	श्री अशोक कुमार बाथम बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 60		अज्ञात	सतरुखा जलाक 40 कि.ग्रा.	साईकल 01	—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 1247 दि.11.12.2012		एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 104 दि.20.2.2013 से प्रशमन किया गया। सीसी न 9/13	—
7	82/12	3847/18	10.12.2012	—	—	अर्जुनगवां	आर 58		अज्ञात	सतरुखा जलाक 40 कि.ग्रा.	साईकल 02	—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 1270 दि.18.12.12		एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 107 दि.20.2.2013 से प्रशमन किया गया। सीसी न 6/13	—

Roshini

Jeena
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

MAJHI
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (मं०प्र०)

वर्ष 2012, वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र	आर सी न	पीओआर क्र	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्ष	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	57/12	376/1	19.9.2012	अवैध परिवहन	श्री शौकत अली	पाटखेडा	आर 49		अज्ञात		मो.साई.3	शासन पक्ष में राजसात

RIF
RO Shivpur

Majha
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (मोप्रो)

Majha
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2013, वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र	आर सी न.	पीओआर क्र	दिनांक	अपरध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्षा	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	जांच अधिकारी नाम एवं पत्र	वर्तमान पदस्थिति एवं पता/मो. न.	जांच के लिये भेजने का विवरण	जांच पूर्ण होने का दिनांक	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण	परिक्षेत्र की न्यायालयीन पंजी का विवरण
1	1/13	373/1	9.1.2013	अवैध परिवहन	श्री विकास भार्गव बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56		अज्ञात		मो.साई.01 एमपी 33 वी 7133	---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 121 दि 31.1.2013		एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 43 दि.27.11.2013 से प्रशमन किया गया। सीसी न91/13	-
2	12/13	3845/19	22.2.2013	अवैध कटाई	श्री अशोक कुमार बाथम बीटगार्ड अर्जुनगवा	अर्जुनगवा	आर 57		अज्ञात	सतरुखा जलाऊ 80 कि.ग्रा.	साईकल 02	---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 279 दि 15.3.2013		एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 1035 दि.6.12.2016 से राजसात। सीसी न. 164/16	-
3	48/13	3845/20	29.8.2013	अवैध उत्खनन	---	अर्जुनगवा	आर 57		अज्ञात	औजार 13		---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 687 दि 2.9.2013		एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 321 दि.28.5.2015 से राजसात। सीसी न. 121/14	-
4	49/13	3845/21	8.9.2013	अवैध परिवहन	---	अर्जुनगवा	-	पाटखेड 1 से माहनग ड रोड	अज्ञात		मो.साई.02 चेसेस न. 1423161ए90 1281723डी94	---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 716 दि 20.9.2013		एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 10 दि.16.10.2018 से राजसात।	-
5	53/13	1686/23	16.9.2013	अवैध कटाई	श्री नगवत स्वरूप कोठारी बीटगार्ड मझेरा	मझेरा	आर 51 के समीप		अज्ञात	खैर नग 55		---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 750 दि 3.10.2013		एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 565 दि.14.6.2016 से नस्तीबद्ध। सीसी न. 97/16	-
6	57/13	788/21	30.9.2013	---	श्री संजीव वर्मा उडनदस्ता दल वन वृत्त शिवपुरी	मझेरा	आर 51		जगन्नाथ पुत्र सिरनाम गुर्जर रामसिंह पुत्र होरल सिंह गुर्जर इन्द्र पुत्र टेलसिंह निवासी बडागांव		साईकल 3	---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 759 दि 4.10.2013		एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 320 दि.28.5.2015 से प्रशमन। सीसी न. 119/14	-
7	65/13	741/5	9.11.2013	---	---	मझेरा	आर 51		पप्पू पुत्र गिरधारी जाटव निवासी बडागांव एवं अन्य साथी	सतरुखा जलाऊ 100 कि.ग्रा.	साईकल 4	---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 844 दि 12.11.2013		एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 417 दि.15.6.2015 से प्रशमन। सीसी न. 10/15	-

Roshini

सप वन मण्डलाधिकारी
सप वन मण्डल शिवपुरी (म०प्र०)

Deena
वन मण्डलाधिकारी
सप वन मण्डल

8	68/13	373/4	27.11.2013	अवैध उत्खनन	श्री विकास भार्गव बीटगाई खैरोना	खैरोना	आर 56		अज्ञात	आज्जार 6	---	---	कार्यालयीन पत्र क्र 902 दि 06.12.2013	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 418 दि 15.6.2015 से राजसात । सीसी न. 8/15	-	
9	72/13	373/5	24.12.2013	अवैध परिवहन	श्री विकास भार्गव बीटगाई खैरोना	खैरोना	आर 56		अज्ञात		मो साईकल 1 एमपी 07 कोए 2480	---	---	कार्यालयीन पत्र क्र 842 दि 31.12.2013	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 26 दि.10.10.2016 से राजसात ।	-

S F
Roshyapuri

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (मोप्रो)

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2014 ,वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन,व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र	आर सी न.	पीओआर क्र	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्षा	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोंपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	जांच अधिकारी नाम एवं पत्र	वर्तमान पदस्थिति एवं पता/मो. न.	जांच के लिये भेजने का विवरण	जांच पूर्ण होने का दिनांक	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण	परिक्षेत्र की न्यायालयीन पंजी का विवरण
1	11/14	3845/22	17.2.2014	अवैध परिवहन	श्री अशोक कुमार बाथम बीटगार्ड अर्जुनगवां	खैरोना	आर 55		भूरा पुत्र प्राण सिंह गुर्जर निवासी प्रताप पुत्र बाबूलाल गुर्जर निवासीगढ़ खैरोना		मो.साईकल 2 चेसेस 0जे1834694 02वी1921400	---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 71 दि 17.2.2014			न्यायालय में प्रचलित
2	16/14	373/6	13.3.2014	---	श्री विकास भार्गव बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 55		अज्ञात		मो.साईकल 1 चेसेस न 1672637एल 98	---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 173 दि 20.3.2014		एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 8 दि.09.10.2018 से राजसात।	-
3	23/14	3845/23	28.4.2014	---	श्री अशोक कुमार बाथम बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	फर्शी पत्थर 6	मो.साईकल 1 एमपी 33 वी 1605	---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 285 दि 2.5.2014		एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 25 दि.10.10.2016 से राजसात।	-
4	24/14	373/7	29.4.2014	---	श्री विकास भार्गव बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 55		अज्ञात	फर्शी पत्थर 8	मो.साईकल 1 चेसेस न 02जे1964631	---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 286 दि 2.5.2014		एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 22 दि.10.10.2016 से राजसात।	-
5	27/14	789/25	11.5.2014	---	श्री विकास भार्गव बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56		भोगा पुत्र रूप सिंह गुर्जर अन्य 02 साथी	पत्थर पाट 31	ट्रे.ट्रौली 01 चेसेस न 911510253501	---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 316 दि 19.5.2014		एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 3 दि.4.2.2015 से राजसात।	-
6	31/14	373/8	10.6.2014	अवैध उत्खनन	श्री विकास भार्गव बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56		वीरेन्द्र रावत विक्रम रावत निवासीगढ़ मोहनगढ़	औजार 03		---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 368 दि 18.6.2014		एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 564 दि.14.6.2016 से नस्तीबद्ध। सीसी न. 98/16	-
7	36/14	373/9	21.8.2014	अवैध परिवहन	---	खैरोना	आर 55		रामलखन पुत्र भवर सिंह गुर्जर पुरुषोत्तम पुत्र पहलवान सिंह गुर्जर निवासी पाटखेड़ा	फर्शी पत्थर 12	मो.साईकल 2 चेसेस 1715034डी 99	---	-	कार्यालयीन पत्र क्र 476 दि 21.8.2014			न्यायालय का चालान क्र 1518 दि. 2014


के.के.

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

8	54/14	553/1	11.12.2014	—''—	श्री अशोक कुमार बाथम बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	—	मो.साईकल 1 चेसेस ए 2ए195466	—''—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 862 दि 26.12.2014	31.12. 2015	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र14 दि.17.10.2018 से राजसात।	—
9	55/14	373/11	11.12.2014	—''—	श्री विकास मार्गव बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 55		अज्ञात	—	मो.साईकल 3 चेसेस 00जेआई 835262 1602977वी98 02ई1938854	—''—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 863 दि 26.12.2014		एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 6 दि.8.6.2018 से राजसात।	—

मार्गव
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म०प्र०)

Roshy V.P.


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2014 ,वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र	आर सी न.	पीओआर क	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्ष	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	47/14	375/18	8.11.2014	अवैध परिवहन	—"—	—"—	—"—		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।
2	38/14	373/10	4.9.2014	—"—	श्री विकास भार्गव	बिरघा	आर 44		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।
3	35/14	375/15	9.8.2014	—"—	श्री गिरीश नामदेव	बिरघा	आर 73		अज्ञात		मो.साई.02	शासन पक्ष में राजसात ।
4	43/14	375/16	1.10.2014	—"—	श्री गिरीश नामदेव	बिरघा	आर 73		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।
5	14/14	375/12	10.3.2014	अवैध उत्खनन	श्री गिरीश नामदेव	बिरघा	आर 44		माखन सिंह पुत्र गिल्ली आदिवासी निवासी कोटा		ट्रे.ट्रौली 01	वसूली कर वाहन मुक्त ।
6	5/14	375/11	24.1.2014	अवैध परिवहन	श्री गिरीश नामदेव	बिरघा	आर 44				मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।
7	1/2014	375/10	13.1.2014	अवैध परिवहन	श्री गिरीश नामदेव	बिरघा	आर 44		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।

Rashid
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2015 ,वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

15

क्र	आर सी न.	पीओआर क्र	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्षा	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	जांच अधिकारी नाम एवं पत्र	वर्तमान पदस्थिति एवं पता/मो.न.	जांच के लिये भेजने का विवरण	जांच पूर्ण होने का दिनांक	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण	परिक्षेत्र की न्यायालयीन पंजी का विवरण
1	6/15	553/2	12.2.15	अवैध परिवहन	श्री अशोक बाथम	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	फर्शी पत्थर 8	मो.साई.01 चेसेस 00डी1805877	श्री महेश शर्मा प स.शिवपुरी		कार्यालयीन पत्र क्र 137 दि.4.3.2015	31.12.2015	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 15 दि.17.10.2018 से शासन पक्ष में राजसात किया गया।	-
2	24/15	373/12	19.5.15	---	श्री विकास भार्गव	खैरोना	आर 55		अज्ञात	-	मो.साई.01	---		कार्यालयीन पत्र क्र 394 दि.5.6.2015	31.12.2015	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 9 दि.09.10.2018 से शासन पक्ष में राजसात किया गया।	
3	33/15	373/14	23.6.15	---	---	खैरोना	आर 55		श्री राजेन्द्र पुत्र स्व.श्री पंचू आदिवासी हनुमंत रावत निवासी गढ मोहनगढ	फर्शी पत्थर 4		---		कार्यालयीन पत्र क्र 44 दि.29.6.2015	12.5.2016	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 706 दि.28.7.2016 से प्रकरण नस्तीबद्ध। सीसी न 149/16।	

Rashid

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म०प्र०)

वने

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2015 ,वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र	आर सी न.	पीओआर क	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्ष	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	32/15	373/13	13.6.2015	अवैध उत्खनन	श्री विकास भार्गव	पाटखेडा	आर 47		अज्ञात	पत्थर फर्शी 70		-
2	43/15	375/22	11.9.2015	—"—	—"—	—"—	—"—		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।
3	25/15	375/19	22.5.2015	—"—	—"—	—"—	—"—		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।

37
Roshini

मंडा
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म०प्र०)

Deena
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2016, वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

17

क्र.	आर सी न.	पीओआर क्र	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्षा	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	जांच अधिकारी नाम एवं पत्र	वर्तमान पदस्थिति एवं पता/मो.न.	जांच के लिये भेजने का विवरण	जांच पूर्ण होने का दिनांक	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण	परिक्षेत्र की न्यायालयीन पंजी का विवरण
1	2/16	612/6	9.1.2016	—	उहनदस्ता प्रभारी वन वृत्त शिवपुरी	—	—	—	अज्ञात	फर्शी पत्थर 3	मो.साई.01	—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 62 दि.12.1.2016	26.9.2016	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 841 दि. 26.9.2016 से प्रकरण राजसात कर खारिज हेतु प्रस्तुत ।	
2	3/16	612/8	19.1.2016	—	—	मझेरा	आर 52	—	अज्ञात	—	मो.साई.02	—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 151 दि.1.2.2016	26.9.16	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 842 दि. 26.9.2016 से प्रकरण राजसात कर खारिज हेतु प्रस्तुत ।	
3	8/16	373/15	12.2.2016	—	श्री विकास भार्गव बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56	—	अज्ञात	—	मो.साई.01 चेसेस न. 03ए1977358	—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 219 दि.16.2.2016	21.9.2016	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 811 दि. 24.9.2016 से प्रकरण राजसात कर खारिज हेतु प्रस्तुत ।	
4	14/16	373/16	25.2.2016	—	श्री विकास भार्गव बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 55	—	अज्ञात	—	मो.साई.01 चेसेस न. 0011844676	—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 269 दि.3.6.2016	21.9.2016	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 814 दि. 24.9.2016 से प्रकरण राजसात कर खारिज हेतु प्रस्तुत ।	
5	15/16	553/3	25.2.2016	—	श्री अशोक बाथम बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 58	—	अज्ञात	—	मो.साई.02 चेसेस न. 01एल1906641 00जे1834968	—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 314 दि.17.3.2016	21.9.2016	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 815 दि. 24.9.2016 से प्रकरण राजसात कर खारिज हेतु प्रस्तुत ।	
6	17/16	373/17	15.3.2016	—	श्री विकास भार्गव बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56	—	अज्ञात	—	मो.साई.01 चेसेस न. 01डी1869700	—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 370 दि.5.4.2016	21.9.2016	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 817 दि. 24.9.2016 से प्रकरण राजसात कर खारिज हेतु प्रस्तुत ।	
7	18/16	373/18	17.3.16	—	श्री विकास भार्गव बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56	—	श्री शंकर जाटव गिर्राज आदि. ब्रजेन्द्र शर्मा रामवीर रावत रामकुमार रावत	फर्शी पत्थर 90	ट्रे.ट्रौली 01 एमपी 33 ए 5938	—	—	—	—	—	न्यायालयीन चालान न. 77 दि. 7.2.2017
8	26/16	373/19	28.4.16	—	श्री विकास भार्गव बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 55	—	अज्ञात	—	मो.साई.01 चेसेस न. 02वी 1922664	—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 464 दि.4.5.2016	21.9.2016	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 7 दि. 31.3.2021 से शासन पक्ष में राजसात किया गया ।	
9	29/16	373/20	7.6.2016	—	श्री अशोक बाथम बीटगार्ड अर्जुनगवां अति. प्रभार खैरोना	खैरोना	आर 55	—	अज्ञात	—	मो.साई.01 चेसेस न. 01ए 1 855193	—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 574 दि.14.6.2016	21.9.2016	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 13 दि. 31.3.2021 से शासन पक्ष में राजसात किया गया ।	

रि

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (मं.प्र.०)

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

32/16	553/4	21.6.2016	अवैध कटाई	श्री अशोक बाथम बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57,58		अज्ञात	60 कि.ग्रा. सतरुखा जलाऊ	साईकल 02	—'—		कार्यालयीन पत्र क्र 625 दि.4.7.2016	21.9.2016	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 823 दि. 24.9.2016 से प्रकरण राजसात कर खारिज हेतु प्रस्तुत ।
11	34/16	373/22	22.6.2016	—'—	श्री हेमराज शाक्य बीटगार्ड मझेरा	मझेरा	आर 52		अज्ञात	सतरुखा 1 घ.मी.जलाऊ	01 बैलगाडी	—'—	कार्यालयीन पत्र क्र 627 दि.4.7.2016	21.9.2016	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 825 दि. 24.9.2016 से प्रकरण राजसात कर खारिज हेतु प्रस्तुत ।
12	37/16	373/21	22.6.2016	—'—	श्री बाबूलाल नरवरिया बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 55,64		अज्ञात	सतरुखा 2 घ.मी.जलाऊ	02 बैलगाडी	—'—	कार्यालयीन पत्र क्र 630 दि.4.7.2016	21.9.2016	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 828 दि. 24.9.2016 से प्रकरण राजसात कर खारिज हेतु प्रस्तुत ।
13	45/16	373/24	24.7.2016	अवैध परिवहन	श्री बाबूलाल नरवरिया बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 55		अज्ञात		मो.साई.01 चेसेस न. 00जे1838211	—'—	कार्यालयीन पत्र क्र 671 दि.25.7.2016	26.9.2016	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 846 दि. 26.9.2016 से प्रकरण राजसात कर खारिज हेतु प्रस्तुत ।
14	46/16	553/5	24.7.2016	—'—	श्री अशोक बाथम बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात		मो.साई.01 चेसेस न. 0141348791	—'—	कार्यालयीन पत्र क्र 672 दि.25.7.2016	26.9.2016	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 847 दि. 26.9.2016 से प्रकरण राजसात कर खारिज हेतु प्रस्तुत ।
15	49/16	617/1	22.8.2016	—'—	श्री हेमराज शाक्य बीटगार्ड मझेरा	मझेरा	आर 44		अज्ञात		मो.साई.01 चेसेस न. 02वी1921896	—'—	कार्यालयीन पत्र क्र 737 दि.23.8.2016	26.9.2016	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 849 दि. 26.9.2016 से प्रकरण राजसात कर खारिज हेतु प्रस्तुत ।
16	50/16	373/25	22.8.2016	—'—	श्री बाबूलाल नरवरिया बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56		अज्ञात		मो.साई.01 चेसेस न. 01ए1850701	—'—	कार्यालयीन पत्र क्र 738 दि.23.8.2016	26.9.2016	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 850 दि. 26.9.2016 से प्रकरण राजसात कर खारिज हेतु प्रस्तुत ।

Roshini

Majhi
 उप वनमण्डलाधिकारी
 उप वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

Majhi
 वनमण्डलाधिकारी
 वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2016 ,वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र	आर सी न.	पीओआर क	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्ष	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	23/16	554/2	25.4.2016	अवैध परिवहन	श्रीमति सीमा निनोरिया	पाटखेडा	आर 47		अज्ञात		मो.साई.2	शासन पक्ष में राजसात
2	24/16	554/1	23.4.16	अवैध उत्खनन	श्रीमति सीमा निनोरिया	पाटखेडा	आर 47		बालकृष्ण पुत्र बालकिशन आदिवासी	औजार 06		वसूली कर प्रकरण खारिज
3	25/16	554/3	30.4.2016	—”—	—”—	पाटखेडा	आर 47		घनीराम पुत्र मुल्ला आदिवासी	औजार 21		वसूली कर प्रकरण खारिज
4	41/16	551/25	1.7.2016	—”—	श्री महेश शर्मा	पाटखेडा	आर 47		अज्ञात	औजार 14		शासन पक्ष में राजसात
5	51/16	554/4	25.8.2016	अवैध परिवहन	श्रीमति सीमा निनोरिया	पाटखेडा	आर 47		अज्ञात	मो.साई. 01		शासन पक्ष में राजसात
6	52/16	616/2	26.8.2016	अवैध उत्खनन	श्रीमति ममता गौड	पाटखेडा	आर 47		राजू पुत्र खैरू आदिवासी	औजार 10		वसूली कर कम्पाउण्ड
7	57/16	617/2	28.9.2016	अवैध परिवहन	श्री हेमराज शाक्य	पाटखेडा	आर 47		राजेश पुत्र गजराज सिंह गुर्जर	फर्शी पत्थर 46		—
8	47/16	555/6	24.7.2016	—”—	—”—	—”—	—”—		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।
9	43/16	555/5	9.7.2016	—”—	—”—	—”—	—”—		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।
10	22/16	555/3	31.3.2016	—”—	—”—	—”—	—”—		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।
11	16/16	555/2	9.3.2016	—”—	—”—	—”—	—”—		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।
12	10/16	375/25	15.2.2016	—”—	—”—	—”—	—”—		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।

Roshini

उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.) वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2017, वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

20

क्र.	आर सी न.	पीओआर क	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्षा	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	जांच अधिकारी नाम एवं पत्र	वर्तमान पदस्थिति एवं पता/मो.न.	जांच के लिये भेजने का विवरण	जांच पूर्ण होने का दिनांक	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण	परिक्षेत्र की न्यायालयीन पंजी का विवरण
1	6/17	631/14	20.2.2017	अवैध परिवहन	श्री संजीव वर्मा वनरक्षक उडनदस्ता दल वन वृत्त शिवपुरी	मझेरा	आर 51		अज्ञात	फर्शी पत्थर 03	मो.साई.01 चेसेसे न. 01वी1ए55481	श्री घनश्याम शर्मा वनपाल प.स.शिवपुरी		कार्यालयीन पत्र क्र 77 दि.23.2.2017	12.12.2017	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 24 दि. 3.12.2018 से शासन पक्ष में राजसात किया गया।	
2	8/17	638/2	7.4.2017	—'—	—'—	मझेरा		फोरलाईन	अज्ञात	फर्शी पत्थर 02	मो.साई.01 एमपी 33 वी 1605	—'—		कार्यालयीन पत्र क्र 172 दि.11.4.2017	12.12.2017	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 25 दि. 3.12.2018 से शासन पक्ष में राजसात किया गया।	
3	22/17	553/8	29.6.2017	अवैध कटाई	श्री अशोक बाथम बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 58		अज्ञात	खैर नग 28		श्री रामसनेही शर्मा, वनरक्षक (प.स.मोहनगढ)		कार्यालयीन पत्र क्र 392 दि.27.7.2017	20.10.2017	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 1195 दि.3. 11.2017 से प्रशमन किया गया। सीसी न 108 /2017	
4	23/17	553/9	1.7.2017	—'—	—'—	अर्जुनगवां	आर 58		अज्ञात	खैर नग 21		—'—		कार्यालयीन पत्र क्र 386 दि.24.7.2017	20.10.2017	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 1196 दि. 3.11.2017 से प्रशमन किया गया। सीसी न 199 /2017	
5	32/17	553/10	21.8.2017	अवैध उत्खनन	—'—	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	फर्शी पत्थर 4	साईकल 01	—'—		कार्यालयीन पत्र क्र 445 दि.23.8.2017	20.10.2017	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 224 दि. 22.2.2019 से प्रशमन किया गया। सीसी न 57 /2017	
6	35/17	617/5	16.9.2017	अवैध परिवहन	श्री हेमराज शाक्य बीटगार्ड मझेरा	मझेरा	आर 51		अज्ञात		मो.साईकल 01 चेसेसे न. 01के1898279	श्री घनश्याम शर्मा वनपाल प.स.शिवपुरी		कार्यालयीन पत्र क्र 516 दि.21.9.2017	23.11.2017	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 17 दि. 17.10.2018 से शासन पक्ष में राजसात किया गया।	
7	44/17	617/6	26.10.2017	अवैध कटाई	श्री हेमराज शाक्य बीटगार्ड मझेरा	मझेरा	आर 51		अज्ञात	25 कि.ग्रा. सतरुखा जलाऊ	साईकल 01	—'—		कार्यालयीन पत्र क्र 603 दि.30.10.2017	30.1.2018	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 200 दि. 15.2.2018 से प्रशमन किया गया। सीसी न 50 /2018	
8	49/17	553/11	2.11.2017	अवैध परिवहन	श्री अशोक बाथम बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	फर्शी पत्थर 4	मो.साईकल 01	श्री वृषमान कोरकू प.स. मोहनगढ		कार्यालयीन पत्र क्र 633 दि.3.11.2017	26.4.2018	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 12 दि. 31.3.2021 से शासन पक्ष में राजसात किया गया।	
9	61/17	617/7	12.11.2017	अवैध कटाई	श्री हेमराज शाक्य बीटगार्ड मझेरा	मझेरा	आर 66		अज्ञात	20 कि.ग्रा. जलाऊ लकड़ी	साईकल 02	श्री घनश्याम शर्मा वनपाल प.स.शिवपुरी		कार्यालयीन पत्र क्र 664 दि.13.11.2017	30.1.2018	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 207 दि. 15.2.2018 से राजसात। सीसी न 57 /2018	
10	62/17	553/12	12.11.2017	—'—	श्री अशोक बाथम बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 58		अज्ञात	20 कि.ग्रा. जलाऊ लकड़ी	साईकल 01	श्री वृषमान कोरकू प.स. मोहनगढ		कार्यालयीन पत्र क्र 665 दि.13.11.2017	26.4.2018	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 583 दि. 11.5.2018 से राजसात। सीसी न 130 /2018	

37

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (मोप्रो)

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

67/17	1101/15	23.11.2017	अवैध उत्खनन	श्री विष्णु शर्मा प.अ.शिवपुरी	खैरोना	आर 56		अज्ञात	औजार 25 नग	—'—		कार्यालयीन पत्र क्र 717 दि.23.11.2017	19.11.2018	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 229 दि. 22.2.2019से राजसात । सीसी न 62 /2019
12	73/17	618/2	25.11.2017	—'—	श्री शहीद खान बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56	अज्ञात	औजार 06 नग	—'—		कार्यालयीन पत्र क्र 725 दि.27.11.2017	26.4.2018	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 584 दि. 11.7.2018 से राजसात । सीसी न 131 /2018
13	80/17	617/B	17.12.2017	अवैध कटाई	श्री हेमराज शाक्य बीटगार्ड मझेरा	मझेरा	आर 51	अज्ञात	20 कि.ग्रा. जलाक लकडी	साईकल 01	श्री भगवत स्वरूप कोठारी प.स.शिवपुरी	कार्यालयीन पत्र क्र 800 दि.20.12.2017	6.1.2018	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 216 दि. 15.2.2018 से प्रशमन । सीसीन 66/18

3 f
Roshini

म.प.प.
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

M. P. P.

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2017 ,वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिवहन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र	आर सी न.	पीओआर क्र	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्ष	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	36/17	554/5	21.9.2017	अवैध उत्खनन	श्री गौरव अवस्थी	पाटखेडा	आर 47		अज्ञात		साईकल 01	शासन पक्ष में राजसात
2	38/17	554/6	12.10.2017	अवैध परिवहन	—"—	पाटखेडा	आर 47		अज्ञात	औजार 9	मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात
3	40/17	554/7	16.10.2017	—"—	—"—	पाटखेडा	आर 47		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात
4	42/17	554/8	16.10.2017	अवैध उत्खनन	—"—	पाटखेडा	आर 47,48		अज्ञात	फर्शी पत्थर 34		शासन पक्ष में राजसात
5	39/17	555/11	16.10.2017	अवैध परिवहन	—"—	बिरधा	आर 44		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।
6	37/17	555/10	5.10.2017	—"—	—"—	—"	—"		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।
7	21/17	555/9	11.7.2017	—"	—"	—"	—"		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।
8	9/17	555/7	8.4.2017	—"	—"	—"	—"	बालाजी धाम के पास	अज्ञात		ट्रक 1 फर्शी पत्थर 8 घ.मी.	शासन पक्ष में राजसात ।

RF
Roshni

UP
वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म०प्र०)

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)


वर्ष 2018-19, वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

23

क्र.	आर सी न.	पीओआर क्र.	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्षा	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	जांच अधिकारी नाम एवं पत्र	वर्तमान पदस्थिति एवं पता/मो.न.	जांच के लिये भेजने का विवरण	जांच पूर्ण होने का दिनांक	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण	परिक्षेत्र की न्यायालयीन पंजी का विवरण
1	77/18	553/14	14.11.2018	—	श्री विकास भार्गव बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	औजार 06		श्री वृषभान कोरकू प.स. मोहनगढ़	वर्तमान पदस्थिति व. परिक्षेत्र करैरा	कार्यालयीन पत्र क्र 858 दि.24.11.2018	9.11.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 1335 दि.18.11.2020 से नस्तीबद्ध हेतु भेजा।	
2	6/19	618/05	5.2.2019	अवैध उत्खनन	श्री शहीद खान बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 53		अज्ञात	औजार 13		श्री वृषभान कोरकू प.स. मोहनगढ़	वर्तमान पदस्थिति व. परिक्षेत्र करैरा	कार्यालयीन पत्र क्र 98 दि.8.2.2019	-	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 1263 दि.16.11.2021 से हानि की राशि माफी हेतु भेजा	-
3	7/2019	618/4	5.2.2019	—	—	खैरोना	आर 56		अज्ञात	औजार 16		—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 99 दि.8.2.2019	9.11.2019	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 1262 दि.16.11.2021 से हानि की राशि माफी हेतु भेजा	
4	11/2019	553/15	3.2.2019	—	श्री विकास भार्गव बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	औजार 12		श्री वृषभान कोरकू प.स. मोहनगढ़	—	कार्यालयीन पत्र क्र 115 दि.12.2.2019	9.11.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 1339 दि.19.11.2020 से संबंधित बीटगार्ड से वसूली करने एवं नस्तीबद्ध हेतु भेजा।	
5	13/2019	553/16	8.2.2019	—	—	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	औजार 11		—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 114 दि.12.2.2019	9.11.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 1340 दि.19.11.2020 से संबंधित बीटगार्ड से वसूली करने एवं नस्तीबद्ध हेतु भेजा।	
6	16/2019	926/5	14.2.2019	—	श्री विजय गौड वनरक्षक प्रभारी उडनस्ता	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	औजार 04		—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 145 दि.20.2.2019		एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 752 दि.22.7.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 148 /2021	
7	17/2019	926/6	14.2.2019	—	—	अर्जुनगवां	आर 60		अज्ञात	औजार 04		—	—	कार्यालयीन पत्र क्र 146 दि.20.2.2019		एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 753 दि.22.7.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 149 /2021	
8	19/2019	553/17	13.2.2019	—	श्री विकास भार्गव बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 60		अज्ञात	औजार 06		श्री आशीष समाधिया प.स. मोहनगढ़		कार्यालयीन पत्र क्र 148 दि.20.2.2019	9.11.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 13410 दि.19.11.2020 से संबंधित बीटगार्ड से वसूली करने एवं नस्तीबद्ध हेतु भेजा।	
9	20/2019	618/6	13.2.2019	—	श्री शहीद खान बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 55		अज्ञात	औजार 08		—		कार्यालयीन पत्र क्र 149 दि.20.2.2019	9.11.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 91 दि.4.2.2022 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 32 /2022	
10	28/2019	618/7	6.3.2019	—	श्री जितेन्द्र रावत बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 53		अज्ञात	औजार 15		श्री आशीष समाधिया प.स. मोहनगढ़		कार्यालयीन पत्र क्र 239 दि.11.3.2019	18.12.2019	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 75 दि.15.1.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 01 /2020	
11	52/2019	553/18	27.5.2019	—	श्री पुरुषोत्तम शर्मा बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 60		अज्ञात	औजार 17		—		कार्यालयीन पत्र क्र 466 दि.3.6.2019	4.9.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 1186 दि.7.11.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 227 /2020	

उप वनमण्डलाधिकारी
मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

12	53/2019	618/9	27.5.2019	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 53		अज्ञात	औजार 14			कार्यालयीन पत्र क्र 467 दि. 3.6.2019	22.12.2019	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 499 दि. 20.5.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 64 /2020		
13	72/2019	553/19	27.7.2019	---	श्री पुरुषोत्तम शर्मा बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	औजार 14		श्री आशीष समाधिया प.स. मोहनगढ़	कार्यालयीन पत्र क्र 670 दि. 29.7.2019	4.9.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 1187 दि. 7.11.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 228 /2020		
14	99/2019	618/11	10.10.2019	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56		अज्ञात	औजार 06		---	कार्यालयीन पत्र क्र 871 दि. 24.10.2019	24.12.2019	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 495 दि. 20.05.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 60 /2020		
15	100/2019	939/23	22.10.2019	---	श्री सुरेश भार्गव	खैरोना	आर 56		अज्ञात	औजार 06		---	कार्यालयीन पत्र क्र 874 दि. 25.10.2019	4.5.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 905 दि. 24.08.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 185 /2020		
16	108/2019	553/21	14.11.2019	---	श्री पुरुषोत्तम शर्मा बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	औजार 11		---	कार्यालयीन पत्र क्र 951 दि. 18.11.2019	4.5.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 916 दि. 24.08.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 196 /2020		
17	109/2019	618/13	14.11.2019	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 54		अज्ञात	औजार 08		---	कार्यालयीन पत्र क्र 952 दि. 18.11.2019	20.2.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 497 दि. 20.05.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 62 /2020		
18	110/2019	618/12	3.11.2019	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56		अज्ञात	औजार 04		---	कार्यालयीन पत्र क्र 953 दि. 18.11.2019	20.2.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 502 दि. 20.05.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 67 /2020		
19	119/2019	618/14	2.12.2019	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56		अज्ञात	औजार 03		---	कार्यालयीन पत्र क्र 1017 दि. 5.12.2019	26.2.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 494 दि. 20.05.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 59 /2020		
20	120/2019	618/15	4.12.2019	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56		श्री अजब सिंह गुर्जर पुत्र मोहर सिंह गुर्जर निवासी ग्राम मझेरा	फर्शी पत्थर 14 नग औजार 18		---	कार्यालयीन पत्र क्र 1012 दि. 5.12.2019			घालान क्र 766 दि. 2.12.2020	
21	126/2019	553/22	29.12.2019	---	श्री पुरुषोत्तम शर्मा बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	औजार 06		---	कार्यालयीन पत्र क्र 48 दि. 13.1.2020	4.9.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 1191 दि. 7.11.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 232 /2020		
22	1/2019	3991/15	5.1.2019	अवैध कटाई	श्री अशोक बाथम बीटगार्ड मोहनगढ़	मोहनगढ़	पी 993		अज्ञात	खैर नग 25		श्री वृषभान कोरकू प.स. मोहनगढ़	कार्यालयीन पत्र क्र 14 दि. 8.1.2019	9.11.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 484 दि. 21.5.2021 से प्रशमन किया गया। सीसी न. 62/21		
23	9/2019	617/15	4.2.2019	अवैध परिवहन	श्री हेमराज शाक्य बीटगार्ड मझेरा	मझेरा	आर 51		अज्ञात	मो.साई.01		श्री भगवत स्वरूप कोठारी प.स. शिवपुरी	वर्तमान पदिस्थिति व. परिक्षेत्र करैरा	कार्यालयीन पत्र क्र 101 दि. 8.2.2019	23.11.2019	एस.डी.ओ.शिवपुरी के आदेश क्र 4 दि. 18.3.2021 से मो.साई.शासन पक्ष में राजसात की गई।	



 उप वनमण्डलाधिकारी
 
 वन मण्डलाधिकारी

 सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

 2020

24	39/19	617/17	6.4.2019	—	श्री हेमराज शाक्य बीटगार्ड मझेरा	मझेरा	आर 53		श्री आरिफ पुत्र अफजल खान निवासी ग्राम मझेरा तह.व जिला शिवपुरी	फर्शी पत्थर 14.13 घ.मी.	ट्रक 01 एचआर 38 एस 5989	श्री आशीष समाधिया प.स. मोहनगढ़		कार्यालयीन पत्र क्र 336 दि.9.4.2021	3.5.2019	माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय शिवपुरी के पत्र क्र 260 दि.21.6.2021 से वाहन सुपुर्दगी में दिया गया।	न्यायालय का चालान क्र 228 दि. 22.2.2021
25	49/2019	618/8	3.5.2019	—	श्री रामअवतार	खैरोना	आर 53		अज्ञात	फर्शी पत्थर	मो.साई.01	—		कार्यालयीन पत्र क्र	4.9.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 976 दि.	
26	93/2019	617/19	19.9.2019	अवेध कटाई	श्री हेमराज शाक्य बीटगार्ड मझेरा	मझेरा	आर 51		अज्ञात	खैर 10 नग साईकल 02		श्री भगवत स्वरूप कोठारी प.स.शिवपुरी	वर्तमान पदिस्थिति व परिक्षेत्र करैरा	कार्यालयीन पत्र क्र 826 दि.24.9.2019	23.11.2019	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 78 दि.15.1. 2020 से प्रशमन किया गया। सीसी न. 4/20	
27	122/2019	3991/19	10.12.2019	—	श्री ब्रजेश कुमार राय बीटगार्ड मोहनगढ़	मोहनगढ़	पी 988		अज्ञात	खैर 11 नग		श्री आशीष समाधिया प.स. मोहनगढ़		कार्यालयीन पत्र क्र 1064 दि.17.12.2019	21.2.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 501 दि.20. 5.2020 से प्रशमन किया गया। सीसी न. 66/20	
28	123/19	3991/20	24.12.2019	—	—	मोहनगढ़	पी 988		अज्ञात	खैर 12नग		—		कार्यालयीन पत्र क्र 28 दि.09.1.2020	21.2.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 500 दि.20. 5.2020 से प्रशमन किया गया। सीसी न. 65/20	

37
RO Shivan

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म०प्र०)

वनेमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2019 ,वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र	आर सी न.	पीओआर क्र	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्ष	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12/19	554/14	4.2.2019	अवैध परिवहन	श्री नकुल शर्मा	पाटखेडा	आर 49		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात
2	31/19	554/16	11.3.2019	अवैध उत्खनन	—"—	पाटखेडा	आर 49		अज्ञात	औजार 4		शासन पक्ष में राजसात
3	40/19	554/17	4.4.2019	अवैध उत्खनन	—"—	पाटखेडा	आर 49		अज्ञात	औजार 11		शासन पक्ष में राजसात
4	48/19	554/18	23.5.2019	अवैध परिवहन	—"—	पाटखेडा	आर 49		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात
5	47/19	694/3	3.5.2019	—"—	—"—	बिरघा	आर 44		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।
6	38/19	694/2	7.3.2019	अवैध उत्खनन	—"—	बिरघा	आर 44			औजार 11		शासन पक्ष में राजसात ।

र. फ. रोडियंस

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म०प्र०)

वेना

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2020, वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

27

क्र.	आर सी न.	पीओआर क्र	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्ष	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जाप्त वनोपज	जाप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	जांच अधिकारी नाम एवं पत्र	वर्तमान पदस्थिति एवं पता/मो.न.	जांच के लिये भेजने का विवरण	जांच पूर्ण होने का दिनांक	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण	परिक्षेत्र की न्यायालयीन पंजी का विवरण
1	2/2020	618/2016	12.1.2020	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 53		अज्ञात	औजार 06		---		कार्यालयीन पत्र क्र 90 दि. 24.1.2020	4.9.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 1193 दि. 7.11.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 234 /2020	
2	5/2020	553/23	19.1.2020	---	श्री पुरुषोत्तम शर्मा बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	औजार 07 फर्शी पत्थर 7		---		कार्यालयीन पत्र क्र 87 दि. 24.1.2020	4.9.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 1195 दि. 7.11.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 236 /2020	
3	6/2020	618/17	19.1.2020	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 53,56		अज्ञात	औजार 05 फर्शी पत्थर 5		---		कार्यालयीन पत्र क्र 86 दि. 24.1.2020	4.9.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 1196 दि. 7.11.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 237 /2020	
4	30/2020	553/24	18.3.2020	---	श्री पुरुषोत्तम शर्मा बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 60		अज्ञात	औजार 08		श्री वीरेन्द्र रघुवंशी प.स. माहेनगढ	वर्तमान पदस्थिति व. परिक्षेत्र बदरवास	कार्यालयीन पत्र क्र 349 दि. 17.4.2020	4.5.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 914 दि. 24.08.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 194 /2020	
5	31/2020	618/20	19.3.2020	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56		अज्ञात	औजार 06		---		कार्यालयीन पत्र क्र 350 दि. 17.4.2020	4.5.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 913 दि. 24.08.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 193 /2020	
6	32/2020	618/21	1.4.2020	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 53		अज्ञात	औजार 04		---		कार्यालयीन पत्र क्र 351 दि. 17.4.2020	4.5.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 912 दि. 24.08.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 192 /2020	
7	33/20	553/25	4.4.2020	---	श्री पुरुषोत्तम शर्मा बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 60		अज्ञात	खैर 2 नग फर्शी पत्थर 2 औजार 4		---		कार्यालयीन पत्र क्र 352 दि. 17.4.2020	4.5.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 911 दि. 24.08.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 191 /2020	
8	34/20	618/22	5.4.2020	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 56		अज्ञात	औजार 04		---		कार्यालयीन पत्र क्र 353 दि. 17.4.2020	4.5.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 910 दि. 24.08.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 190 /2020	
9	42/20	618/23	17.4.2020	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 53		अज्ञात	औजार 04		श्री रामशरण चतुर्वेदी प.स. मोहनगढ	वर्तमान पदस्थिति व. परिक्षेत्र करैरा	कार्यालयीन पत्र क्र 445 दि. 15.5.2020	3.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 487 दि. 21.5.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 65 /2021	
10	66/20	618/24	24.5.2020	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 53		अज्ञात	औजार 11		---		कार्यालयीन पत्र क्र 525 दि. 27.5.2020	3.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 488 दि. 21.5.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 66 /2021	
11	72/20	697/4	2.6.2020	---	श्री पुरुषोत्तम शर्मा बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 60		अज्ञात	औजार 5		---		कार्यालयीन पत्र क्र 563 दि. 6.6.2020	22.2.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 490 दि. 21.5.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 68 /2021	

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म०प्र०)

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

12	73/20	618/25	2.6.2020	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगाई खैरोना	खैरोना	आर 53		अज्ञात	औजार 8			कार्यालयीन पत्र क्र 564 दि. 6.6.2020	3.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 491 दि. 21.5.2020 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 69/2021
13	79/20	992/1	9.6.2020	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगाई खैरोना	खैरोना	आर 53		अज्ञात	औजार 11			कार्यालयीन पत्र क्र 599 दि. 16.6.2020	3.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 638 दि. 25.6.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 121/2021
14	139/20	697/6	30.9.2020	---	श्री पुरुषोत्तम शर्मा बीटगाई अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	औजार 07 फर्शी पत्थर 4	श्री अशोक गहलोत प.स. मोहनगढ़		कार्यालयीन पत्र क्र 1127 दि. 03.10.2020	1.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 984 दि. 28.10.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 166/2021
15	141/2020	992/3	1.10.2020	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगाई खैरोना	खैरोना	आर 56		अज्ञात	औजार 06			कार्यालयीन पत्र क्र 1129 दि. 03.10.2020	3.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 141 दि. 21.5.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 78/2021
16	143/2020	697/7	3.10.2020	---	श्री पुरुषोत्तम शर्मा बीटगाई अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	औजार 10 फर्शी पत्थर 3			कार्यालयीन पत्र क्र 1134 दि. 05.10.2020	3.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 648 दि. 25.6.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 131/2021
17	149/2020	992/4	14.10.2020	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगाई खैरोना	खैरोना	आर 53,56		अज्ञात	औजार 05			कार्यालयीन पत्र क्र 1206 दि. 20.10.2020	3.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 649 दि. 25.6.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 132/2021
18	156/20	697/8	8.11.2020	---	श्री पुरुषोत्तम शर्मा बीटगाई अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	औजार 11			कार्यालयीन पत्र क्र 1319 दि. 12.11.2020	3.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 504 दि. 21.5.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 82/2021
19	157/2020	992/5	7.11.2020	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगाई खैरोना	खैरोना	आर 53,56		अज्ञात	औजार 06			कार्यालयीन पत्र क्र 1320 दि. 12.11.2020	1.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 505 दि. 21.5.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न.
20	159/2020	992/6	10.11.2020	---	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगाई खैरोना	खैरोना	आर 53,56		अज्ञात	औजार 17			कार्यालयीन पत्र क्र 1327 दि. 12.11.2020	1.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 506 दि. 21.5.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 84/2021
21	164/20	992/8	21.11.2020	---	श्री कुणाल शर्मा बीटगाई खैरोना	खैरोना	आर 54		अज्ञात	फर्शी पत्थर 20 नग औजार 13			कार्यालयीन पत्र क्र 1423 दि. 9.12.2020	1.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 987 दि. 28.10.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 169/2021
22	167/20	624/3	25.11.2020	---	श्री अशोक गहलोत प.स. मोहनगढ़	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	फर्शी पत्थर 52 नग			कार्यालयीन पत्र क्र 1428 दि. 9.12.2020	15.9.2021	पत्र क्र 1015 दि. 17.9.2021 से अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा।
23	168/20	624/4	25.11.2020	---	---	खैरोना	आर 53,56		अज्ञात	फर्शी पत्थर 102 नग			कार्यालयीन पत्र क्र 1424 दि. 9.12.2020	15.9.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 1069 दि. 13.11.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 206/2021
24	172/20	697/9	29.11.2020	---	श्री पुरुषोत्तम शर्मा बीटगाई अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	फर्शी पत्थर 5 नग औजार 6			कार्यालयीन पत्र क्र 1433 दि. 9.12.2020	1.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 651 दि. 25.6.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 134/2021

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म०प्र०)

उप वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

25	178/20	897/10	16.12.2020	---	श्री पुरुषोत्तम शर्मा बीटगाई अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57.60		अज्ञात	औजार 10		---		कार्यालयीन पत्र क्र 1497 दि. 21.12.2020	1.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 654 दि. 25.6.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 137/2021	
26	180/20	992/9	16.12.2020	---	श्री शिवशंकर शर्मा बीटगाई खैरोना	खैरोना	आर 54.56		अज्ञात	औजार 12		---		कार्यालयीन पत्र क्र 1498 दि. 21.12.2020	3.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 509 दि. 21.5.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 87/2021	
27	1/2020	622/13	3.1.2020	अवैध परिवहन	श्री राजनीश शर्मा बीटगाई सुजवाया			फोरलाई न टोल टेक्स कोलारस शिवपुरी	सफाउद्दीन पुत्र कुतुबद्दीन खान निवासी कुसी धाना दीलदार नगर तह. जामुनिया जिला गाजीपुर उ.प्र.	खैर 950 नग	ट्रक 01 2518 -सी जीजे-आर बाय 7995	---		कार्यालयीन पत्र क्र व्यू 01 दि.04.01.2020			न्यायालय का खालान क्र आरसीटी 187/7.3.2020
28	18/20	3991/21	15.2.2020	---	---	मोहनगढ़	पी 988 992		अज्ञात	खैर 06 नग		---		कार्यालयीन पत्र क्र 174 दि.19.2.2020	25.2.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 506 दि.20.5.2020 से प्रशमन किया गया। सीसी न. 71/20	
29	21/20	3991/22	21.2.2020	---	---	मोहनगढ़	पी 988 992		अज्ञात	खैर 08 नग		---		कार्यालयीन पत्र क्र 205 दि.2.3.2020	4.9.2020	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 1197 दि.7.11.2020 से प्रशमन किया गया। सीसी न. 238/20	
30	52/20	3991/23	30.4.2020	---	---	मोहनगढ़	पी 988		अज्ञात	खैर 07 नग		श्री रामशरण	वर्तमान	कार्यालयीन पत्र क्र	15.1.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 634 दि.25.	
31	64/20	697/2	22.5.2020	---	श्री पुरुषोत्तम शर्मा बीटगाई अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	खैर 15 नग		---		कार्यालयीन पत्र क्र 523 दि.27.5.2020	5.2.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 636 दि.25.6.2021 से प्रशमन किया गया। सीसी न. 119/21	
32	67/20	960/24	28.5.2020	अवैध अतिक्रमण	श्री सतेन्द्र शर्मा वनखक	मोहनगढ़	पी 988		अज्ञात	खैर 06 नग टूट 45 नग	अतिक्रमित क्षेत्र लगभग 0.5 हे०	---		कार्यालयीन पत्र क्र 534 दि.30.5.2020	5.2.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 228 दि. 15.2.2021 से खारिज हेतु भेजा।	
33	84/20	697/5	27.8.2020	अवैध कटाई	श्री पुरुषोत्तम शर्मा बीटगाई अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 58		अज्ञात	1 घट्टा जलाऊ सतरुख लकड़ी		श्री अशोक गहलोत प.स. मोहनगढ़		कार्यालयीन पत्र क्र 691 दि.7.7.2020	5.2.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास पत्र क्र 230 दि. 15.2.2021 से खारिज हेतु भेजा।	
34	112/20	992/2	25.8.2020	अवैध परिवहन	श्री रामअवतार शर्मा, बीटगाई खैरोना	खैरोना	आर 56		अज्ञात		मो.साई.01 क्र एमपी 33 वी 9874	---		कार्यालयीन पत्र क्र 112 दि.26.8.2020	1.3.2021	प.स.मोहनगढ़ के पास पुनः पत्र क्र 87 दि. 7.2.2022 से जाच हेतु भेजा।	
35	178/20	698/3	7.12.2020	अवैध कटाई	श्री ब्रजेश कुमार राय बीटगाई मोहनगढ़	मोहनगढ़	पी 992		अज्ञात	खैर 21 नग		---		कार्यालयीन पत्र क्र 1508 दि.22.12.2020	5.2.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 652 दि.25.6.2021 से प्रशमन किया गया। सीसी न. 135/21	

Dr. R. S. Sharma

MAST
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म०प्र०)

Deena
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2020 ,वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र	आर सी न.	पीओआर क	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्ष	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11/20	554/24	2.2.2020	अवैध परिवहन	—"—			सारदा सॉल्वेंट फैक्ट्री एबी रोड शिवपुरी	मुलायम पुत्र कन्हैया आदिवासी	600 खण्डे	ट्रेक्टर लाल रंग	प्रकरण न्यायालय में पञ्चलित
2	102/20	993/4	31.7.2020	—"—	—"—			इण्डस्ट्रीयल एरिया बडौदी	अज्ञात		ट्रेक्टर ट्रौली 01 फर्शी पत्थर 60	शासन पक्ष में राजसात किया
3	121/20	993/6	31.8.2020	—"—	—"—	पाटखेडा	आर 47				मो.साई.01	राजसात कार्यवाही कर नस्तीबद्ध ।
4	130/20	993/7	18.9.20	—"—	—"—	पाटखेडा	आर 49				मो.साई.01	राजसात कार्यवाही कर नस्तीबद्ध ।
5	131/20	993/8	18.9.20	—"—	—"—	पाटखेडा	आर 47		अज्ञात		मो.साई.01	राजसात कार्यवाही कर नस्तीबद्ध ।
6	110/20	617/24	20.8.2020	अवैध परिवहन	श्री आशीष भार्गव			इण्डस्ट्रीयल एरिया बडौदी	उम्मेद पुत्र पंजाब सिंह गुर्जर	फर्शी पत्थर 6	मो.साई.01	—
7	120/20	694/15	31.8.2020	अवैध परिवहन	श्री गिरीश नामदेव	बिरघा	आर 44	इण्डस्ट्रीयल एरिया बडौदी	अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।
8	108/20	694/14	16.8.2020	—"—	—"—	बिरघा	आर 44		अज्ञात		मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।
9	107/20	694/13	10.8.2020	—"—	—"—	बिरघा	आर 44			फर्शी पत्थर 6	मो.साई.01	शासन पक्ष में राजसात ।

37
No. 11/20

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

[Signature]

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2021, वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र.	आर सी न.	पीओआर क्र.	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बोट का नाम	कक्षा	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	जांच अधिकारी नाम एवं पत्र	वर्तमान पदस्थिति एवं पता/भो.न.	जांच के लिये भेजने का विवरण	जांच पूर्ण होने का दिनांक	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण	परिक्षेत्र की न्यायालयीन पंजी का विवरण
1	181/20	992/10	23.12.2021	अवैध उत्खनन	श्री शिवशंकर शर्मा बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 53		अज्ञात	औजार 7 फर्शी पत्थर 10		---		कार्यालयीन पत्र क्र 1541 दि. 29.12.2020	1.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 655 दि. 25.6.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 138/2021	
2	1/2021	697/11	3.1.2021	---	श्री शिवशंकर शर्मा बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57		अज्ञात	फर्शी पत्थर 10 औजार 5		---		कार्यालयीन पत्र क्र 18 दि. 6.1.2021	3.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 658 दि. 25.6.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 141/2021	
3	9/2021	697/12	16.1.2021	---	श्री शिवशंकर शर्मा बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57,60		अज्ञात	फर्शी पत्थर 10 औजार 5		---		कार्यालयीन पत्र क्र 83 दि. 23.1.2021	3.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 661 दि. 25.6.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 144/2021	
4	10/2021	992/11	21.1.2021	---	श्री कुणाल शर्मा बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 53		अज्ञात	फर्शी पत्थर 08 औजार 3		---		कार्यालयीन पत्र क्र 86 दि. 23.1.2021	1.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 991 दि. 28.10.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 173/2021	
5	15/2021	992/12	4.2.2021	---	श्री कुणाल शर्मा बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 53		अज्ञात	फर्शी पत्थर 03 औजार 3		---		कार्यालयीन पत्र क्र 153 दि. 08.2.2021	1.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 993 दि. 28.10.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 175/2021	
6	16/2021	697/13	4.2.2021	---	श्री शिवशंकर शर्मा बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 57,60		अज्ञात	फर्शी पत्थर 10		---		कार्यालयीन पत्र क्र 154 दि. 08.2.2021	3.3.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 663 दि. 25.6.2021 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 146/2021	
7	31/2021	697/14	27.3.2021	---	श्री शिवशंकर शर्मा बीटगार्ड अर्जुनगवां	अर्जुनगवां	आर 60		अज्ञात	फर्शी पत्थर 10 औजार 7		---		कार्यालयीन पत्र क्र 491 दि. 31.3.2021	10.12.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 65 दि. 04.2.2022 से प्रकरण का प्रशमन किया गया। सीसी न. 6/2022	
8	35/2021	992/14	6.4.2021	---	श्री कुणाल शर्मा बीटगार्ड खैरोना	खैरोना	आर 53		श्री वीरवल पुत्र शंकरिया आदिवासी निवासी सहसादी तह. घाटीगांव जिला ग्वालियर	फर्शी पत्थर 03 औजार 7		---		कार्यालयीन पत्र क्र 518 दि. 8.4.2021			
				---					श्री हरविंद पुत्र जगदीश गुर्जर नि. जखीदा तह. घाटीगांव जिला शिवपुरी			---					

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (म०प्र०)

रु र
Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

क्र	आर सी न.	पीओआर क्र	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्ष	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	जांच अधिकारी नाम एवं पत्र	वर्तमान पदस्थिति एवं पता/मो.न.	जांच के लिये भेजने का विवरण	जांच पूर्ण होने का दिनांक	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण	परिक्षेत्र की न्यायालयीन पंजी का विवरण
9	36/2021	992/15	6.4.2021	---	श्री कुणाल शर्मा बीटगाँव खैरोना	खैरोना	आर 53		श्री विजय लाल पुत्र पन्ना लाल आदिवासी निवासी सेसरी तह.मोहना जिला ग्वालियर	फर्शी पत्थर 03 औजार 7		---		कार्यालयीन पत्र क्र 519 दि. 8.4.2021			
				---					वलवीर पुत्र बालख राम आदिवासी नि. सेसरी तह. मोहना जिला ग्वालियर								
10	37/21	697/15	11.4.2021	---	श्री शिवशंकर शर्मा बीटगाँव	अर्जुनगवा	आर 57		अज्ञात	फर्शी पत्थर 35		---		कार्यालयीन पत्र क्र 541 दि. 16.4.2021	10.12.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 66 दि. 04. 2.2022 से प्रकरण का प्रशमन किया गया।	
11	38/21	992/16	12.4.2021	---	श्री कुणाल शर्मा बीटगाँव खैरोना	खैरोना	आर 53,64		अज्ञात	फर्शी पत्थर 20		---		कार्यालयीन पत्र क्र 542 दि. 16.4.2021	20.12.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 67 दि. 04. 2.2022 से प्रकरण का प्रशमन किया गया।	
12	44/2021	992/17	28.5.2021	---	श्री कुणाल शर्मा बीटगाँव खैरोना	खैरोना	आर 53,64		अज्ञात	औजार 04		श्री आशीष समाधिया प.स.		कार्यालयीन पत्र क्र 603 दि. 31.4.2021	20.12.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 68 दि. 04. 2.2022 से प्रकरण का प्रशमन किया गया।	
13	48/21	697/16	30.5.2021	---	श्री शिवशंकर शर्मा बीटगाँव	अर्जुनगवा	आर 57		अज्ञात	फर्शी पत्थर 05		---		कार्यालयीन पत्र क्र 618 दि.7.6.2021	10.12.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 70 दि. 04. 2.2022 से प्रकरण का प्रशमन किया गया।	
14	49/2021	697/17	5.6.2021	---	श्री शिवशंकर शर्मा बीटगाँव	अर्जुनगवा	आर 60		अज्ञात	फर्शी पत्थर 07		---		कार्यालयीन पत्र क्र 619 दि.7.6.2021	10.12.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 71 दि. 04. 2.2022 से प्रकरण का प्रशमन किया गया।	
15	50/21	697/18	6.6.2021	---	श्री शिवशंकर शर्मा बीटगाँव	अर्जुनगवा	आर 60		अज्ञात	औजार 03		---		कार्यालयीन पत्र क्र 620 दि.7.6.2021	10.12.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 72 दि. 04. 2.2022 से प्रकरण का प्रशमन किया गया।	
16	51/21	992/18	6.6.2021	---	श्री कुणाल शर्मा बीटगाँव खैरोना	खैरोना	आर 53		अज्ञात	औजार 11		---		कार्यालयीन पत्र क्र 649 दि.18.6.2021	20.12.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 73 दि. 04. 2.2022 से प्रकरण का प्रशमन किया गया।	
17	54/21	992/19	21.6.2021	---	श्री कुणाल शर्मा बीटगाँव खैरोना	खैरोना	आर 53		अज्ञात	औजार 04		---		कार्यालयीन पत्र क्र 673 दि.23.6.2021	20.12.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 74 दि. 04. 2.2022 से प्रकरण का प्रशमन किया गया।	
18	56/21	697/19	23.6.2021	---	श्री शिवशंकर शर्मा बीटगाँव	अर्जुनगवा	आर 57		अज्ञात	फर्शी पत्थर 20		---		कार्यालयीन पत्र क्र 728 दि.5.7.2021	10.12.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 75 दि. 04. 2.2022 से प्रकरण का प्रशमन किया गया।	
19	57/21	697/20	26.6.2021	---	श्री शिवशंकर शर्मा बीटगाँव	अर्जुनगवा	आर 60		अज्ञात	फर्शी पत्थर 15		---		कार्यालयीन पत्र क्र 729 दि.5.7.2021	10.12.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 76 दि. 04. 2.2022 से प्रकरण का प्रशमन किया गया।	
20	59/21	992/20	30.6.2021	---	श्री कुणाल शर्मा बीटगाँव खैरोना	खैरोना	आर 53		अज्ञात	फर्शी पत्थर 38		---		कार्यालयीन पत्र क्र 727 दि.5.7.2021	20.12.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 78 दि. 04. 2.2022 से प्रकरण का प्रशमन किया गया।	
21	67/21	697/21	22.10.2021	---	श्री शिवशंकर शर्मा बीटगाँव	अर्जुनगवा	आर 57		अज्ञात	फर्शी पत्थर 07		श्री अशोक गहलोत प.स.		कार्यालयीन पत्र क्र 1161 दि.25.10.2021	10.12.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 86 दि. 04. 2.2022 से प्रकरण का प्रशमन किया गया।	
22	7/2021	1002/22	7.1.2021	---	श्री सतेन्द्र शर्मा वनवाक	मोहनगढ	पी 992		अज्ञात	तूठ 9 गग		---		कार्यालयीन पत्र क्र 46 दि.14.1.2021	10.2.2021	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पत्र क्र 660 दि.25. 6.2021 से प्रशमन किया गया। सीसी न. 143/21	

R. J. Sharma

MISIP
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (मो.प्रो)

Deena
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (सा.)

वर्ष 2021 ,वन परिक्षेत्र शिवपुरी (सा.) अंतर्गत अवैध उत्खनन, व परिहवन संबंधी पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र	आर सी न.	पीओआर क्र	दिनांक	अपराध का प्रकार	पीओआर जारी करने वाले का नाम	बीट का नाम	कक्ष	घटना स्थल	अपराधी का नाम व पता	जप्त वनोपज	जप्त वाहन एवं संपत्ति का विवरण	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14/21	997/5	31.1.2021	—"—	—"—			इण्डस्ट्रीयल एरिया बडौदी	अज्ञात		ट्रेक्टर ट्रौली 01 फर्शी पत्थर 74	एस.डी.ओ.शिवपुरी के पास राजसात हेतु भेजा ।
2	90/21	694/20	3.11.2021	अवैध उत्खनन	श्री गिरीश नामदेव			इण्डस्ट्रीयल एरिया बडौदी		फर्शी पत्थर 102	—	—
3	5/21	694/17	7.1.2021	अवैध उत्खनन	श्री गिरीश नामदेव	बिरघा	आर 44		शिवम पुत्र हरीराम आदिवासी मनोज पुत्र चेताराम आदिवासी	ऑजार 10 फर्शी पत्थर 3		वसूली उपरांत प्रकरण प्रशमन किया गया ।

रु. र. शिवपुरी


वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल शिवपुरी (सा.)


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल शिवपुरी (सा.)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी (म0प्र0).

दूरभाष एवं फेक्स नं:- 07492-221012 • ई-मेल:- dfotshivp@mp.gov.in • मोबाइल:- 9424794737

क्रमांक/स्था./2020/3489

शिवपुरी, दिनांक/08.07.2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक

शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

विषय:- श्री भुवनेश कुमार योगी, वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र शिवपुरी के विरुद्ध आरोप-पत्र बाबत।

- संदर्भ:-
1. मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी का पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/1316 दिनांक 20;03;2020।
 2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था./2020/2115 दिनांक 06;05;2020।
 3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन 2) भोपाल के पत्र क्रमांक/वक्षेकक्ष/1809 दिनांक 13.05.2020.

—000—

विषयांतर्गत लेख है कि, श्री भुवनेश कुमार योगी वन परिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी के विरुद्ध उनकी पदस्थिति अवधि दिनांक 05.07.2019 से अपने पदीय दायित्वों का प्रभावी रूप से पालन न करते हुए वनक्षेत्र में लगातार अवैध उत्खनन एवं अवैध कटाई के प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं। श्री योगी द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वाहन न करते हुए समयावधि में मान्नीय न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत न करने से चार अपराधियों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ। श्री योगी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति सन्निष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता में लापरवाही बरती जिससे अपराधियों को लाभ प्राप्त हुआ एवं वनक्षेत्र को हानि हुई। इस प्रकार श्री योगी ने अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2) एवं म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया है।

PROVISIONAL FOREST OFFICER
DIVISION SHIVPUR (M.P.)

उपरोक्त कृत्य कदाचार की श्रेणी में आता है। अतः श्री भुवनेश कुमार योगी को वनसुरक्षा की दृष्टी से तत्काल वनपरिक्षेत्र शिवपुरी से हटाये जाने की अनुसंशा की जाती है तथा इनके द्वारा किये कदाचरण के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र तैयार कर अनुमोदनार्थ संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न:- आरोप पत्र (01 लगायत 63)


(लवित भारती)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी

पृ. क्रमांक/स्था./2020/3490

शिवपुरी, दिनांक/08.07.2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन।।) भोपाल मध्य प्रदेश की आरे सूचनार्थ सम्पेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सर्त-शिकायत) भोपाल की ओर आपसे हुई दूरभाष पर चर्चा अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्पेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी

9/2


वन मण्डलाधिकारी
तामानच वन मण्डल शिवपुरी

1/1/2021

'परिशिष्ट- 1'

श्री भुवनेश कुमार योगी वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र शिवपुरी सामान्य वनमण्डल शिवपुरी के विरुद्ध प्रस्तावित आरोप पत्र :-

श्री भुवनेश कुमार योगी वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र शिवपुरी की पदस्थिति अवधि दिनांक 05.07.2019 से आज दिनांक तक उनके द्वारा की गई अनियमितता के लिए निम्न आरोप से आरोपित किया जाता है-

आरोप क्रमांक 1 :-

आपकी पदस्थिति अवधि के दौरान वन परिक्षेत्र शिवपुरी के अंतर्गत मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी के आदेश के अनुक्रम में श्री जी.एल. जोनवार, उप वनमण्डलाधिकारी उप वनमण्डल गुना द्वारा बीट डबिया के कक्ष क्रमांक पी.-975 का निरीक्षण किया गया। जिसमें पूर्व से उत्खनित गड्डों के पास में एक नवीन उत्खनित गड्डा कुल परिमाण 79.75 घनमीटर का पाया गया जो मौके से अवैध पत्थर फर्सी का उत्खनन पाया गया वो लगभग 3 माह के अंदर का पाया गया तथा गड्डा क्रमांक 02 एवं 03 में मिट्टी खोदकर उत्खनन करने का प्रयास किया गया था। अतः गड्डा क्रमांक 1 में 79.75 घनमीटर की शासन को हानि हुई है जिसका फर्सी पत्थर एवं ढोका पत्थर उत्खनन दर 1100/- प्रति घनमीटर के अनुसार राशि 87725/- रुपये की शुद्ध हानि शासन को हुई।

इस प्रकार श्री योगी द्वारा अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति सन्निष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता में लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाने से वन हानि हुयी । श्री योगी के उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आकर श्री योगी को म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु दण्ड का भागीदार बनाया है।

आरोप क्रमांक 2:-

श्री भुवनेश कुमार योगी, वनपरिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी की पदस्थिति अवधि के दौरान अंतरराज्यीय खैर अपराधियों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण पंजीवद्ध किया गया तथा आरोपी राकेश राठौर, रफीक खौन, इरफान खान , अफसर खौन, वसीम खौन एवं अशरफ खौन को गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में उडनदस्ता वनमण्डल शिवपुरी व अन्य वन दल के साथ ट्रक क्रमांकGJ12Y7995 में छिली हुई खैर की लकड़ी 13 टन 950 नग जप्त कर आरोपी ट्रक ड्राइवर सफाउद्दीनपुत्र कुतुबुदीन खान गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

उक्त दोनों प्रकरणों में सभी आरोपियों द्वारा समय-समय पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जमानत याचिकाएँ दायर की गई जिन्हें माननीय न्यायालयों

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी


द्वारा खारिज कर दिया गया। आपके द्वारा भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रकरण की विवेचना एवं न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के उत्तरदायित्व के निर्वहन को गंभीरता से नहीं लिया जाकर गिरफ्तार आरोपी राकेश राठौर, अफसर खॉन एवं सफाउद्दीन पुत्र कुतुबुद्दीन खॉन की नियमानुसार गिरफ्तारी दिनांक के 60 दिवस बाद भी माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप माननीय जे.एम.एफ.सी. जिला न्यायालय शिवपुरी द्वारा द.प्र.स. की धारा 167 की उप धारा 2 के परन्तुक क-11 के अनुसार उक्त अभियुक्तों को जमानत दे दी गई।

इस प्रकार श्री योगी द्वारा अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति सन्निष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता में लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाने से आरोपियों को लाभ प्राप्त हुआ एवं शासन का पक्ष कमजोर हुआ। श्री योगी के उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आकर आपको म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु दण्ड का भागीदार बनाया है।

आरोप क्रमांक 3:-

आपकी पदस्थिति के दौरान उडनदस्तादल वनमण्डल शिवपुरी द्वारा आपके परिक्षेत्रान्तर्गत वी बिची के कक्ष क्रमांक 996 का दिनांक 26.04.2020 को निरीक्षण के दौरान अवैध कटाई के 274 खैर ठूठ पाये, जिसमें जप्त की गयी लकड़ी को आपके द्वारा नियम विरुद्ध बिना कार्टिंग चालान एवं सू तैयार किये बिना परिवहन कराया गया। दिनांक 10.05.2020 वीट सुनरिया के कक्ष क्रमांक पी-981 निरीक्षण के दौरान अवैध कटाई के 85 खैर ठूठ एवं 07 सतरूखा ठूठ कुल 92 अवैध कटाई के ठूठ पा गये। दिनांक 28.05.2020 को वीट मोहनगढ के कक्ष क्रमांक पी 988 के निरीक्षण के दौरान अवैध कटाई के कुल 65 ठूठ खैर एवं 1/2 हैक्टर में ताजी जुताई कर अतिक्रमण होना पाया गया। उक्त प्रकरणों में शासन का शुद्ध हानि कुल रु 63280 की हुई है। इस प्रकार आपके द्वारा वनसुरक्षा लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है, जबकि वनसुरक्षा वनपरिक्षेत्राधिकारी का मूल रूप से पद दायित्व है। इस प्रकार श्री योगी द्वारा अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति सन्निष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता में लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाने से वन हानि हुयी। श्री योगी के उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी आकर आपको म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु दण्ड का भागीदार बनाया है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शिवपुरी



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

मुख्य वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

57
1/2
7/11

"परिशिष्ट- 2"

श्री भुवनेश कुमार योगी वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र शिवपुरी सामान्य वनमण्डल शिवपुरी के उप अधिरोपित आरोप तथ्यों का विस्तृत विवरण जिस पर आरोप आधारित है।:-

आरोप क्रमांक 1 :-

मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी के आदेश क्रमांक/व.नि.स./2019/234 शिवपुरी दिनांक 31.12.2019 एवं पत्र क्रमांक/व.नि.स./2020/364 शिवपुरी दिनांक 23.01.2020 के पालन में दिनांक 31.01.2020 को श्री जी.एल. जोनवार, उप वनमण्डलाधिकारी उप वनमण्डल गुना का पत्र क्रमांक/134 दिनांक 03.02.2020 के संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी गुना उत्तर, वन परिक्षेत्राधिकारी फतेहगढ़/बमौर एवं स्टाफ को साथ में लेकर शिवपुरी जाकर वन परिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी, परिक्षेत्र सहायक सुरवाया परिक्षेत्र सहायक शिवपुरी एवं बीटगार्ड डबिया, बीटगार्ड मझेरा तथा स्टाफ को साथ में लेकर शिवपुरी वन परिक्षेत्र से संबंधित अवैध उत्खनन की जांच हेतु वन परिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी से चर्चा कर उत्खनित स्थल मझेरा जाकर परिक्षेत्र अधिकारी तथा स्टाफ के द्वारा बताये गये अवैध उत्खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कक्ष क्रमांक 51 घूमफिरकर उनके द्वारा बताये गये स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोई अवैध उत्खनन नहीं पाया गया। तथा सुरवाया जाकर बीट डबिया के ग्राम घुटेला के आस-पास कक्ष क्रमांक पी.977 का निरीक्षण किया गया। जिसमें अवैध उत्खनन पाया गया तथा ग्राम डबिया जाकर बीट डबिया के कक्ष क्रमांक पी.975 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कक्ष क्रमांक पी. 975 में पूर्व से उत्खनित गड्डों के पास में एक नया गड्डा पाया गया जिसमें उत्खनन होना पाया गया। जिसका मौके पर परिमाप किया गया जिसकी लंबाई 11 मीटर चौड़ाई 5 मीटर एवं गहराई 1.45 मीटर पाई गई जिसका कुल घनमीटर 79.75 पाया गया। जो मौके से अवैध पत्थर-फर्शी का उत्खनन पाया गया। जो लगभग 03 माह के अंदर का पाया गया। तथा गड्डा क्रमांक 02 एवं 03 में मिट्टी खोदकर उत्खनन करने का प्रयास किया गया था लेकिन उत्खनन नहीं पाया गया। अतः गड्डा क्रमांक 01 में 79.75 घनमीटर की शासन को हानि हुई है। जिसका फर्शी-पत्थर एवं ढोका पत्थर उत्खनन दर 1100/- रुपये प्रतिघनमीटर मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी के पत्र क्रमांक/राजस्व/2019/429 दिनांक 06.02.2019 के अनुसार राशि रुपये 87725/- (सतासी हजार सात सौ पच्चीस रुपये मात्र) की शासन को हानि हुई तथा मौके पर स्थलवार पंचनामा बनाया गया। तथा वनरक्षक एवं परिक्षेत्र अधिकारी से पूछा गया उनके द्वारा बताया गया कि गड्डा क्रमांक 01 पर कोई वन अपराध दर्ज नहीं किया गया अगर वन क्षेत्र में अपराध होता है तो वन अपराध दर्ज कर अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत करना चाहिए। जबकि परिक्षेत्राधिकारी या स्टाफ के द्वारा वन सुरक्षा के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार श्री योगी ने अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम

Sharma

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

31(2) एवं म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप क्रमांक 02:-

श्री भुवनेश कुमार योगी, वनपरिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी की पदस्थिति अवधि के दौरान दिनांक 19/09/19 को वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर गरिमा पेट्रोलपंप के पास रायश्र रोड पर स्थित राकेश राठौर के गोदाम पर अवैध खैर की लकड़ी रखे होने की सूचना पर सर्चवारंट की तामीली ममता राठौर से करा कर गोदाम की जाँच करने पर उसमें छिली हुई खैर की लकड़ी के 159 नग एवं बिना छिली खैर की लकड़ी के 255 नग कुल 414 नग मौके से ममता राठौर से जप्त किये गए साथ ही मौके से चार कुल्हाड़ी दो आरा एवं एक इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा भी ममता राठौर से जप्त किया गया। जिस पर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 622/12 दिनांक 19/09/19 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) च, 26 (1) छ, 52 (1), भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 7, 24 (2) 55 (2), मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार विनियम काष्ठ नियम 1973 का नियम 9(1), काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 की धारा 2 च, मध्य प्रदेश व्यापार वन उपज विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5 (1), 11, 12(3), 15(1), 15(2), 16, 17 के तहत वनअपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसमें पूछताछ के दौरान ममता राठौर के द्वारा बताया गया कि उक्त खैर की लकड़ी का धंधा मेरे पति राकेश राठौर के द्वारा किया जाता है। ममता राठौर के बयानों के आधार पर राकेश राठौर को गिरफ्तार किया गया।

भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रकरण की विवेचना एवं न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी की होती है। परंतु आपके द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया एवं गिरफ्तार आरोपी राकेश राठौर का नियमानुसार गिरफ्तारी दिनांक के 60 दिवस बाद भी माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत नहीं किया जिससे माननीय जे.एम.एफ.सी. जिला न्यायालय शिवपुरी द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 167 की उप धारा 2 के परन्तुक क-11 के अनुसार उक्त अभियुक्त को जमानत दे दी गई।

राकेश राठौर के बयानों के आधार पर रफीक खान को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपने बयानों में इरफान खान, अफसर खान एवं राकेश राठौर के साथ खैर की लकड़ी का व्यापार करना स्वीकार किया गया है। बाद वीरू गौर, इरफान खान एवं अफसर खान की भी गिरफ्तारी भी की गई। इरफान खान के बयानों के आधार पर अफसर खान निवासी चुतुरुखेडी तह. सारंगपुर जिला राजगढ की गिरफ्तारी दि. 31-12-19 को गई। बाद अफसर खान के बयानों के आधार पर तसीर आलम की गिरफ्तारी की गई उसके साथ ही वसीम खान एवं अशरफ खान निवासी रतलाम व आजाद अब्बासी को टाटा टिगोर कार के साथ जिसमें खैर की लकड़ी रखी हुई थी, के साथ गिरफ्तार किया गया।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

उक्त सभी आरोपियों द्वारा समय-समय पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जमानत याचिकाएँ दायर की गईं जिन्हें माननीय न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिया गया।

परंतु पुनः श्री योगी द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया एवं गिरफ्तार आरोपी अफसर खान का नियमानुसार गिरफ्तारी दिनांक के 60 दिवस बाद भी माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत नहीं किया। जिससे न्यायालय द्वारा दंप्रसं की धारा 167 की उप धारा 2 के परन्तुक क-11 के अनुसार उक्त अभियुक्त को जमानत दे दी गई।

इसी प्रकार पी.ओ.आर. प्र.क्र. 622/13 दिनांक 03.01.2020 में वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल शिवपुरी की सूचना पर उडनदस्ता वनमण्डल शिवपुरी व अन्य वन दल के साथ एक ट्रक क्रमांक GJ12Y7995 में छिली हुई खैर की लकड़ी 13 टन 950 नग जप्त किया गया एवं ट्रक ड्राइवर सफाउद्दीनपुत्र कुतुबुदीन खान हाल निवासी भिलाड़ गुजरात मूल रूप से गाजीपुर उत्तर प्रदेश को भी गिरफ्तार किया गया। जिसकी जमानत याचिकाएँ भी समय-समय पर माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई थी। उक्त अभियुक्त को भी श्री योगी परिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी द्वारा नियमानुसार गिरफ्तारी दिनांक के 60 दिवस बाद भी माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत ना किये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा नियमानुसार जमानत दे दी गई।

श्री योगी के द्वारा अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति सन्निष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता में लापरवाही बरती जिससे अपराधियों को लाभ प्राप्त हुआ एवं शासन पक्ष कमजोर हुआ। इस प्रकार श्री योगी ने अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2) एवं म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप क्रमांक 3:-

श्री भुवनेश कुमार योगी, वनपरिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी की पदस्थिति अवधि के दौरान आपके परिक्षेत्र की वीट बिची के कक्षक्रमांक पी. 996 दिनांक 26.04.2020 को वीट निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान 274 खैर वृक्षों के अवैध टूठ पाये गये जिनका पी.ओ.आर. क्रमांक 960/16 दिनांक 26.04.2020 जारी किया गया। 274 टूठों की 276 लकड़ी जप्त की गई थी जिसे आपके द्वारा बिना कार्टिंग चालान एवं बिना सूची तैयार कराये लकड़ी परिवहन कराई गई जो की नियम विरुद्ध है। जिसमें 01 ट्रॉली लकड़ी श्री रामचरण केवट वनरक्षक द्वारा आपकी जानकारी में होते हुये भी वह अपने रिश्तेदार के घर ले गया तिसे बाद में जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 960/17 दिनांक 28.04.2020 कायम किया गया। इस प्रकार 274 टूठों की कुल हानि 01 गर्थ कम करने पर हानि 220290/- रु

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

से जप्त की गई लकड़ी की कीमत 170730/- घटाने पर शुद्ध हानि 31560/- रु होती है।

श्री योगी के प्रभार में परिक्षेत्र की वीट सुनरिया के कक्षक्रमांक पी 981 दिनांक 10.05.2020 का उडनदस्तादल वनमण्डल शिवपुर द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान 85 खैर एवं 07 सतरुखा कुल 92 नग टूठ पाये गये जिनका पी.ओ.आर क्रमांक 960/20 दिनांक 10.05.2020 जारी किया गया। 85 टूठों की 22 खैर लकड़ी मौके पर जप्त की जिसे वीट गार्ड की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार 85 टूठों की 01 गर्थ कम करने पर कुल हानि 25650/- रु जिसमें से जप्त की गई लकड़ी की कीमत घटाने पर 6160/- शुद्ध हानि 19490/- होती है। आपके परिक्षेत्र की वीट मोहनगढ के कक्ष क्रमांक पी. 988 दिनांक 28.05.2020 का उडनदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान 65 टूठ खैर पाये गये एवं 1/2 हे. में ताजी जुताई कर अतिक्रमण होना पाया गया। उक्त पाये गये 65 टूठों में वीट गार्ड द्वारा 20 टूठ एवं 1/2 हे. अतिक्रमण का वन अपराध प्रकरण क्रमांक 399/25 दिनांक 23.05.2020 जारी किया जाना बताया गया, शेष 45 टूठों की उडनदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 960/24 दिनांक 28.05.2020 कायम किया गया। मौके पर मिली खैर लकड़ी नग 06 को वीट गार्ड की सुपुर्दगी में दिया गया इस प्रकार 45 टूठों की 01 गर्थ कम करने पर शुद्ध हानि 21910/- रु जिसमें जप्त की गई लकड़ी की कीमत 9680/- घटाने पर शुद्ध हानि 12230/- होती है। श्री योगी की पदस्थिति अवधि के दौरान आपके वनपरिक्षेत्र शिवपुरी की वीट बिची, सुनरिया एवं मोहनगढ जिनके कक्ष क्रमांक क्रमशः पी. 996, पी. 981 एवं पी. 988 में 274, 85 एवं 45 खैर वृक्ष के टूठ पाये गये। जिनकी कुल हानि रु. 63280/- है। आपके द्वारा अपने परिक्षेत्र की उक्त वीटों को वन सुरक्षा में अपने कर्तव्यों के प्रति सन्निष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता में लापरवाही बरती गई है जिससे शासन को हानि हुई। इस प्रकार श्री योगी ने अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2) एवं म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शिवपुरी

मुख्य वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

"परिशिष्ट- 3"

उत्तेजों की सूचि जिनके आधार पर श्री भुवनेश कुमार योगी वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र शिवपुरी सामान्य वनमण्डल शिवपुरी के विरुद्ध अधिरोपित आरोपों को प्रमाणित किया जाना है:

आरोप क्रमांक 1 से संबंधित:-

1. दल प्रभारी श्री जी.एल. जोनवार, उप वनमण्डलाधिकारी उप वनमण्डल गुना की रिपोर्ट दिनांक 03.02.2020 (01 लगायत 04 पृष्ठ)

आरोप क्रमांक 2 से संबंधित:-

1. माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी का आदेश दिनांक 03.03.2020।
2. माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी का आदेश दिनांक 07.03.2020।
3. माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर याचिका क्रमांक एम.सी.आर.सी.45889/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.11.19।
4. कार्यवाही का तख्ता रेंज केस नम्बर 92/2019।

आरोप क्रमांक 3 से संबंधित:-

1. प्रकरण क्रमांक 960/16 में उडनदस्ता प्रभारी वनमण्डल शिवपुरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 27.04.2020 (01 लगायत 27 पृष्ठ)।
2. प्रकरण क्रमांक 960/20 में उडनदस्ता प्रभारी वनमण्डल शिवपुरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 12.05.2020 (01 लगायत 12 पृष्ठ)।
3. प्रकरण क्रमांक 960/24 में उडनदस्ता प्रभारी वनमण्डल शिवपुरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 29.05.2020 (01 लगायत 08 पृष्ठ)।



वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल शिवपुरी

मुख्य वन संरक्षक

शिवपुरी वृत्त शिवपुरी



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

"परिशिष्ट- 4"

अभियोजन साक्ष्य की सूची जिसके आधार पर श्री भुवनेश कुमार योगी वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र शिवपुरी सामान्य वनमण्डल शिवपुरी के विरुद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित किया जाना है:-

आरोप क्रमांक 1 से संबंधित:-

1. श्री जी.एल. जोनवार, उप वनमण्डलाधिकारी उप वनमण्डल गुना।
2. श्री सुधीर शर्मा, वन परिक्षेत्राधिकारी गुना उत्तर।
3. श्री महाराज सिंह, वन परिक्षेत्राधिकारी फतेहगढ़/बमौरी।
4. श्री आशीष समाधिया, परिक्षेत्र सहायक शिवपुरी।
5. श्री अशोक सिंह, परिक्षेत्र सहायक सुरवाया।
6. श्री बहादुर सिंह सूर्यवंशी, वनरक्षक।
7. श्री कमल कुमार वर्मा, वनरक्षक।

आरोप क्रमांक 2 से संबंधित:-

1. अरुण कुमार भार्गव उडनदस्ता प्रभारी वनमण्डल शिवपुरी।
2. आशीष समाधिया उप वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक शिवपुरी एवं जांच अधिकारी।
3. नकुल शर्मा, वनरक्षक, वनपरिक्षेत्र शिवपुरी।
4. गिरीश नामदेव, वनरक्षक, वनपरिक्षेत्र शिवपुरी।

आरोप क्रमांक 3 से संबंधित:-

1. अरुण कुमार भार्गव उडनदस्ता प्रभारी वनमण्डल शिवपुरी।
2. वीरेन्द्र रघुवंशी, तत्कालीन परिक्षेत्रसहायक, मोहन गढ़।
3. सुनील सिंह वनरक्षक उडनदस्ता शिवपुरी।
4. मुकेश श्रीवास्तव तत्कालीन वीट गार्ड विची
5. विजय गौड वनरक्षक उडनदस्ता शिवपुरी
6. अशोक सिंह परिक्षेत्र सहायक सुरवाया,
7. रामस्नेही शर्मा वनरक्षक वीट गार्ड सुनरीया,

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

- 8. हेमन्त गोस्वामी स्थाईकर्मि उडनदस्ता शिवपुरी
- 9. रामचरण चतुर्वेदी ततकलीन परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ
- 10. बृजेश राय वीट गार्ड मोहनगढ
- 11. रामचरण केवट, वनरक्षक, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शिवपुरी

मुख्य वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

पुराण एवं फॅक्स नं. 07402-221012 ई मेल dfotshivp@mp.gov.in मोबाइल नं. 9424794737

शिवपुरी, दिनांक/03-08-2021

क्रमांक./स्था./2021/4039
प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी (म.प्र.)

विषय :- आरोप पत्र का प्रारूप भेजने बाबत।

-00-

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्री आशीष समाधिया, उप वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक शिवपुरी वन परिक्षेत्र शिवपुरी के अतिरिक्त प्रभार परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ वन परिक्षेत्र शिवपुरी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रारूप तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- आरोप पत्र का प्रारूप।


(मीना कुमारी मिश्रा)
वन मण्डलाधिकारी
सा. वन मण्डल शिवपुरी(म.प्र.)



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

परिशिष्ट-- (1)

श्री आशीष समाधिया, उप वनक्षेत्रपाल, दिनांक 22.04.2021 से दिनांक 02.07.2021 तक शिवपुरी पश्चिम के अंतर्गत सबरेज मोहनगढ़ के अतिरिक्त प्रमार में रहे। इस अवधि में उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए उन्हें निम्नांकित आरोप से आरोपित किया जाता है।


आरोप क्र. 01:-


श्री आशीष समाधिया, उप वनक्षेत्रपाल, सबरेज मोहनगढ़ (अतिरिक्त प्रमार) के कार्यकाल में बीट खैरोना में कक्ष क्र. आर. 53 में निरीक्षण के दौरान पूर्व से उत्खनित गड्ढों में ताजा उत्खनन के प्रमाण पाये गये एवं निरीक्षण के दौरान बीट खैरोना में राजस्थानी मेढ़े एवं ऊंट अवैध रूप से घरते हुए पाये गये। आपके द्वारा उपरोक्त गम्भीर वन अपराधों को रोकने की कार्यवाही नहीं की गई। आपके द्वारा वन क्षेत्र की सुरक्षा में घोर लापरवाही बरतते हुए कर्तव्य परायणता का परिचय न देकर अपने आप को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया है।

आरोप क्र. 02 :-

श्री आशीष समाधिया, उप वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़, की प्रमार अवधि में बीट खैरोना में कक्ष क्र. आर. 54 में एन.पी.व्ही. केम्पा मद के अंतर्गत 25 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य कराया गया था। उक्त वृक्षारोपण का निरीक्षण उड़नदस्ता दल द्वारा दिनांक 07.07.2021 को किये जाने पर गम्भीर अनियमिततायें पायी गई। वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर उत्खनन के 02 गड्ढे मिले जिसमें एक गड्ढे में ताजा अवैध उत्खनन के निशान मिले। उक्त वृक्षारोपण के अन्दर भैंस चराने वालों की 02 टपरिया डली हुई मिली। आपके द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा के महत्वपूर्ण कार्य को करने में घोर लापरवाही करते हुए आपके द्वारा अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया गया। इस प्रकार आपने स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया है।

मुख्य वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी


वनमण्डलाधिकारी
सा. वनमण्डल शिवपुरी



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

परिशिष्ट- (2)


श्री आशीष समाधिया, उप वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक शिवपुरी, वन परिक्षेत्र शिवपुरी, सा. वनमण्डल शिवपुरी के ऊपर अचिरोपित आरोप के तथ्यों का विवरण जिसपर आरोप आधारित है:- श्री आशीष समाधिया दिनांक 04.12.2019 से आज दिनांक तक परिक्षेत्र सहायक शिवपुरी, के पद पर वन परिक्षेत्र शिवपुरी सा. वनमण्डल शिवपुरी में पदरथ है।

श्री आशीष समाधिया, उप वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ की प्रभार अवधि के दौरान दिनांक 01.07.2021 को उप वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डल शिवपुरी एवं उड़नदस्ता दल तथा अन्य स्टाफ के द्वारा बीट खैरोना के कक्ष क्र. आर.एफ. 53 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कक्ष क्र. आर.एफ. 53 में अवैध पत्थर फर्शी उत्खनन के बड़े-बड़े गड्डे पाये गये, जिनमें ताजा उत्खनन के प्रमाण जैसे कि, नये सफेद पत्थर, पत्थर काटने के चिन्ह, पत्थर कटाई के टुकड़े एवं बेस्ट मटेरियल मौके पर पाया गया। जबकि दिनांक 08.06.2021 को निरीक्षण के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि, वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन पर पूर्णतः रोक लगाई जाये। निरीक्षण के दौरान ही बीट खैरोना में राजस्थानी भेड़ नग 2103 एवं ऊँट 05 नग वन क्षेत्र में अवैध रूप से चरते हुए एवं वन क्षेत्र को गम्भीर क्षति पहुँचाते हुए पाये गये। इस प्रकार श्री आशीष समाधिया द्वारा अपने पदीय कर्तव्य का पालन नहीं किया गया। श्री समाधिया ने वन सुरक्षा के दायित्व का निर्वहन नहीं करके एवं कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही बरतते हुए अपने आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया है।

आरोप क्र. 02 :-

श्री आशीष समाधिया, उप वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ के अतिरिक्त प्रभार अवधि के दौरान दिनांक 07.07.2021 को वनमण्डलाधिकारी, सा. वनमण्डल शिवपुरी के निर्देश पर उड़नदस्ता दल, सा. वनमण्डल शिवपुरी द्वारा वन परिक्षेत्र शिवपुरी की बीट खैरोना के कक्ष क्र. आर.एफ. 54 में स्थित एन.पी.व्ही. वृक्षारोपण (कम्पा मद) क्षेत्रफल 25 हैक्टेयर वर्ष 2018-19 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर अवैध उत्खनन के 02 गड्डे मिले जिनमें ताजा उत्खनन पाया गया। एक गड्डे में 2X3 फुट के 35 नग, 1.5X2 फुट के 20 नग, 1X2 फुट के 10 नग पत्थर फर्शी रखे मिले एवं दूसरे गड्डे में 04 नग पत्थर फर्शी रखे मिले। वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर भैंस चराने वालों की 02 टपरिया बनी हुई पाई गयी। इस प्रकार आपके द्वारा अपने कार्य के प्रति उदासीनता एवं वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा में घोर लापरवाही बरती गई है। इस प्रकार आपके द्वारा अपने आप को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया है।

मुख्य वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी


वनमण्डलाधिकारी
सा. वनमण्डल शिवपुरी



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

परिशिष्ट:- (3)

अभिलेखों की सूची जिनके आधार पर श्री आशीष समाधिया, उप वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ (अतिरिक्त प्रभार), वन परिक्षेत्र शिवपुरी सा. वनमण्डल शिवपुरी के विरुद्ध अधिरोपित आरोप को प्रमाणित किया जाना है :-

- आरोप क्र. 01 :-
- (1). वन परिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी का पत्र क्र./712 दिनांक 01.07.2021
 - (2). वन अपराध प्रकरण क्र. 992/21 दिनांक 01.07.2021 वन परिक्षेत्र शिवपुरी।

- आरोप क्र. 02:-
- (1). प्रभारी उड़नदस्ता दल, सा. वनमण्डल शिवपुरी की रिपोर्ट दिनांक 07.07.2021
 - (2). पंचनाम दिनांक 07.07.2021
 - (3). पंचनाम दिनांक 08.07.2021

मुख्य वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

Deena
वनमण्डलाधिकारी
सा. वनमण्डल शिवपुरी

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

परिशिष्ट:- (4)

अभियोजन साक्ष्यों की सूची जिसके आधार पर श्री आशीष समाधिया, उप वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ (अतिरिक्त प्रभार) वन परिक्षेत्र शिवपुरी, सा. वनमण्डल शिवपुरी के विरुद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित किया जाना है:-

- आरोप क्र. 01 :-
- (1). श्री सचिन कान्त, प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल सा. वनमण्डल शिवपुरी।
 - (2). श्री अंकित भदौरिया, प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल, सा. वनमण्डल शिवपुरी।
 - (3). श्री गिर्राज राजपूत, वनरक्षक बीटगार्ड विधी वन परिक्षेत्र शिवपुरी।
 - (4). श्री शिवशंकर शर्मा, वनरक्षक बीटगार्ड अर्जुनगवां वन परिक्षेत्र शिवपुरी।

- आरोप क्र. 02 :-
- (1). श्री अरुण कुमार भार्गव, उप वनक्षेत्रपाल, उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी।
 - (2). श्री सतेन्द्र शर्मा, वनरक्षक उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी।
 - (3). श्री कमलजीत सिंह कुशवाह, वनरक्षक उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी।
 - (4). श्री सुनील कुमार सिंह, वनरक्षक उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी।

मुख्य वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी


वनमण्डलाधिकारी
सा. वनमण्डल शिवपुरी


वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

दूरभाष एवं फैक्स नं. 07492-221012 ई मेल dfo@shivp@mp.gov.in मोबाइल नं. 9424794737

क्रमांक./स्था./2021/4410
प्रति,

शिवपुरी, दिनांक/14-08-2021

मुख्य वन संरक्षक,
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी (म.प्र.)

विषय :- आरोप पत्र का प्रारूप भेजने बावत।

-00-

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्री अशोक कुमार गहलोत, उप वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ वन परिक्षेत्र शिवपुरी के विरुद्ध आरोप पत्र का प्रारूप तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- आरोप पत्र का प्रारूप।

(मीना कुमारी मिश्रा)
वन मण्डलाधिकारी

सा. वन मण्डल शिवपुरी(म.प्र.)

Attested

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

परिशिष्ट:- (1)

श्री अशोक कुमार गहलोत, उप वन क्षेत्रपाल, दिनांक 10.07.2020 से वर्तमान तक परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़, वन परिक्षेत्र शिवपुरी, सा. वनमण्डल शिवपुरी के पद पर पदस्थ रहे। इस अवधि में उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए उन्हें निम्नांकित आरोप से आरोपित किया जाता है।


आरोप क्र. 01:-


श्री अशोक कुमार गहलोत, परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ की पदस्थिति अवधि में बीट खैरोना में कक्ष क्र. आर.एफ. 53 एवं 56 में निरीक्षण के दौरान आपकी पदस्थिति अवधि के उत्खनित गड़डे पाये गये। इन गड़डों को देखकर यह स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा था कि, उक्त गड़डों में उत्खनन आपकी पदस्थिति अवधि से हो रहा था, जो कि निरीक्षण दिनांक तक जारी था। जिससे आपके द्वारा वन क्षेत्र की सुरक्षा में घोर लापरवाही बरतते हुए कर्तव्य परायणता का परिचय न देकर अपने आप को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया है।

आरोप क्र. 02 :-

श्री अशोक कुमार गहलोत, परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ में बीट खैरोना में कक्ष क्र. आर. 54 में एन.पी.व्ही. केम्पा मद के अंतर्गत 25 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण स्थित था। उक्त वृक्षारोपण का निरीक्षण उड़नदस्ता दल द्वारा दिनांक 07.07.2021 को किये जाने पर गम्भीर अनियमिततायें पायी गई। वृक्षारोपण क्षेत्र को पशु अवरोधक दीवाल से घेरकर सुरक्षित किया जाना था, परन्तु आपके द्वारा गेट बनवाकर नहीं लगवाया गया और न ही आपके द्वारा इसकी सूचना अपने वरिष्ठ को दी गई एवं रोपण क्षेत्र को अवैध पशु चराई के लिए खुला छोड़ दिया गया। उक्त रोपण क्षेत्र के अन्दर उत्खनन के 02 गड़डे मिले जो कि आपकी परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ पदस्थिति अवधि के दौरान अवैध उत्खनन से निर्मित हुये थे। उक्त वृक्षारोपण के अन्दर भैंस चराने वालों की 02 टपरिया डली हुई मिली। आपके द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा के महत्वपूर्ण कार्य को करने में घोर लापरवाही करते हुए आपके द्वारा अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया गया। इस प्रकार आपने स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया है।

मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी म.प्र.


वनमण्डलाधिकारी
सा. वनमण्डल शिवपुरी म.प्र.

Attested

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

परिशिष्ट:- (2)
आरोप का आधार


श्री अशोक कुमार गहलोत, उप वन क्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ वन परिक्षेत्र शिवपुरी, सा. वनमण्डल शिवपुरी के ऊपर अधिरोपित आरोप के तथ्यों का विवरण जिसपर आरोप आधारित है:-

श्री अशोक कुमार गहलोत, दिनांक 10.07.2020 से आज दिनांक तक परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ के पद पर वन परिक्षेत्र शिवपुरी, सा. वनमण्डल शिवपुरी में पदस्थ है।
आरोप क्र. 01 का आधार :-

श्री अशोक कुमार गहलोत, परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ की हैशियत से पदस्थ हैं। वनमण्डलाधिकारी, सा. वनमण्डल शिवपुरी के निर्देश पर उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी द्वारा वन परिक्षेत्र शिवपुरी की बीट खैरोना के कक्ष क्र. आर.एफ. 53 एवं आर.एफ. 56 का निरीक्षण दिनांक 03.07.2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान बीट खैरोना के कक्ष क्र. आर.एफ. 53 में अवैध पत्थर फर्शी उत्खनन के बड़े-बड़े गड्डे पाये गये जो कि श्री गहलोत के कार्यकाल के दौरान अवैध उत्खनन से निर्मित हुए थे इन गड्डों में 4 स्थानों पर उत्खनन किये गये 3X2 फुट के 94 नग पत्थर पाये गये एवं कक्ष क्र. आर.एफ. 56 में पूर्व से उत्खनित गड्डों में 4 स्थानों पर उत्खनन के 3X2 फुट के 154 नग पत्थर पाये गये। उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी द्वारा दिनांक 04.07.2021 को बीट खैरोना के कक्ष क्र. आर.एफ. 56 का पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक स्थान पर उत्खनन के ताजे निशान पाये गये। मौके पर 1.5X2 फुट के 10 नग पत्थर एवं 1.5X3 फुट के 10 नग पत्थर रखे हुए पाये गये। इस प्रकार श्री गहलोत द्वारा कर्तव्य परायणता में न्यूनता प्रदर्शित करते हुए अपने आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया है।
आरोप क्र. 02 का आधार :-

श्री अशोक कुमार गहलोत, परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ की हैशियत से पदस्थ हैं। पदस्थिति अवधि के दौरान दिनांक 07.07.2021 को वनमण्डलाधिकारी, सा. वनमण्डल शिवपुरी के निर्देश पर उड़नदस्ता दल, सा. वनमण्डल शिवपुरी द्वारा वन परिक्षेत्र शिवपुरी की बीट खैरोना के कक्ष क्र. आर.एफ. 54 में स्थित एन.पी.व्ही. वृक्षारोपण (केम्पा मद) क्षेत्रफल 25 हैक्टेयर वर्ष 2018-19 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवाल में गेट बनवाकर नहीं लगाया गया है। वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर अवैध उत्खनन के 02 गड्डे मिले जिनमें ताजा उत्खनन पाया गया। एक गड्डे में 2X3 फुट के 35 नग, 1.5X2 फुट के 20 नग, 1X2 फुट के 10 नग पत्थर फर्शी रखे मिले एवं दूसरे गड्डे में 04 नग पत्थर फर्शी रखे मिले। वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर भैंस चराने वालों की 02 टपरिया बनी हुई पाई गयी। इस प्रकार आपके द्वारा अपने कार्य के प्रति उदासीनता एवं वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा में घोर लापरवाही बरती गई है। इस प्रकार आपको द्वारा अपने आप को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया है।

मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी म.प्र.


वनमण्डलाधिकारी
सा. वनमण्डल शिवपुरी म.प्र.
Ew

Attested


वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

परिशिष्ट:- (3)
अभिलेखों की सूची जिनके आधार पर आरोप सिद्ध किये जाना है

अभिलेखों की सूची जिनके आधार पर श्री अशोक कुमार गहलोत, उप वन क्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ, वन परिक्षेत्र शिवपुरी सा. वनमण्डल शिवपुरी के विरुद्ध अधिरोपित आरोप को प्रमाणित किया जाना है :-

आरोप क्र. 01 :-

- (1). बीट खैरोना के कक्ष क्र. आर.एफ. 53 में उड़नदस्ता दल, सा. वनमण्डल शिवपुरी का निरीक्षण, पंचनामा दिनांक 03.07.2021
- (2). बीट खैरोना के कक्ष क्र. आर.एफ. 56 में उड़नदस्ता दल, सा. वनमण्डल शिवपुरी का निरीक्षण, पंचनामा दिनांक 03.07.2021
- (3). बीट खैरोना के कक्ष क्र. आर.एफ. 56 में उड़नदस्ता दल, सा. वनमण्डल शिवपुरी का निरीक्षण, पंचनामा दिनांक 04.07.2021

आरोप क्र. 02:-

- (1). प्रभारी उड़नदस्ता दल, सा. वनमण्डल शिवपुरी की रिपोर्ट दिनांक 07.07.2021
- (2). पंचनाम दिनांक 07.07.2021
- (3). पंचनाम दिनांक 08.07.2021

मुख्य वनसंरक्षक
 शिवपुरी वृत्त शिवपुरी म.प्र.

Meena
 वनमण्डलाधिकारी
 सा. वनमण्डल शिवपुरी म.प्र.

Attested

Meena
 वन मण्डलाधिकारी
 सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

परिशिष्ट:- (4)

अभियोजन साक्ष्यों की सूची जिसके आधार पर श्री अशोक कुमार गहलोत, उप वन क्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़, वन परिक्षेत्र शिवपुरी, सा. वनमण्डल शिवपुरी के विरुद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित किया जाना है:-


आरोप क्र. 01 :-


- (1). श्री सचिनकान्त प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल, सा. वनमण्डल शिवपुरी
- (2). श्री अंकित भदौरिया प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल, सा. वनमण्डल शिवपुरी
- (3). श्री अरुण कुमार भार्गव, उप वनक्षेत्रपाल, उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी
- (4). श्री पंकज सिंह भदौरिया, वनपाल विशेष कर्तव्य, वनमण्डल शिवपुरी रेस्क्यू दल
- (5). श्री सुरेश कुमार भार्गव, वनपाल विशेष कर्तव्य, वनमण्डल शिवपुरी रेस्क्यू दल
- (6). श्री धीरज पाण्डे, वनरक्षक विशेष कर्तव्य, वनमण्डल शिवपुरी रेस्क्यू दल
- (7). श्री गिर्राज राजपूत, वनरक्षक बीटगार्ड विची, वन परिक्षेत्र शिवपुरी
- (8). श्री सतेन्द्र शर्मा, वनरक्षक उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी
- (9). श्री कमलजीत सिंह कुशवाह, वनरक्षक उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी
- (10). श्री सुनील कुमार सिंह, वनरक्षक उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी

आरोप क्र. 02 :-

- (1). श्री अरुण कुमार भार्गव, उप वनक्षेत्रपाल, उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी
- (2). श्री पंकज सिंह भदौरिया, वनपाल विशेष कर्तव्य, वनमण्डल शिवपुरी रेस्क्यू दल
- (3). श्री सुरेश कुमार भार्गव, वनपाल विशेष कर्तव्य, वनमण्डल शिवपुरी रेस्क्यू दल
- (4). श्री धीरज पाण्डे, वनरक्षक विशेष कर्तव्य, वनमण्डल शिवपुरी रेस्क्यू दल
- (5). श्री सतेन्द्र शर्मा, वनरक्षक उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी
- (6). श्री कमलजीत सिंह कुशवाह, वनरक्षक उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी
- (7). श्री सुनील कुमार सिंह, वनरक्षक उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी
- (8). श्री गिर्राज राजपूत, वनरक्षक बीटगार्ड विची, वन परिक्षेत्र शिवपुरी

मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी म.प्र.


वनमण्डलाधिकारी
सा. वनमण्डल शिवपुरी म.प्र.

Attested

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

वनमण्डलाधिकारी सा. वन मण्डल शिवपुरी म.प्र

—:आदेश:—

आदेश/क्र/स्था./2019/536

शिवपुरी, दिनांक/ 31.12.2019

श्री वृषभान कोरकू वनपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ को बीट खैरोना एवं अर्जुनगवां के कक्ष में अवैध उत्खनन एवं मौके पर मिले 57 नंग फर्सी पत्थर निरीक्षण के दौरान पाये गये, साथ ही वन भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर वनमण्डल आदेश क्रमांक/स्था./2019/88 दिनांक 21.02.19 द्वारा निलंबित किया जाकर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था./2019/2099 दिनांक 26.03.19 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया श्री कोरकू वनपाल द्वारा आरोप पत्र का उत्तर दिनांक 26.04.2019 को प्रस्तुत किया। श्री कोरकू वनपाल को वनमण्डल आदेश क्रमांक/स्था./2019/184 दिनांक 23.04.2019 से बहाल कर दिया गया है। आरोपो की विधिवत जाँच कराने हेतु म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के उपनियम 14(2) के तहत विभागीय जाँच संस्थित करते हुये उपवनमण्डलाधिकारी करैरा को जाँच अधिकारी एवं उक्त नियम के उपनियम 14(3) के अंतर्गत वनपरिक्षेत्राधिकारी सतनवाडा को प्रस्तुत कर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(ललित भारती)

वन मण्डलाधिकारी
सा. वन मण्डल शिवपुरी
शिवपुरी दिनांक/ 31.12.19

31-12-19

पृ./क्र./स्था./19/ 7038

प्रतिलिपि :-

- 1- उप वनमण्डलाधिकारी करैरा की ओर सूचनार्थ आरोप पत्र एवं अभिलेखों से संबंधित पत्रावली संलग्न है आरोप पत्र की विधिवत जाँच कर उत्पत्ति 15 दिवस में प्रस्तुत करे।
- 2- प्रस्तुत कर्ता अधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र सतनवाडा की ओर सूचनार्थ।
- 3- वन परिक्षेत्राधिकारी सतनवाडा की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि आदेश की प्रति संबंधित श्री वृषभान कोरकू वनपाल को वितरित कर द्वितीय प्रति पर पावती लेकर भेजे एवं पालनार्थ।
- 4- संबंधित श्री वृषभान कोरकू वनपाल द्वारा वनपरिक्षेत्राधिकारी सतनवाडा की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डलाधिकारी
सा. वन मण्डल शिवपुरी

Attested
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

ole

प्राप्त,

श्रीमान वनमण्डल अधिकारी महोदय
सामान्य वनमण्डल शिवपुरी म.प्र.

द्वारा:- श्री मान वन परिक्षेत्र अधिकारी महोदय
वनपरिक्षेत्र करैरा।

विषय:- आरोप पत्र के उत्तर के संबंध में।

संदर्भ:- श्रीमान का पत्र क्रमांक/स्था./2019/2099 शिवपुरी दिनांक 26.03.2019 प्राप्त
दिनांक 08.04.2019

महोदय,

विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में निम्नानुसार उत्तर श्री मान की सेवा में
सादर संप्रेषित है।

आरोप क्रमांक 1 परिशिष्ट 1.2

के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी ने परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ परिक्षेत्र
शिवपुरी के अधीनस्त रह कर बड़ी मेहन और लगन से कार्य कर वन एवं
वनसम्पदा की सुरक्षा एवं रखरखाव किया एवं परिक्षेत्र सहायक के रूप में आ
रही कठिनाईयो को अपने अधीनिस्थ स्टाफ एवं वरिष्ठ अधिकारियो को समय
समय पर अवगत कराता रहा हूँ। जिससे कोई भी अवैध कार्य होने पर उसे
रोका जा सके। ऐसा ही लक्ष्य मान कर मेने अपने कार्य काल में रात दिन मेहनत
कर सच्चाई एवं मेहनत से वन एवं संपदा की सुरक्षा की है।

- जैसे- 1. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 554/04 दिनांक 25.08.2016 में अवैध उत्खन्न में लिप्त
मोटर साईकिल जप्त की।
2. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 616/02 दिनांक 26.08.2016 में वीट पाटखेडा में अवैध
उत्खन्न में लिप्त राजू पुत्र खेरु आदिवासी को अवैध उत्खन्न में लिप्त होने पर छैनी
हथोडा तसला जप्त किया।
3. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 554/05 दिनांक 21.09.2017 द्वारा एक साईकिल अज्ञात
में जप्त वीटपाटखेडा से जप्त कर प्रकरण कायम कराया।
4. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 554/08 दिनांक 16.10.2017 वीट पाटखेडा से पत्थर
फर्सी 34 नग अज्ञात में जप्त किये।

Attested
Jana
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

5. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 554/06 दिनांक 12.10.2017 को एक मोटर साईकिल राजदूत अज्ञात में जप्त की R.C.No./38/2017 पर दर्ज है।
6. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 554/07 दिनांक 16.10.2017 जो R.C.No. 40/2017 पर दर्ज है। में एक मोटर साईकिल राजदूत अज्ञात में जप्त है।
7. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 553/14 दिनांक 14.11.2018 एवं R.C.No. 77/2018 में एक अवैध उत्खन्न अज्ञात में वीट अर्जूनगमा में अज्ञात में हथोडा टाकी ओर तसला जप्त।
8. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 618/02 दिनांक 25.11.2017 जो R.C.No. 73/2017 में दर्ज है। अज्ञात में जारी किया।
9. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 618/03 दिनांक 26.02.2018 R.C.No. 23/2018 पर दर्ज है एक मोटरसाईकिल राजदूत अज्ञात में जप्त की।
10. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 553/12 दिनांक 25.11.2017 R.C.No. 62/2017 से अज्ञात में प्रकरण कायम है।
11. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 553/11 दिनांक 02.11.2017 R.C.No. 49/2017 में एक काले रंग की राजदूत जिसमें फर्सी पत्थर जप्त किये।
12. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 553/15 दिनांक 03.02.2019 R.C.No.11/2019 पर दर्ज में अज्ञात औजार जप्त कर प्रकरण कायम — 1 कुराथा
13. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 554/14 दिनांक 04.02.2019 जो R.C.No.12/2019 पर दर्ज है में एक राजदूत मोटर साईकिल जप्त कर प्रकरण कायम — 1 कुराथा
14. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 926/04 दिनांक 04.02.2019 R.C.No. 14/2019 पर दर्ज में एक मोटर साईकिल राजदूत जप्त की।
15. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 618/05 दिनांक 05.02.2019 R.C.No.06/2019 पर दर्ज है में तसला, टाकी, हथोडा फावडा एवं सबल अज्ञात में जप्त किये।
16. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 618/04 दिनांक 05.02.2019 R.C.No.07/2019 पर दर्ज है। अज्ञात में तसला, टाकी फावडा, सबल हथोडा जप्त किये।

Attested

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

मेरे द्वारा अवैध उत्खन्न में संलिप्त गोपाल गुर्जर पुत्र श्री सिरदार गुर्जर निवासी खैरोना द्वारा वनस्टाफ के साथ गाली गलोच करने एवं जान से मारने की धमकी देने पर दिनांक 11.01.2018 को पुलिस थाना सुरवाहा में शिकायती अवेदन दिया जिसमें उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही हेतु लेख किया।

संलग्न छायाप्रति पी-1

वनपरिक्षेत्र अधिकारी महोदय शिवपुरी के पत्र क्रमांक 255 दिनांक 06.04.2018 के निर्देशन पालन हेतु अधीस्थ वीटगाडो को सुचित कराया जिसमें प्रभावी नियंत्रण किया जाना था।

पी-2

दिनांक 08.02.2019 को मेरे द्वारा सवरेज मोहनगढ मे अवैध उत्खन्न पर अधीनस्थ वनरक्षको द्वारा सहायोग न करने एव. मुझे नुक़सान पहुचाने की दृष्टि की सम्भावना के संबंध में श्री मान वन परिक्षेत्र महोदय शिवपुरी को संबंधित एवं श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय शिवपुरी/उपवनमण्डलाधिकारी महोदया शिवपुरी को प्रस्तांकन कर सवरेज मोहनगढ से अनयत्र जगह पर पदस्थ करने हेतु निवेदन किया जो संलग्न हैं तत्पश्चात ही मुझे श्रीमान के आदेश क्रमांक/स्था./88 दिनांक 21.02.2019 से निलंबित किया गया। जबकि मेरे द्वारा बडी लगन एवं मेहन से अपने वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा समय समय पर दिये निर्देशानुसार अपने कर्तव्य का निर्वाहन किया है। मेरे द्वारा उपरोक्त कार्य एवं मेरी लगन एवं मेहनत से कार्य निस्पादन किया गया है। मेरे द्वारा म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966/नियम 14 का उलंघन नही किया गया है।


अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि मुझे श्रीमान द्वारा जारी आरोप पत्र क्रमांक 2019 दिनांक 26.03.2019 के परिष्ठ 1 एवं 2 से निर्देश मुक्त करने की कृपा करे।

श्रीमान जी से यही विनय है।

Attested

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी


17/4/19

प्रार्थी

वृषभान कोरकू
निलंबित वनपाल

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

आदेश / क्र. / स्था. / 2020 / 220 → आदेश →

शिवपुरी, दिनांक / 27 / 04 / 2020

श्री वीरेन्द्र रघुवंशी, वनपाल परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ वन परिक्षेत्र शिवपुरी सबरेज मोहनगढ़ की बीट विची में प्रभारी, उड़नदस्ता वन मण्डल शिवपुरी की रिपोर्ट दिनांक 27.04.2020 को बीट विची के कक्ष क्र. पी. 996 में बीट विची की चैकिंग के दौरान 274 खैर वृक्ष के ठूठ पाये गये। आपके द्वारा अपनी सबरेज की बीट विची में वनसुरक्षा में लापरवाही के ये आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं निलंबन काल में इनका मुख्यालय परिक्षेत्र कोलारस निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

(लवित भारती)

वन मण्डलाधिकारी

सा. वन मण्डल शिवपुरी

शिवपुरी दिनांक / 27 / 04 / 2020

क्र. / स्था. / 2020 / 1944

तेलिपि :-

उप वनमण्डलाधिकारी शिवपुरी / करैरा की ओर सूचनार्थ।
वनपरिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी / कोलारस की ओर सूचनार्थ। आप श्री वीरेन्द्र रघुवंशी, निलंबित वनपाल को वितरित कर, द्वितीय प्रति पर दिनांकयुक्त पावती इस कार्यालय को भेजें एवं संबंधित निलंबित वनपाल का आरोप पत्र 07 दिवस में तैयार इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
संबंधित श्री वीरेन्द्र रघुवंशी, निलंबित वनपाल द्वारा वन परिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

वन मण्डलाधिकारी
सा. वन मण्डल शिवपुरी

Attested

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

प्रति,

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय,
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी म.प्र.
वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र कोलारस।

द्वारा :-

विषय :-

संदर्भ :-

महोदय,

आरोप पत्र का बचाव उत्तर प्रस्तुत करने बावत।
श्रीमान वन मण्डलाधिकारी महोदय, वन मण्डल शिवपुरी का पत्र क्र./स्था/2020/ 2615 दि. 01.06.2020

निवेदन है कि श्रीमान जी के संदर्भित पत्र के माध्यम से आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसमें आरोप क्र.-01 में लगाये गये आरोप पत्र का बचाव उत्तर निम्नानुसार श्रीमान जी की सेवा में प्रेषित है :-

आरोप क्र.-1

प्रार्थी की पदस्थिति अवधि के दौरान सबरेंज मोहनगढ़ की बीट विची में प्रभारी, उड़नदस्ता वन मण्डल शिवपुरी की रिपोर्ट दिनांक 27.04.2020 को बीट विची के कक्ष क्र. पी. 996 में बीट विची की चेंकिंग की गयी। बीट में घूम फिर कर देखा गया कि वृक्षों को कुल्हाडी एवं आरा से काटे गये। आपके द्वारा बीट विची का सतत भ्रमण नहीं किया गया, जिससे कक्ष क्र. पी. 996 में बीट निरीक्षण के दौरान 274 खैर वृक्ष के टूट पाये गये, जिसकी पीओआर क्र. 960/16 दिनांक 26.04.2020 से प्रकरण कायम किया गया एवं उक्त लकड़ी डिपो में परिवहन कराने के निर्देश प्राप्त हुये। आपके द्वारा अपनी सबरेंज मोहनगढ़ की बीट विची में वनसुरक्षा में अपने कर्तव्यों के प्रति सन्निष्ठ तथा कर्तव्यपारायण में लापरवाही बरती गई है।

उक्त आरोप में प्रार्थी का निवेदन है कि सबरेंज मोहनगढ़ के अंतर्गत बीट खैरोना, अर्जुनगवां, पाठखेडा, मोहनगढ़ एवं विची आती है। पांचों बीटों अतिसंवेदनशील है। जिनमें अवैध उत्खनन एवं अवैध कटाई की गतिविधियाँ अत्यधिक होती है। मेरे द्वारा बीट खैरोना में पीओआर क्र. 618/20 दि. 19.03.2020, 618/21 दि. 01.04.2020, 618/22 दि. 05.04.2020 एवं 618/23 दि. 17.04.2020 जारी कर प्रकरण कायम की गयी है एवं बीट अर्जुनगवां पीओआर क्र. 553/24 दिनांक 18.03.2020, 553/25 दिनांक 04.04.2020 एवं 697/01 दिनांक 27.04.2020 जारी कर प्रकरण कायम किये गये। प्रार्थी द्वारा सबरेंज का सतत भ्रमण करने पर ही उक्त बीटों में पीओआर जारी की गयी एवं प्रार्थी द्वारा उक्त सबरेंज का प्रभार दिनांक 16.03.2020 को प्राप्त किया गया। 01 माह के अल्पकालीन समय में इन पांच संवेदनशील बीटों में भ्रमण कर इन बीटों में हो रही गतिविधियों को समझना अत्यधिक कठिन है बीट विची के कक्ष क्र. पी. 996 में खैर वृक्ष के 274 टूट पाये गये उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उक्त बीट ग्रामीण क्षेत्र से लगी हुई होने से अवैध कटाई करने वाले अपराधी अपराध को रात के वक्त वृक्षों की कटाई की जाती है। श्रीमान जी से निवेदन है कि रात के वक्त उक्त क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया जा सकता क्यों कि रात के वक्त ग्रामीणों द्वारा कई बार वन अमले पर हमला किया जा चुका है। इस कारण रात के वक्त भ्रमण नहीं किया जा सका, जिससे उक्त घटना घटित हुई।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के आरोप पत्र के बचाव उत्तर सहानभूति पूर्वक विचार करते हुये आरोप पत्र नस्तीबद्ध करने का कष्ट करें।

श्रीमान की सेवा में सादर सम्प्रेषित।

7425
3.6.2020

मूलतः श्रीमान वन मण्डलाधिकारी महोदय, वन मण्डल शिवपुरी
की ओर आवेदन करने के लिए सादर सम्प्रेषित है।

प्रार्थी
वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी
निलंबित वनपाल
वन परिक्षेत्र कोलारस

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

आदेश / क्र. / स्था. / 2020 /

—आदेश—

शिवपुरी, दिनांक /

श्री मुकेश श्रीवास्तव, वनरक्षक बीटगार्ड विची सबरेंज गोहनगढ़ वन परिक्षेत्र शिवपुरी बीट विची में प्रभारी, उड़नदस्ता वन मण्डल शिवपुरी की रिपोर्ट दिनांक 27.04.2020 में बीट विची के कक्ष क्र. पी. 996 में बीट विची की चैंकिंग के दौरान 274 खैर वृक्ष के नुक़्त पाये। आपके द्वारा अपनी बीट विची में वनसुरक्षा में लापरवाही के लिये आपको तत्काल प्रभाव निलंबित किया जाता है एवं निलंबन काल में इनका मुख्यालय वन परिक्षेत्र करैरा निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

(ललित भारती)

वन मण्डलाधिकारी

सा. वन मण्डल शिवपुरी

शिवपुरी दिनांक / 27 / 04 / 20

पृ. / क्रं. / स्था. / 2020 / 1945

प्रतिलिपि :-

- 1- उप वनमण्डलाधिकारी शिवपुरी / करैरा की ओर सूचनार्थ।
- 2- वनपरिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी / करैरा की ओर सूचनार्थ। आप श्री मुकेश श्रीवास्तव निलंबित वनरक्षक को वितरित कर, द्वितीय प्रति पर दिनांकयुक्त पावती इस कार्यालय को भेजें एवं संबंधित निलंबित वनपाल का आरोप पत्र 07 दिवस में तैयार इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 3- संबंधित श्री मुकेश श्रीवास्तव, निलंबित वनरक्षक द्वारा वन परिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

वन मण्डलाधिकारी

सा. वन मण्डल शिवपुरी

Attested

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

प्रति,

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी, महोदय,

सामान्य वनमण्डल शिवपुरी

द्वारा :-

श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी, महोदय, करैरा

विषय :-

आरोप पत्र का बचाव उत्तर प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भ :-

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय, वनमण्डल शिवपुरी का पत्र क्रमांक/स्था/2020/ 2619

दिनांक 01.06.2020

—00—

महोदय,

विषयांतर्गत निवेदन है कि श्रीमान जी के संदर्भित पत्र के माध्यम से आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसमें आरोप क्रमांक 01 में लगाये गये आरोप पत्र का बचाव उत्तर निम्नानुसार श्रीमान जी की सेवा में प्रेषित है ।

आरोप क्रमांक 01:- आपकी पदस्थिति अवधि के दौरान आपकी बीट विची में प्रभारी, उड़नदस्ता वनमण्डल शिवपुरी की रिपोर्ट दिनांक 27.04.2020 को बीट विची के कक्ष क्र. पी.996 में बीट विची की चेंकिंग बीट में भ्रम फिर कर देखा गया कि वृक्षों को कुल्हाड़ी एवं आरा से काटे गये । आपके द्वारा बीट विची का सतत भ्रमण नहीं किया गया, जिससे कक्ष क्र. पी.996 में बीट निरीक्षण के दौरान 274 खैर वृक्ष के ठूठ पाये गये । उक्त संबंध में पी.ओ.आर क्र 960/16 दिनांक 26.04.2020 से प्रकरण कायम किया गया । आपके द्वारा बीट गश्ती नहीं की गई, जिससे बीट में वृक्षों की कटाई होना पाया गया । आपके द्वारा जप्तशुदा काष्ठा विभागीय प्रक्रिया का पालन न करते हुये बिना रिकार्ड/चालान के डिपो परिवहन कराना जिससे पूरी जप्तशुदा काष्ठा डिपो परिवहन किया नहीं पाया गया । आपके द्वारा अपनी बीट विची में वनसुरक्षा एवं अवैध कटाई पर नियंत्रण न रखने के कारण अपने कर्तव्यों के प्रति सन्निठ तथा कर्तव्यपारायण में लापरवाही बरती गई है । इस प्रकार आपके द्वारा अपने आपको म.प्र. सविल सेवा (आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2) एवं म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण (नियम 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये दण्ड का भागीदार बनाया ।

Attested
Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

उपरोक्त आरोप के संबंध में प्रार्थी का निवेदन है कि बीट विची सबरेंज मोहनगढ पार्षद शिवपुरी के अन्तर्गत आती है । दिनांक 20.4.2020 को श्रीमान वनपरिक्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा बीट विची का रोस्टर अनुसार निरीक्षण किया गया तथा बीट में कोई नुकसान नहीं पाया गया । दिनांक 26.04.2020 को मुखबिर से सूचना मिली कि मेरे बीट क्षेत्र में अवैध कटाई हो गई है । प्रार्थी एवं बीटगार्ड मोहनगढ, श्री गुरुनाथ राय तत्काल मेरी बीट विची क्षेत्र में पहुंचे । बीटक्षेत्र में भ्रमण कर देखा तो कक्ष क्र.पी.996 में लखी खैर वृक्षों कटाई पाई गई, जो संभवतः रात्रि में की गई थी । हमारे क्षेत्र में पहुंचते ही ग्राम जागती के कुछ ग्रामीणों द्वारा हमसे झगड़ा करने की कोशिश की गई तब मेरे द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी शिवपुरी एवं परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ को अवैध कटाई एवं झगडे के संबंध में सूचना दी गई । परिक्षेत्राधिकारी द्वारा पुलिस थाना सुरवाया को झगडे के संबंध में सूचना दी गई थी । कुछ समय पश्चात् परिक्षेत्राधिकारी स्टॉफ के साथ तथा पुलिस थाना सुरवाया का स्टॉफ मौके पर पहुंच गये । पुलिस स्टाफ द्वारा झगडने आये हुये ग्रामीणों को मौके स्थल से हटाया गया । इसके

वन मण्डल शिवपुरी

23/5/20
10-06-20

पश्चात परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उपरोक्त कटाई के संबंध में जैसे टूट गणना, टूटों पर नम्बर डालना एवं लकड़ी हुई लकड़ी को परिवहन कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश मौके पर दिये। उम्मीद त्वरित कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय मौके पर पहुंचे। वनमण्डलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त अवैध कटाई के संबंध में पूर्ण जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश देने के पश्चात् जैसे ही शिवपुरी आने हेतु वाहन में बैठे तभी उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी वहाँ पहुंच गया। वनमण्डलाधिकारी महोदय द्वारा उड़नदस्ता दल को भी उपरोक्त कार्य में सहयोग करने हेतु निर्देश दिये। कृपा एवं नम्बरिंग करने के उपरान्त बीट प्रभारी होने के नाते मेरे द्वारा पी.ओ.आर. जारी किया जाना था, किन्तु उड़नदस्ता दल प्रभारी द्वारा पी.ओ.आर. जारी किया जाकर उक्त लकड़ी मेरी सुपुदगी में दी गई, जिसे मेरे द्वारा कार्टिंग चालान क्रमांक 002/05 एवं पुस्तक क्रमांक 236/05, 06, 07, 08 द्वारा दिनांक 26.4.2020 से कुल 276 नग सूची सहित केन्द्रीय काष्ठागार शिवपुरी में परिवहन कराई जाकर श्री घनश्याम शर्मा, वनपाल डिपो शिवपुरी की सुपुदगी में दी गई। मेरे द्वारा प्रतिदिन अपनी बीट क्षेत्र का सतत भ्रमण किया जा रहा है, किन्तु उक्त कटाई रात्रि के समय चोरी छिपे की गई थी, जिसकी सूचना मिलते ही मैं तत्काल मौके पर पहुंचा और मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार त्वरित कार्यवाही की गई। आरोप में जप्तशुदा काष्ठ का विभागीय प्रक्रिया का पालन न करते हुये बिना रिकार्ड/चालान के डिपो में परिवहन कराना एवं पूरी जप्तशुदा काष्ठ परिवहन नहीं होने संबंधी तथ्य प्रार्थी को मान्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा विभागीय प्रक्रिया पूर्ण जप्तशुदा काष्ठ परिवहन कराया गया है, जिसके चालान एवं काष्ठ की सूची प्रस्तुत की गई थी। त्वरित संदर्भ में पुनः संलग्न है। मेरे द्वारा अपने कर्तव्यों में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। प्रार्थी अपनी बीट क्षेत्र का सतत भ्रमण कर नियंत्रण करता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप मेरे पास की बीट खैरोना में पकड़े गये वन अपराध प्रकरण क्रमांक 618/20 दि. 19.3.2020, 618/21 दि.1.4.2020, 618/22 दि.5.4.2020 एवं 618/23 दिनांक 17.4.2020 एवं बीट अर्जुनगंवा के वन अपराध प्रकरण क्रमांक 553/24 दि. 18.3.2020, 553/25 दिनांक 4.4.2020 एवं 697/01 दि.27.4.2020 को भी गई कार्यवाही में शामिल रहा हूँ। प्रार्थी की बीट अति संवेदनशील होने के कारण उक्त घटना रात्रि के समय में की गई है, जिसकी सूचना मिलते ही प्रार्थी द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई। उक्त क्षेत्र में पूर्व में कई बार वन अधिकारी एवं कर्मचारियों पर हमले की बारदातें हुई तथा वहाँ के ग्रामवासी भी झगडा करने पर उतारू सतत है। इस कारण क्षेत्र में रात्रि गश्त करने में किसी भी किसी भी घटना की आंशका रहती है। इस कारण अवसर साँच में चौकी पर रहकर प्रतिदिन गश्त किया जाता रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के आरोप पत्र के बचाव उत्तर पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये आरोप पत्र नस्तीबद्ध करने की कृपा करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

दिनांक - 31.08.2020

प्रार्थी

(मुकेश श्रीवारतन)

निलंबित वनरक्षक, वन परिक्षेत्र, कपूर

Attested

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

01/09/2020

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

क्र. / स्था. / 2020 / 7238

—आदेश—

शिवपुरी, दिनांक / 18-12-20

श्री रामअवतार शर्मा, वनरक्षक बीटगार्ड खैरोना वन परिक्षेत्र शिवपुरी की पदस्थिति दिनांक 27.04.2019 से वर्तमान तक अवधि में बीट खैरोना में दि. 25.11.2020 को उप वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डल करैरा एवं प्रभारी, उड़नदस्ता वन मण्डल शिवपुरी के दल निरीक्षण में बीट खैरोना में अवैध उत्खनन पाया गया। इसप्रकार आपके द्वारा अपनी बीट वनमण्डल उत्खनन पर नियंत्रण न रखने एवं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के लिये आपको वर्तमान अवधि से उपस्थित होने के दिनांक से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं निलंबन काल में इनका मुख्यालय वन परिक्षेत्र पिछोर रहेगा निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार निलंबित निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

(ललित भारती)

वन मण्डलाधिकारी

सा. वन मण्डल शिवपुरी

शिवपुरी दिनांक / 18-12-2020

क्र. / स्था. / 2020 / 7238

लिपि :-

उप वनमण्डलाधिकारी शिवपुरी / करैरा की ओर सूचनार्थ।
वनपरिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी / पिछोर की ओर सूचनार्थ। आप श्री रामअवतार शर्मा, निलंबित वनरक्षक के अवकाश अवधि से उपस्थित होने पर वितरित कराकर, द्वितीय प्रति पर दिनांकयुक्त पावती इस कार्यालय को भेजें एवं संबंधित निलंबित वनरक्षक का आरोप पत्र 07 दिवस में तैयार इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
संबंधित श्री रामअवतार शर्मा, निलंबित वनरक्षक द्वारा वन परिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

वन मण्डलाधिकारी

सा. वन मण्डल शिवपुरी

Attested

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

प्रति,

श्रीमान वन मण्डल अधिकारी महोदय,
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी म0प्र0

द्वारा :- योग्य मार्ग

विषय :- आरोप पत्र का उत्तर प्रस्तुत करने बावत्।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्र./स्था./220/252/दिनांक 13.01.2021

महोदय,

विषयांकित संन्दर्भित पत्र द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध बीट खैरोना परिक्षेत्र शिवपुरी के कक्ष क्र.आर.एफ.-53 एवं 56 में अवैध उत्खनन पाये जाने के कारण आरोप पत्र जारी किया गया है। जारी किया गया आरोप पत्र निराधार होकर प्रार्थी पर लगाये गये आरोप प्रार्थी पर लागू नहीं होते है, नाही प्रार्थी को आरोप पत्र मान्य है।

प्रार्थी के विरुद्ध लगाये गये आरोप एवं प्रार्थी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्णतः नियमों के प्रतिकूल की गयी कार्यवाही है। प्रार्थी निम्न बिन्दुओं के आधार पर जारी निलंबन आदेश एवं आरोप पत्र समाप्त करने हेतु अनुरोध करता है।



निवेदन है कि प्रार्थी 13.11.2020 से 27.12.2020 तक महोदय के आदेश क्र./स्था. 20/713/दिनांक 10.11.2020 से स्वीकृत अवकाश पर था। स्वीकृत अवकाश आदेश की छायाप्रति संलग्न है। स्वीकृत अवकाशकाल में मू0नि0 54 व 55 के तहत कर्मचारी को निलंबित नहीं किया जाना चाहिये। यदि कोई गंभीर अनियमितताएं प्रकाश में आती है तो स्वीकृत अवकाश निरस्त कर कर्मचारी को उपस्थित होने पर ही निलंबन की कार्यवाही की जाना चाहिए। अतः प्रार्थी के विरुद्ध आदेश क्र./स्था./2020/813 दिनांक 18.12.2020 से की गई निलंबन की कार्यवाही पूर्णतः नियम विरुद्ध है। अतः निलंबन आदेश एवं जारी आरोप पत्र समाप्त करने की कृपा करें।

Attested
Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

2. निवेदन है कि प्रार्थी स्वीकृत अवकाश आदेश के पालन में दिनांक 12.11.2020 बीट खैरौना का सम्पूर्ण प्रभार श्री कुनाल शर्मा वनरक्षक को सौंप कर अवकाश पर रवाना हुआ। बीट प्रभार की सूची अवलोकनार्थ संलग्न है। जब बीट का प्रभार प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.11.2020 को सौंप दिया गया तब दिनांक 25.11.2020 को उडनदस्ता दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पाये गये अवैध उत्खनन के लिए प्रार्थी को किरा नियम के तहत दौषी ठहराया जा सकता है। विचारणीय है, अतः आरोप पत्र समाप्त योग्य है।

3. निवेदन है कि प्रार्थी का स्वीकृत अवकाश दिनांक 13.11.2020 से 27.12.2020 तक का था। प्रार्थी को माह नवम्बर 2020 एवं दिसम्बर 28 तक वेतन भुगतान प्राप्त हो चुका है। तब 18.12.2020 तत्काल प्रभाव से की गई निलंबन की कार्यवाही प्रभावहीन हो जाती है। प्रार्थी के अवकाश से वापिस दिनांक 28.12.2020 को कर्तव्य पर उपस्थित होने पर निलंबित मानना कौन से प्रावधानों के तहत है। जबकि प्रार्थी का निलंबन आदेश पुनरीक्षित नहीं किया गया है। जबकि आरोप पत्र में निलंबन की तारीख 18.12.2020 के स्थान पर 28.12.2020 की गई है। जो कि त्रुटि पूर्ण है अवलोकन करने की कृपा करें।

Attested
Deena

4. निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा बीट खैरौना पर पदस्थिति अवधि में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से वनसुरक्षा, अतिक्रमण एवं अवैध उत्खनन पर नियंत्रण रखा गया। बीट में समय-समय पर डलाधिकार सामान्य वन मण्डल शिवपुर सतत भ्रमण कर वन अपराधियों को अपने कार्यों में सफल नहीं होने दिया। निवेदन है कि बीट में भ्रमण के दौरान मई 2019 अक्टूबर 2020 तक 25 वन अपराध कायम कर बड़ी संख्या में औजार, तसला, फावडा, मोटर सायकिल, आदि जप्त किये गये। जारी पी0ओ0आर0 प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है -

आर.सी. नम्बर	पी.ओ.आर. नम्बर	दिनांक	कक्ष क्र.	बीट का नाम	अवैध उत्खनन कर्तारों का नाम	जप्ती का सम्पूर्ण विवरण	कुल नग
49	618/8	03.05.19	R.F.53	खैरौना	अज्ञात	एक हीरो होण्डा मोटर सायकिल, फसी-8 नग, टाकी-5 नग, तसला-1 नग, फावडा-1 नग, हथौडा-1 नग	17

99	618/9	27.05.19	R.F.53	खैरीना	अज्ञात	हथोडा-4 नग, तसला-3 नग, गेंती-1 नग, फावडा-2 नग, टांकी-4 नग	14
110	618/11	10.10.19	R.F.56	खैरीना	अज्ञात	तसला-2, टांकी-4 नग	6
109	618/12	03.11.19	R.F.56	खैरीना	अज्ञात	तसला-1, टांकी-3 नग	4
119	618/13	14.11.19	R.F.54	खैरीना	अज्ञात	तसला-4 नग, गेंती-1 नग, फावडा-3 नग	8
120	618/14	02.12.19	R.F.56	खैरीना	अज्ञात	तसला-2, फावडा-1 नग	3
02	618/15	04.12.19	R.F.53	खैरीना	अजब सिंह गुर्जर निवासी मझेरा	तसला-2, फावडा-1 नग, फर्सी-14 नग, हतोडा-2 नग, टांकी-12 नग, घन-1 नग	32
06	618/16	12.01.20	R.F.53	खैरीना	अज्ञात	तसला-2, फावडा-1 नग, गेंती-1 नग टांकी-2 नग,	6
07	618/17	19.01.20	R.F.53/56	खैरीना	अज्ञात	तसला-1, नग, टांकी-4 नग, फर्सी-5 नग	10
25	618/18	24.01.20	R.F.53	खैरीना	अज्ञात	4 नग सतरुका लकडी जलाउ	4
31	618/19	29.02.20	R.F.53	खैरीना	अज्ञात	फावडा-1 नग, टांकी-2 नग,	3
32	618/20	19.03.20	R.F.56	खैरीना	अज्ञात	फावडा-2 नग टांकी-4 नग,	5
34	618/21	01.04.20	R.F.53	खैरीना	अज्ञात	तसला-2, नग टांकी-2 नग,	4
42	618/22	05.04.20	R.F.53/56	खैरीना	अज्ञात	तसला-2, फावडा-1 नग, गेंती-1 नग टांकी-4 नग,	5
66	618/23	17.04.20	R.F.53	खैरीना	अज्ञात	तसला-2, फावडा-1 नग, छोटा सबल-1 नग टांकी-6 नग, हतोडा-1 नग	11
73	618/24	24.05.20	R.F.53	खैरीना	अज्ञात	तसला-2, नग फावडा-1 नग, टांकी-5 नग,	8
79	992/1	02.06.20	R.F.53	खैरीना	अज्ञात	तसला-4, नग टांकी-6 नग, सबल-1 नग	11
112	992/2	09.06.20	R.F.56	खैरीना	अज्ञात	रायदूत मोटर साइकिल एम.पी.33वी.9874	1
131	992/3	25.08.20	R.F.56	खैरीना	अज्ञात	तसला-1, नग हतोडा-1 नग, टांकी-4 नग,	6

Attested
Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

149	992/4	14.10.20	R.F.53/56	खैरीना	अज्ञात	तसला-2, नग टांकी-2 नग, 5 हतोडा-1 नग
157	992/5	07.11.20	R.F.53/56	खैरीना	अज्ञात	तसला-1, नग, हतोडा -1 नग 6 टांकी-4 नग,
159	992/6	10.11.20	R.F.53/56	खैरीना	अज्ञात	तसला-3, नग हतोड-3 नग, 17 सव्वल-1 नग टांकी-10 नग,

उपरोक्त कायम वन अपराध प्रकरणों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है। बल्कि कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर प्रार्थी के विरुद्ध जारी आरोप पत्र निरस्त करने की कृपा करें, न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

दिनांक 01/02/2021

प्रार्थी
रामअवतार सिंह शर्मा

प्रार्थी
रामअवतार सिंह शर्मा

रामअवतार सिंह शर्मा
निलंबित वनरक्षक
परिक्षेत्र-पिछोर म0प्र0



आर्वालय वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र पिछोर

क्रमांक-146

दिनांक, 1-2-2021

शुलतः वन मण्डलाधिकारी महेदप वन मण्डल
शिवपुरी की सेवा में आवृत्तक कार्याली हेतु प्रेषित है

Attested

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

वन परिक्षेत्र अधिकारी
पिछोर
वन मण्डल शिवपुरी (म0प्र0)

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

आदेश क्र./स्था./2020/212

—आदेश—

शिवपुरी, दिनांक/18-12-2020

श्री पुरुषोत्तम शर्मा, वनरक्षक बीटगार्ड अर्जुनगवां वन परिक्षेत्र शिवपुरी की पावती अवधि दि. 11.03.2019 से वर्तमान तक की अवधि में बीट अर्जुनगवां में दिनांक 18.12.2020 से उप वनमण्डलाधिकारी, उप वन मण्डल करैरा एवं प्रभारी, उड़नदस्ता वन मण्डल शिवपुरी के दल द्वारा निरीक्षण में बीट अर्जुनगवां में अवैध उत्खनन पाया गया। इसप्रकार आपके द्वारा अपनी बीट में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण न रखने एवं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही का कारण आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं निलंबन काल में इनका कार्यालय वन परिक्षेत्र बदरवास रहेगा निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पावता होगी।

(ललित भारती)

वन मण्डलाधिकारी

सा. वन मण्डल शिवपुरी

शिवपुरी दिनांक/18-12-2020

आदेश क्र./स्था./2020/7295

पालासि :-

- 1. उप वनमण्डलाधिकारी शिवपुरी/करैरा की ओर सूचनार्थ।
- 2. वनपरिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी/बदरवास की ओर सूचनार्थ। आप श्री पुरुषोत्तम शर्मा, निलंबित वनरक्षक को वितरित कराकर, द्वितीय प्रति पर दिनांकयुक्त पावती इस कार्यालय को भेजें एवं संबंधित निलंबित वनरक्षक का आरोप पत्र 07 दिवस में तैयार इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 3. संबंधित श्री पुरुषोत्तम शर्मा, निलंबित वनरक्षक द्वारा वन परिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

वन मण्डलाधिकारी

सा. वन मण्डल शिवपुरी

Attested

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

श्रीमान वन मण्डल अधिकारी महोदय,

सामान्य वन मण्डल शिवपुरी म0प्र0

द्वारा :- योग्य मार्ग

विषय :- आरोप पत्र का उत्तर प्रस्तुत करने बावत्।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्र./स्था./254/दिनांक 13.01.2021

महोदय,

विषयांकित संन्दर्भित पत्र द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया है, प्रार्थी के विरुद्ध जारी आरोप पत्र निराधार है। प्रार्थी की छवि खराब करने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से पूर्वग्रह से जारी किया गया है। प्रार्थी को आरोप पत्र मान्य नहीं है। प्रार्थी निम्न तथ्यों के आधार पर आरोप निरस्त करने हेतु अनुरोध करता है।


1. निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा मार्च 2019 को बीट अर्जुनगवां का प्रभार प्राप्त करने के पश्चात बीट में वनसुरक्षा एवं अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु सतत निरीक्षण किया गया। बीट में पदस्थिति की अवधि में दिनांक 23.07.2019 से 06.11.2020 तक 8 वन अपराध प्रकरण आर.एफ.-57 में तथा 4 प्रकरण आर.एफ.-60 में एवं 3 प्रकरण आर.एफ.-58 में कायम कर अवैध उत्खनन कर्ताओं से तमाम औजार फर्सी पत्थर जप्त की गई है। जारी पी.ओ.आर. प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है।

आर.ए. नम्बर	पी.ओ.आर नम्बर	दिनांक	कक्ष क्र.	बीट का नाम	अवैध उत्खनन कर्ताओं का नाम	जप्ती का सम्पूर्ण विवरण	कुल नग
52	553/18	27.05.19	R.F.60	अर्जुनगवां	अज्ञात	हथोडा-2नग, टांकी-14 नग, सवलिया-1 नग	17
72	553/19	23.07.19	R.F.57	अर्जुनगवां	अज्ञात	हथोडा-2नग, टांकी-11 नग, तसला-1 नग	14
108	553/21	14.11.19	R.F.57	अर्जुनगवां	अज्ञात	हथोडा-2नग, टांकी-08 नग,	11

Attested

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी



						तसला-2 नग गेंती-1	
676	553/22	29.12.19	R.F.57	अर्जुनगवां	अज्ञात	टांकी-2 नग, तसला-2 नग फावडा-2 नग	6
677	553/23	19.01.20	R.F.57	अर्जुनगवां	अज्ञात	फरसी-7 नग, टांकी-4 नग तसला-2 नग गेंती-1 नग	14
678	553/24	18.03.20	R.F.60	अर्जुनगवां	अज्ञात	टांकी- 6 नग , फावडा-2 नग	8
679	553/25	04.04.20	R.F.60	अर्जुनगवां	अज्ञात	खैर-2 नग, 41 से 50 , टांकी-4 नग, फरसी-2 नग	8
680	697/2	22.05.20	R.F.57	अर्जुनगवां	अज्ञात	खैर-15 नग	15
681	697/4	02.06.20	R.F.60	अर्जुनगवां	अज्ञात	टांकी- 4 नग, तसला-2 नग	6
682	697/5	27.06.20	R.F.58	अर्जुनगवां	अज्ञात	एक चट्टा जलाउ लकड़ी सतरुखा	
683	697/6	30.09.20	R.F.57	अर्जुनगवां	अज्ञात	फरसी-4 नग, तसला-2 नग , टांकी- 5 नग	11
684	697/7	03.10.20	R.F.57	अर्जुनगवां	अज्ञात	टांकी-6 नग, तसला-4 नग फरसी-3 नग,	13
685	697/8	06.11.20	R.F.57	अर्जुनगवां	अज्ञात	तसला-3 नग , टांकी-8 नग	11
686	697/9	29.11.20	R.F.57	अर्जुनगवां	अज्ञात	टांकी-4 नग, तसला- 2 नग फरसी -5 नग,	11
687	697/10	16.12.20	R.F.57	अर्जुनगवां	अज्ञात	तसला-2 नग, टांकी-8 नग फरसी- 6 नग	16
688	617/17	06.04.19		मझोरा	धर्मेन्द्र राठौर	ट्रक No. HR385989 फरसी, पत्थर से भरा, एसडीओ शिवपुरी महोदय द्वारा राजसात किया गया। इस प्रकरण में प्रार्थी पुरुषोत्तम शर्मा का विशेष योगदान रहा तथा ट्रक को चलाकर शिवपुरी डिपो लाया गया।	

प्रार्थी को पी.ओ.आर. प्रकारण से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा बीट में वन अपराधियों द्वारा किये जा
ये गये अपराधों पर कठोर नियंत्रण रखा गया। प्रार्थी द्वारा की गई उक्त कार्यवाही पर कोई
बदला नहीं दिया गया।

Attested
Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

2. निवेदन है कि आरोप पत्र में दर्शाये गये 52 नग फरसी पत्थर जो कि 1x1 फुट 1½ फुट के छोटे-छोटे टुकड़ों को आधार बनाकर प्रार्थी को निलंबित किया गया। क्योंकि प्रार्थी द्वारा बीट में होने वाले उत्खनन को पूर्ण नियंत्रण का सतत् प्रयास किया जा रहा था।
3. निवेदन है कि बीट में अवैध उत्खनन के हो रहे प्रयासों को विफल करने प्रार्थी को अनेक बार वन अपराधियों से झगड़ा भी हुआ। इसी क्रम में दिनांक 09.10.20 को बीट भ्रमण के दौरान उत्खननकर्ता दिलीप गुर्जर और उसके अन्य साथियों द्वारा प्रार्थी पर हमला करने जान से मारने तथा गोली मारने तक की धमकी दी। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया गया तथा पुलिस थाना सुरवाया में लिखित सूचना दी गई। पत्रों की छाया प्रतियां अवलोकन संलग्न है। प्रार्थी की इस कार्यवाही पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
4. निवेदन है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी पर लगाया आरोप पूर्णतः निराधार है, प्रार्थी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को समय-समय पर प्रार्थी के सहयोग हेतु अतिरिक्त वन अमला उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। यह कि बीट में अवैध उत्खनन की घटनाओं एवं अपनी सुरक्षा तथा विभाग की ओर से कोई प्रभावी कार्यवाही न होने से व्यथित होकर प्रार्थी ने दिनांक 05.11.2020 को रेंजर साहब को संबोधित लेखीकार रेंज कार्यालय में प्रस्तुत किया। जिसकी प्रति श्रीमान मण्डल अधिकारी शिवपुरी एवं उपमण्डल अधिकारी शिवपुरी को प्रस्तुत की गई। तथा प्रार्थी को अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया बल्कि परिक्षेत्र अधिकारी महोदय शिवपुरी के द्वारा पत्र क्र. 1267/दिनांक 05.11.2020 से अवगत कराया गया कि आप 24 घंटे बीट में रहे है और जब भी अवैध उत्खननकर्ता आये तब उनकी फोटो खींचकर उनकी पहचान कर मुझे अवगत कराये। पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को वरिष्ठ अधिकारी महोदय से किस प्रकार का सहयोग मिल रहा था। पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी को वन अपराधियों से जान से मारने का शडयंत्र किया जा रहा है।

Attested

Deena

**वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी**

निवेदन है कि यह उल्लेखनीय करना आवश्यक है कि प्रार्थी को श्रीमान के पत्र क्र 254/दिनांक 13.11.2021 के संलग्न परिशिष्ट-3 में जिस दस्तावेज दिनांक 09.12.2020 में उल्लेख किया गया है उसमें प्रार्थी को कहीं भी दोषी नहीं माना गया है।


उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपने कार्यों के प्रति पूर्णतः निष्ठावान होकर कार्य सम्पादन कर रहा था। प्रार्थी ने अपने कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरती गयी। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अतः अनुरोध कि उक्त आरोप पत्र को निरस्त करते हुये निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुये निलंबन से बहाल करने की कृपा करें।

उपरोक्तानुसार ।

दिनांक 01/02/2021

जा० क्र० - 51

दि० 01/02/21


01/02/2021

प्रार्थी
पुरुषोत्तम शर्मा
निलंबित वनरक्षक

प्रार्थी वनमण्डलाधिकारी शिवपुरी के ओर अपील करती है
हेतु अज्ञेय।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र तदवास

Attested .



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

आदेश/क्र./स्था./2021/623

—आदेश—

शिवपुरी, दिनांक/02/07/2021

श्री कुनाल शर्मा, वनरक्षक बीटगार्ड खैरोना वन परिक्षेत्र शिवपुरी की पदस्थिति अवधि 12.11.2020 से वर्तमान तक पदस्थ है। उक्त अवधि में दिनांक 01.07.2021 को बीट खैरोना के कक्ष क्र. 53 का निरीक्षण उप वनमण्डलाधिकारी शिवपुरी, वन परिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी एवं अन्य स्टाफ के साथ किया गया। निरीक्षण के दौरान बीट खैरोना के कक्ष क्र. 53 में अवैध पत्थर फर्सी उत्खनन के बड़े-बड़े गड्डे पाये गये एवं बीट में राजस्थानी भेड़ अवैध रूप से चरती पायी गयी।

वनरक्षक श्री कुनाल शर्मा द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों की घोर अपेक्षा करना वनक्षेत्र में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण नहीं करने की गंभीर अनियमितताओं के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय वन परिक्षेत्र पिछोर रहेगा तथा निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

Deena
(मीना कुमारी मिश्रा)

वन मण्डलाधिकारी
सा. वन मण्डल शिवपुरी

शिवपुरी दिनांक/02/07/2021

क्र./स्था./2021/547

पालनापि :-

- उप वनमण्डलाधिकारी शिवपुरी/करैरा की ओर सूचनार्थ।
- वन परिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी/पिछोर की ओर सूचनार्थ। आप श्री कुनाल शर्मा, निलंबित वनरक्षक को वितरित कराकर, द्वितीय प्रति पर दिनांकयुक्त पावती इस कार्यालय को भेजें एवं संबंधित निलंबित वनरक्षक का आरोप पत्र 07 दिवस में तैयार इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- संबंधित श्री कुनाल शर्मा, निलंबित वनरक्षक द्वारा वन परिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Deena
वन मण्डलाधिकारी
सा. वन मण्डल शिवपुरी

Attested

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

प्रति,

श्रीमान वन मंडलाधिकारी महोदय

सामान्य वन मंडल, जिला शिवपुरी

संदर्भ श्रीमान वन मंडल अधिकारी के पत्र क्रमांक स्था/2021/3970 दिनांक 30/07/2021 के पालन में द्वारा कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी पिछोर

विषय आरोप पत्र के प्रत्युत्तर में

महोदय, उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि प्रार्थी श्री कुणाल शर्मा दिनांक 26/12/2020 से दिनांक 02/07/2021 तक बीट खेरौना पदस्थ रहे प्रार्थी की बीट रकबा 1054.56 हेक्टेयर की एक बड़ी तथा अवैध उत्खनन की दृष्टि से अतिसंवेदनशील बीट है। बीट में कक्ष क्रमांक RF 53 के अतिरिक्त कक्ष क्रमांक RF-54, 55, 56 तथा RF 64 में अवैध उत्खनन की खदानें हैं जहां अवैध उत्खनन पर नियंत्रण हेतु सतत निगरानी तथा भ्रमण आवश्यक है साथ ही प्रार्थी को अपनी बीट क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य बीटों तथा अन्य सब रेंज की बीट में वानिकी कार्य में सहायता हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार जाना पड़ता है दिनांक 01/07/21 को व्हाट्सएप पर आए आदेशानुसार प्रार्थी को प्रातः 10:00 बजे अपने मुख्यालय से 35km दूर रेंज कार्यालय शिवपुरी पर उपस्थित होना था प्रार्थी के अपने मुख्यालय से रेंज कार्यालय शिवपुरी के लिए प्रस्थान से पूर्व बीट में अवैध चराई की कोई शिकायत नहीं थी दिनांक 01/07/2021 को लगभग 12:00 बजे बीट निरीक्षण दौरान चरवाहों द्वारा भेड़ों को प्रार्थी द्वारा जप्त तथा संबंधित चरवाहों को गिरफ्तार कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1) घ के तहत POR क्रमांक 992/21 दिनांक 01/07/2021 दर्ज की गई तथा संबंधित आरोपी को प्रार्थी द्वारा रेंज कार्यालय शिवपुरी लाकर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। तथा संबंधित आरोपी से मनी रसीद क्रमांक 873/47 के द्वारा जंगल में हुई नुकसानी का जुर्माना 33,000 रुपए वसूल किया गया। तथा प्रार्थी द्वारा उक्त आरोपी एवं मवेशियों का जंगल में वापस ना आना सुनिश्चित किया गया।

Attested
Deena

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वन मंडल शिवपुरी

इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आरोप पत्र में वर्णित है

कि प्रार्थी की बीट के कक्ष क्रमांक 53 में अवैध उत्खनन के गड्ढे पाए गए हैं। जिसके प्रत्युत्तर में प्रार्थी का कथन है कि निरीक्षण दौरान पाए गए अवैध उत्खनन के गड्ढे पूर्व उत्खनित हैं जो प्रार्थी की बीट पर

4986
12/07/2021

निर्माण से पहले ही वहां मौजूद थे। सर्वविदित है कि बीट खेरोना पूर्व से ही अवैध उत्खनन की दृष्टि से अति निलंबित रही है प्रार्थी से पूर्व संबंधित बीट पर कार्यरत वनरक्षक भी उत्खनन संबंधी निरीक्षण में निलंबित हो चुके हैं। अतः बीट में अवैध फर्शी पत्थर के गड्ढों का प्रार्थी की नियुक्ति से पूर्व का होना स्वतः सिद्ध हो जाता है। प्रार्थी द्वारा बीट का चार्ज लेते समय पुराने वनरक्षक द्वारा चार्ज लिस्ट में अवैध उत्खनन के पुराने गड्ढों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा चार्ज ग्रहण करने के उपरांत बीट का निरीक्षण कर बीट नुकसानी के संबंध में मौखिक तथा लिखित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया था। तथा समय-समय पर मौखिक तथा पत्र व्यवहार के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवैध उत्खनन की स्थिति से अवगत कराया गया इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर पर प्रार्थी द्वारा बीट में चल रहे अवैध खनन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया इन्हीं प्रयासों के दौरान कई बार प्रार्थी प्रार्थी को उत्खनन कर्ताओं द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई तथा दो बार प्रार्थी पर जानलेवा हमला किया गया जिसकी सूचना प्रार्थी द्वारा संबंधित पुलिस थानों में दी गई। पर अपने कर्तव्य पर तटस्थ प्रार्थी ने निर्भीक होकर अवैध उत्खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए अपने 6 महीने के सेवाकाल में 4 अपराधियों की गिरफ्तारी समेत कुल 14 अपराध प्रकरण दर्ज किए साथ ही कारवाही में जप्त फर्शी पत्थर को हिफाजत के साथ शिवपुरी डिपो पहुंचाया। दिनांक 06/06/2021 को उपवन मंडलधिकारी शिवपुरी, वन परिक्षेत्रधिकारी शिवपुरी, सतनवाड़ा, बदरवास, पोहरी वन मंडल उड़नदस्ता, वन वृत्त उड़नदस्ता मय अतिरिक्त वनदल द्वारा बिना पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण, दिनांक 21/06/2021 परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ द्वारा बीट निरीक्षण तथा दिनांक 01/07/2021 को उपवन मंडलधिकारी शिवपुरी तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी शिवपुरी मय वनदल द्वारा औचक निरीक्षण में एक भी अवैध उत्खनित फर्शी पत्थर का ना पाया जाना स्वयं इस बात का परिचायक है कि प्रार्थी के अथक प्रयासों तथा निरंतर गंभीरता से बीट खेरोना में चल रहे अवैध उत्खनन के कार्य पर अंकुश लगा है।

Attested :
Deena
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

प्रार्थी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा लगन तत्परता तथा ईमानदारी से किया गया। प्रार्थी का निलंबन तथा समाज द्वारा निलंबित कर्मचारी को घृणा की दृष्टि से देखा जाना प्रार्थी के मन-मस्तिष्क पर एक बड़ा पात के समान है जिससे प्रार्थी मानसिक अवसाद की स्थिति में है। तथा अपने परिवार के आर्थिक पोषण का एकमात्र सहारा है। परिवार की पूरी जिम्मेदारी प्रार्थी पर ही है।

अंततः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के उत्तर को स्वीकार करें। तथा दया स्वरूप प्रार्थी पर लगे आरोप को निस्तब्ध करने तथा प्रार्थी को नौकरी पर बहाल

प्रार्थी आपका आजीवन कृतज्ञ रहेगा। प्रार्थी आपको आश्वासन देता है कि वह अपने कर्तव्य सदा निष्ठावान तथा वफादार रहेगा तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका प्रदान नहीं देगा।

सलगन प्रार्थी द्वारा सेवाकाल में दर्ज किए गए वन अपराध प्रकरणों की जानकारी

- 1) वन अपराध प्रकरण क्र.992/21 में वसूल जुर्माने की मनी रसीद क्र.873/47 की प्रतिलिपि
- 2) बीट खेरौना में प्रार्थी पर हुए हमले की शिकायत थाना सुरवाया में दिए गए पत्र की प्रतिलिपि दिनांक 09/01/2021
- 3) प्रार्थी द्वारा बीट का चार्ज लेने के उपरांत बीट की नुकसानी के संबंध में संबंधित अधिकारी को पत्र की प्रतिलिपि दिनांक 12/01/2021
- 4) गूगल अर्थ द्वारा नवंबर 2020 में बीट खेरौना में अवैध उत्खनन की स्थिति का छायाचित्र
- 5) देहात थाना शिवपुरी में दिए गए पत्र की प्रतिलिपि दिनांक 26/01/2021
- 6) प्रार्थी द्वारा परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ के माध्यम से भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपि दिनांक 04/02/2021, 18/02/2021, 14/03/2021, 15/04/2021, 22/04/2021,

Attested
Deena



- 7) दिनांक 05/04/2021 को बनाए गए पंचनामा की प्रतिलिपि
- 8) वन परिक्षेत्र कार्यालय शिवपुरी को दिए गए पत्र की प्रतिलिपि दिनांक 28/05/2021
- 9) परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ द्वारा बीट खेरौना के निरीक्षण पंचनामा की प्रतिलिपि दिनांक 21/06/2021
- 10) दिनांक 01/07/2021 को व्हाट्सएप पर प्राप्त आदेश की प्रतिलिपि

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र पिछा
क्रमांक-707
दिनांक 12/08/2021
शतक: वन मण्डलाधिकारी कलेक्टर वन मण्डल शिवपुरी
भी सेवा में अभिस कार्य करती हूँ प्रमाणित है।

शिवपुरी
दिनांक 12/08/2021



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सा. वनमण्डल शिवपुरी (मध्य प्रदेश)



दूरभाष: 07492-221012, मोबाइल: 9424794737, ई-मेल: dfotshivp@mp.gov.in

क्रमांक / 2021 / 4154

शिवपुरी, दिनांक / 06-08-2021

निम्नांकित कर्मचारियों की ड्यूटी कार्यालयीन पत्र क्र. / 2021 / 3415 दिनांक 02.07.2021 से वन परिक्षेत्र शिवपुरी के अंतर्गत वन चौकी मोहनगढ़ में अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु लगाई गयी थी। वर्षा ऋतु के कारण सबरेंज मोहनगढ़ में अवैध उत्खनन के स्थलों में पानी भर गया है एवं प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह भी ज्ञात हुआ है कि सबरेंज मोहनगढ़ में हो रहे अवैध उत्खनन पर नियंत्रण स्थापित हो गया है।

उक्त आदेश में संशोधन करते हुए सा. वनमण्डल शिवपुरी के अंतर्गत वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु निम्नांकित विशेष कर्तव्य कर्मचारियों के दल का गठन किया जाता है :-

- (1). श्री पंकज सिंह भदौरिया, वनपाल वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा (दल प्रभारी)
- (2). श्री सुरेश कुमार भार्गव, वनपाल वन परिक्षेत्र पोहरी
- (3). श्री पुरुषोत्तम शर्मा वनरक्षक, वन परिक्षेत्र शिवपुरी
- (4). श्री ऋषभ तिवारी वनरक्षक, वन परिक्षेत्र पोहरी
- (5). श्री अनिल शर्मा वनरक्षक, वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा
- (6). श्री धीरज पाण्डे वनरक्षक, वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा
- (7). श्री मनीष उपाध्याय वनरक्षक, वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा

उक्त वन दल की ड्यूटी अस्थायी रूप से वनमण्डल शिवपुरी के अंतर्गत वन्यप्राणियों के रेस्क्यू में लगाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि, आप वनमण्डल शिवपुरी के अंतर्गत होने वाले वन्यप्राणियों के रेस्क्यू का कार्य करेंगे, इस हेतु आप संबंधित वन परिक्षेत्र/उड़नदस्ता दल वनमण्डल शिवपुरी के वाहन का उपयोग करेंगे। वन्यप्राणियों के रेस्क्यू से संबंधित कार्यों के प्रशिक्षण हेतु सम्पूर्ण दल माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के वन्यप्राणी रेस्क्यू दल के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Meena

(मीना कुमारी मिश्रा)
(भा.व.से.)

वनमण्डलाधिकारी

सा. वनमण्डल शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक / 06-08-2021

पृष्ठा. क्र. / 2021 / 4155

प्रतिलिपि:-

- (1). उप वनमण्डलाधिकारी शिवपुरी/करैरा।
- (2). परिक्षेत्राधिकारी सतनवाड़ा, पोहरी एवं शिवपुरी की ओर संबंधित कर्मचारियों को आदेश की प्रति वितरित करें।
- (3). वन परिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी, सतनवाड़ा, पोहरी, पिछोर, करैरा, बदरवास एवं कोलारस उपरोक्त वन्यप्राणी रेस्क्यू दल को आवश्यकता होने पर वाहन उपलब्ध करायें।
- (4). उड़नदस्ता प्रभारी सा. वनमण्डल शिवपुरी की ओर आप अपने दल सहित उपरोक्त वन्यप्राणी रेस्क्यू दल को वाहन एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी
शिवपुरी

आवक क्रमांक 467

दिनांक 07-08-21

Meena

वनमण्डलाधिकारी

सा. वनमण्डल शिवपुरी

वन अपराध या अवैध शिकार से संबंधित सूचना टोल फी नंबर 155312

Attested

Meena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

क्रमांक/ 1248

दिनांक/ 12/11/21

प्रति

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी

द्वारा :-
विषय :-

उप वनमण्डलाधिकारी उप वनमण्डल शिवपुरी।
परिक्षेत्र के अंतर्गत अवैध उत्खनन की रोकथाम की कार्यवाही उपरांत प्रतिवेदन प्रेषित करने विषयक।

—00—

विषयांकित विषय में निवेदन है, कि वन परिक्षेत्र शिवपुरी अंतर्गत अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन वन अपराध पर पर्याप्त अंकुश लगाने की दिशा में पर्याप्त वन बल, पुलिस बल के साथ वन अपराध को नियंत्रित करने की कार्यवाही की गई जिसकी बिन्दुवार जानकारी इस प्रकार है :-

1. समय 9:00 A.M. को दिनांक 10.11.2021 को पर्याप्त वन बल (उडनदस्ता मु.व.स. एवं वनमण्डल) वन अमला वन परिक्षेत्र सतनबाडा एवं समस्त वन स्टाफ शिवपुरी के लगभग 50-60 स्टाफ वन मार्ग जो अवैध परिवहन के लिए संवेदनशील व उत्खनन किये जाने हेतु संवेदन बीटों में जे.सी.बी. मशीन सहित बीट मझेंरा पहुंचे। वहां इस प्रकार के रास्ते बंद किये। मौका पंचनामा बनाया जो संलग्न है।
2. समय लगभग 12:30 P.M. को बीट खैरोना पहुंचे। संवेदनशील निकासी मार्गों को जे.सी.बी. की मदद से रास्तो को अवरोधित किया गया। मौके का पंचनामा बनाया जो संलग्न है।
3. समय लगभग 3:30 P.M. बजे बीट अर्जुनगवां पहुंचे, वहां बीट अंतर्गत अवैध उत्खनन के लिए संवेदनशील पुराने गड्डो को जे.सी.बी. की मदद से मलवे से आंशिक रूप से भरे गये।
4. समय लगभग 5:30 P.M. को बीट खैरोना पहुंचे वहां भी मार्गों को अवरोधित किया गया व उत्खनित पूर्व के गड्डो को मलवे से भरा गया। मौके पर पंचनामा बनाया गया जो संलग्न है।

उपरोक्तानुसार समस्त स्टाफ द्वारा शाम के लगभग 7:15 P.M. तक जे.सी.बी. मशीनों के माध्यम से लगभग 40-50 गड्डो को आंशिक रूप से बंद किया गया। व अवैध परिवहन हेतु संवेदनशील वन मार्गों को ध्वस्त किया गया। व गहरी ट्रेंच, नाली, खोदी गई। उक्त कार्यवाही से निसंदेह वन अपराध पर पर्याप्त अंकुश लगेगा व वन सुरक्षा व पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रभावी कदम श्रावित होगा।

प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- मौका पंचनामा।

पृष्ठांकन क्रमांक/ 1249
प्रतिलिपि,

दिनांक/ 12/11/21

1. मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

Attested
Deena

o/c

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र शिवपुरी

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): शिवपुरी P.S. (थाना): सुरवाया Year (वर्ष): 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0087

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 12/12/2019 17:06 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	353
2	भा दं सं 1860	341
3	भा दं सं 1860	294
4	भा दं सं 1860	34

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): बुधवार Date from (दिनांक से): 04/12/2019 Date To (दिनांक तक): 04/12/2019
Time Period (समय अवधि): 18:05 बजे Time From (समय से): 18:05 बजे Time To (समय तक): 18:20 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/12/2019 Time (समय): 16:44 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 014 Date and Time (दिनांक और समय): 16:44 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 15 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): पाटखेडा तिराहा ग्राम बूढीबरोद ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): आशीष समाधिया

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री कृष्णगोपाल समाधिया

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1983
(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
(पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
---------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
--------------------	------------------------------	---------------

1	वर्तमान पता	परिक्षेत्र सहायक वन परिक्षेत्र, शिवपुरी शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	परिक्षेत्र सहायक वन परिक्षेत्र, शिवपुरी शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

91-8223841777

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	प्राण सिंह गुर्जर			1. ग्राम भगौरा, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत
2	नीलम गुर्जर			1. ग्राम मझौरा, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत
3	जगतार गुर्जर			1. ग्राम मझौरा, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत
4	महेन्द्र गुर्जर			1. ग्राम मझौरा, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत
5	मलखान गुर्जर			1. ग्राम मझौरा, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत
6	अजब सिंह गुर्जर		पिता का नाम : मोहर सिंह गुर्जर	1. ग्राम मझौरा, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

विभागीय अधिकारियों को पत्राचार करने के बाद

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

Deena

S. No. UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
(क्र.सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

इस समय सूचना है कि आवेदक आशीष पुत्र श्री कृष्णगोपाल समाधिया उम्र 36 साल निवासी परिक्षेत्र सहायक वन परिक्षेत्र शिवपुरी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लेखीय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसका मजबूत हस्व जैल है प्रति, थाना प्रभारी थाना सुरवाया विषय वन प्रकरण के आरोपी को छुडाकर शासकीय कार्य में बाधा डालने बावत, सन्दर्भ पी.ओ.आर. क्र.618/15 दिनांक 04.12.19 विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रकरण के संबंध में लेख है कि दिनांक 04.12.19 को वन दल द्वारा उप वन परिक्षेत्र मोहनगढ की बीट खैरोना के कक्ष क्रमाक आर. एफ.53 में पूर्व से उत्खनित गड्डे पर पहुचकर अवैध उत्खनन अंतर्गत कार्यवाही करते हुये एक आरोपी अजब सिंह पुत्र मोहर सिंह गुर्जर निवासी मझौरा के ऊपर वन अपराध प्रकरण क्रमाक 618/15 दिनांक 04.12.19 कायम किया जाकर आरोपी को साथ लेकर एवं जप्त सामग्री/औजारो के साथ जंगल के रास्ते मोहनगढ होते हुये शिवपुरी के लिये जा रहा था तभी रास्ते में पाटखेडा तिराहा के पास करीबन 6.05 बजे शाम प्राण सिंह गुर्जर नि.भगौरा, नीलम गुर्जर एवं जगतार गुर्जर निवासीगण मझौरा के एक दम से हमारी गाडियों के सामने आये और हमारा रास्ता रोक लिया एवं हमे मां बहिन की अश्लील गालिया दी और आरोपी अजब सिंह गुर्जर को जबरदस्ती छुडाकर अपने साथ ले गये तभी महेन्द्र गुर्जर एवं मलखान गुर्जर निवासीगण मझौरा के आये जिन्होने भी हमे मां बहिन की अश्लील गालियां दी एवं आरोपी का मोवाईल ले गये इस प्रकार उपरोक्त आरोपीगण ने शासकीय कार्य में बाधा डाली मौके पर बीट गाई पुरुषोत्तम शर्मा व रामअवतार शर्मा थे एवं आस पास के लोग भी आ गये थे जिन्होने घटना देखी थी इसके बाद हमने अपने बरिष्ठ अधिकारियों को पत्राचार किया व आज दिनांक को रिपोर्ट करने थाने आया हूं। कृपया आरोपीगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करे। हस्ताक्षर अपठित भवदीय आशीष पुत्र श्री कृष्णगोपाल समाधिया उम्र 36 साल निवासी परिक्षेत्र सहायक वन परिक्षेत्र शिवपुरी मो.8223841777 उपरोक्त विवरण से अपराध क्रमाक 87 /19 धारा 353,341,294,34ताहि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक
DINESH NARWARIYA



No. (सं.): 0000000 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): MAHENDRA KUMAR SAXENA

Rank (पद): HC (Head Constable)

No. (सं.): 2

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल सिवपुरी

1. D
F
2. S
(

3. (

4.
5. 14.

Signature / Thumb
impression
of the complainant /
informant (शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक
और समय):



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष			-		रक्त वर्ग काला निशान: जले का निशान: लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे): तिल की जगह: घाव के निशान: टैटू के निशान:
2	पुरुष			-		रक्त वर्ग काला निशान: जले का निशान: लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे): तिल की जगह: घाव के निशान: टैटू के निशान:
3	पुरुष			-		रक्त वर्ग काला निशान: जले का निशान: लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे): तिल की जगह: घाव के निशान: टैटू के निशान:

7

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

4 पुरुष


रक्त वर्ग
 काला निशान:
 जले का निशान:
 लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे):
 तिल की जगह:
 घाव के निशान:
 टैटू के निशान:

5 पुरुष

रक्त वर्ग
 काला निशान:
 जले का निशान:
 लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे):
 तिल की जगह:
 घाव के निशान:
 टैटू के निशान:


6 पुरुष

रक्त वर्ग
 काला निशान:
 जले का निशान:
 लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे):
 तिल की जगह:
 घाव के निशान:
 टैटू के निशान:



वन मण्डलाधिकारी
 सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13
भुजाये: मुड़ी हुई टांग: बहरा / गूंगा: कान निहाई: कान विकृत: गुम कान: अतिरिक्त उंगली: गुम उंगली: कंठमाला: कूबड़ / झुकी हुई पीठ: ठक घुटने: पैर: लंगड़ाहट: पैर की अतिरिक्त अंगुली: पैर की गुम अंगुली:		बालों का रंग: बालों की कटाई: बाल डाई: बालों की लंबाई: बालों का स्टाइल: बालों का प्रकार: बालों का सीधा पन: विग का उपयोग:	नेत्रहीन: आँखे टिमटिमाना: भौंह का आकार: भौंह की मोटाई: आंखों का रंग: आंखों के प्रकार: चश्मे का प्रकार: भेंगा: चश्मे का प्रयोग:		जूते: आंतरिक तल: आंतरिक शीर्ष: बाहरी तल: बाहरी शीर्ष: मौसमी/उपसाधन तल: मौसमी/उपसाधन शीर्ष:



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

भुजाये:
 मुड़ी हुई टांग:
 बहरा / गूंगा:
 कान निहाई:
 कान विकृत:
 गुम कान:
 अतिरिक्त उंगली:
 गुम उंगली:
 कंठमाला:
 कूबड़ / झुकी हुई
 पीठ:
 ठक घुटने:
 पैर:
 लंगड़ाहट:
 पैर की अतिरिक्त
 अंगुली:
 पैर की गुम अंगुली:
 भुजाये:
 मुड़ी हुई टांग:
 बहरा / गूंगा:
 कान निहाई:
 कान विकृत:
 गुम कान:
 अतिरिक्त उंगली:
 गुम उंगली:
 कंठमाला:
 कूबड़ / झुकी हुई
 पीठ:
 ठक घुटने:
 पैर:
 लंगड़ाहट:
 पैर की अतिरिक्त
 अंगुली:
 पैर की गुम अंगुली:

बालों का रंग:
 बालों की कटाई:
 बाल डाई:
 बालों की लंबाई:
 बालों का स्टाइल:
 बालों का प्रकार:
 बालों का सीधा पन:
 विग का उपयोग:
 नेत्रहीन:
 आँखे टिमटिमाना:
 भौंह का आकार:
 भौंह की मोटाई:
 आंखों का रंग:
 आंखों के प्रकार:
 चश्मे का प्रकार:
 भेंगा:
 चश्मे का प्रयोग:

जूते:
 आंतरिक तल:
 आंतरिक शीर्ष:
 बाहरी तल:
 बाहरी शीर्ष:
 मौसमी/उपसाध
 न तल:
 मौसमी/उपसाध
 न शीर्ष:

बालों का रंग:
 बालों की कटाई:
 बाल डाई:
 बालों की लंबाई:
 बालों का स्टाइल:
 बालों का प्रकार:
 बालों का सीधा पन:
 विग का उपयोग:
 नेत्रहीन:
 आँखे टिमटिमाना:
 भौंह का आकार:
 भौंह की मोटाई:
 आंखों का रंग:
 आंखों के प्रकार:
 चश्मे का प्रकार:
 भेंगा:
 चश्मे का प्रयोग:

जूते:
 आंतरिक तल:
 आंतरिक शीर्ष:
 बाहरी तल:
 बाहरी शीर्ष:
 मौसमी/उपसाध
 न तल:
 मौसमी/उपसाध
 न शीर्ष:

भुजाये:
 मुड़ी हुई टांग:
 बहरा / गूंगा:
 कान निहाई:
 कान विकृत:
 गुम कान:
 अतिरिक्त उंगली:
 गुम उंगली:
 कंठमाला:
 कूबड़ / झुकी हुई
 पीठ:
 ठक घुटने:
 पैर:
 लंगड़ाहट:
 पैर की अतिरिक्त
 अंगुली:
 पैर की गुम अंगुली:
 भुजाये:
 मुड़ी हुई टांग:
 बहरा / गूंगा:
 कान निहाई:
 कान विकृत:
 गुम कान:
 अतिरिक्त उंगली:
 गुम उंगली:
 कंठमाला:
 कूबड़ / झुकी हुई
 पीठ:
 ठक घुटने:
 पैर:
 लंगड़ाहट:
 पैर की अतिरिक्त
 अंगुली:
 पैर की गुम अंगुली:

बालों का रंग:
 बालों की कटाई:
 बाल डाई:
 बालों की लंबाई:
 बालों का स्टाइल:
 बालों का प्रकार:
 बालों का सीधा पन:
 विग का उपयोग:
 नेत्रहीन:
 आँखे टिमटिमाना:
 भौंह का आकार:
 भौंह की मोटाई:
 आंखों का रंग:
 आंखों के प्रकार:
 चश्मे का प्रकार:
 भेंगा:
 चश्मे का प्रयोग:

बालों का रंग:
 बालों की कटाई:
 बाल डाई:
 बालों की लंबाई:
 बालों का स्टाइल:
 बालों का प्रकार:
 बालों का सीधा पन:
 विग का उपयोग:
 नेत्रहीन:
 आँखे टिमटिमाना:
 भौंह का आकार:
 भौंह की मोटाई:
 आंखों का रंग:
 आंखों के प्रकार:
 चश्मे का प्रकार:
 भेंगा:
 चश्मे का प्रयोग:

जूते:
 आंतरिक तल:
 आंतरिक शीर्ष:
 बाहरी तल:
 बाहरी शीर्ष:
 मौसमी/उपसाध
 न तल:
 मौसमी/उपसाध
 न शीर्ष:

जूते:
 आंतरिक तल:
 आंतरिक शीर्ष:
 बाहरी तल:
 बाहरी शीर्ष:
 मौसमी/उपसाध
 न तल:
 मौसमी/उपसाध
 न शीर्ष:

- | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| भुजाये: | बालों का रंग: | नेत्रहीन: | जूते: |
| मुड़ी हुई टांग: | बालों की कटाई: | आँखे टिमटिमाना: | आंतरिक तल: |
| बहरा / गूंगा: | बाल डाई: | भौंह का आकार: | आंतरिक शीर्ष: |
| कान निहाई: | बालों की लंबाई: | भौंह की मोटाई: | बाहरी तल: |
| कान विकृत: | बालों का स्टाइल: | आंखों का रंग: | बाहरी शीर्ष: |
| गुम कान: | बालों का प्रकार: | आंखों के प्रकार: | |
| अतिरिक्त उंगली: | बालों का सीधा पन: | चश्मे का प्रकार: | मौसमी/उपसाध |
| गुम उंगली: | विग का उपयोग: | भेंगा: | न तल: |
| कंठमाला: | | चश्मे का प्रयोग: | मौसमी/उपसाध |
| कूबड़ / झुकी हुई | | | न शीर्ष: |
| पीठ: | | | |
| ठक घुटने: | | | |
| पैर: | | | |
| लंगड़ाहट: | | | |
| पैर की अतिरिक्त | | | |
| अंगुली: | | | |
| पैर की गुम अंगुली: | | | |

Language/Dialect
(भाषा/बोली)

Place of (का स्थान)

Others (अन्य)

Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderm ^a (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)
14	15	16	17	18
			19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): शिवपुरी P.S. (थाना): देहात थाना Year (वर्ष): 2020
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0065 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 02/02/2020 16:55 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	353
2	भा दं सं 1860	332
3	भा दं सं 1860	186
4	भा दं सं 1860	506
5	भा दं सं 1860	34

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): रविवार Date from (दिनांक से): 02/02/2020 Date To (दिनांक तक): 02/02/2020
Time Period (समय अवधि): पहर 4 Time From (समय से): 10:30 बजे Time To (समय तक): 10:40 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 02/02/2020 Time (समय): 16:40 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 020 Date and Time (दिनांक और समय): 16:44 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 15 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):


वन संपादन विभाग
नाम्नांक 02/02/2020

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): नकुल शर्मा

(b) Father's Name (पिताका नाम): स्व. श्री महेश कुमार शर्मा

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1993 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
(पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
---------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	वनरक्षक, नरेन्द्र नगर शिवपुरी, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	वनरक्षक, नरेन्द्र नगर शिवपुरी, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

91-7415730779

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अजात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अजात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	भूरा सरदार			1. बांसखेडी, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत
2	खुद्दा सरदार			1. बांसखेडी, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत
3	एक अन्य व्यक्ति			1. अजात, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No.
(क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म-I)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

इस समय सूचना है कि वनरक्षक नकुल शर्मा पुत्र स्व. श्री महेश कुमार शर्मा उम 27 साल निवासी नरेन्द्र नगर शिवपुरी थाना फिजीकल हाल वीट गाई पार्ट खेडा वन परिक्षेत्र शिवपुरी ने एक लेखीय आवेदन पत्र कार्यालय वन परिक्षेत्र शिवपुरी से पी.ओ.आर. प्रकरण क्र. 554/24 में जप्त ट्रैक्टर ट्राली को आरोपी भूरा सरदार, खुददा सरदार निवासीगण वांसखेडी (सीर) एवं अन्य एक साथी द्वारा शासकीय कार्य में बाधा कर ट्रैक्टर ट्राली मय बोल्टर भरे को भगा ले जाने वावत् पेश किया है जिसका विवरण निम्नलिखित है कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी परिक्षेत्र शिवपुरी (म.प्र.) क्रमांक/110 दिनांक 02/02/2020 प्रति श्री थाना प्रभारी थाना देहात शिवपुरी विषय POR प्रकरण क्र. 554/24 दिनांक 02/02/2020 में जप्त वाहन को छुडा ले जाते हुये शासकीय कार्य में बाधा डालने की कायमी करने वावत् उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आज दिनांक 02/02/2020 मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वन दल द्वारा वन परिक्षेत्र शिवपुरी के अंतर्गत प्रातः लगभग 10.30 बजे सारदा सोलवेंट फेक्ट्री के पास में खंडे बोल्टर से अवैध रूप से भरे हुये एक लाल रंग का महिन्द्रा 575 DI ट्रैक्टर ट्राली को मय ड्रायवर के पकडा एवं पकडकर P.O.R. No. 554/24 पर जप्त कर शिवपुरी की ओर ला रहे थे। वन दल में नकुल शर्मा वन रक्षक, कैलाश यादव वन रक्षक, सौरभ सिंह राजपूत वन रक्षक, राजेन्द्र पाल सिंह वन रक्षक थे तभी वहां भूरा सरदार, खुददा सरदार एवं कुछ लोग हाथों में डंडा तथा फरसा लेकर आये एवं फरसे तथा डंडे चलाते हुये जप्त ट्रैक्टर ट्राली मय वन संपदा के बलपूर्वक गाली गलौच करते हुये अभिरक्षा से छिनाकर ले गये एवं जान से मारने की धमकी दे गये। कृप्या उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करें। हस्ताक्षर अंग्रेजी श्री भुवनेश कुमा योगी वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र शिवपुरी 9713954796

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): सहायकउप -
BAJRANG SINGH JADON निरीक्षक

No. (सं.): 00 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया


वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

(4) Transferred to P.S. (थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम): GOVERDHAN SINGH
JATAV

Rank (पद): प्रधान सिपाही

Signature of Officer in charge, Police
Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)


Name (नाम): ANJLI SINGH

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 1

14. Signature / Thumb
impression
of the complainant /
informant (शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक)



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष			-		रक्त वर्ग काला निशान: जले का निशान: लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे): तिल की जगह: घाव के निशान: टैटू के निशान:
2	पुरुष			-		रक्त वर्ग काला निशान: जले का निशान: लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे): तिल की जगह: घाव के निशान: टैटू के निशान:
3	पुरुष			-		रक्त वर्ग काला निशान: जले का निशान: लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे): तिल की जगह: घाव के निशान: टैटू के निशान:

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Deformities /
Peculiarities(विकृतियाँ /
विशिष्टताएँ)

8

Teeth (दाँत)

9

Hair (बाल)

10

Eye (आँखें)

11

Habit(s)
(आदतें)

12

Dress Habit
(s) (पहनावा)


13

भुजाये:
मुड़ी हुई टांग:
बहरा / गूंगा:
कान निहाई:
कान विकृत:
गुम कान:
अतिरिक्त उंगली:
गुम उंगली:
कंठमाला:
कूबड़ / झुकी हुई
पीठ:
ठक घुटने:
पैर:
लंगड़ाहट:
पैर की अतिरिक्त
अंगुली:
पैर की गुम अंगुली:

बालों का रंग:
बालों की कटाई:
बाल डाई:
बालों की लंबाई:
बालों का स्टाइल:
बालों का प्रकार:
बालों का सीधा पन:
विग का उपयोग:

नेत्रहीन:
आँखे टिमटिमाना:
भौंह का आकार:
भौंह की मोटाई:
आंखों का रंग:
आंखों के प्रकार:
चश्मे का प्रकार:
भेंगा:
चश्मे का प्रयोग:

जूते:
आंतरिक तल:
आंतरिक शीर्ष:
बाहरी तल:
बाहरी शीर्ष:
मौसमी/उपसाध
न तल:
मौसमी/उपसाध
न शीर्ष:



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

L.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

भुजाये:
 मुड़ी हुई टांग:
 बहरा / गूंगा:
 कान निहाई:
 कान विकृत:
 गुम कान:
 अतिरिक्त उंगली:
 गुम उंगली:
 कठमाला:
 कूबड़ / झुकी हुई
 पीठ:
 ठक घुटने:
 पैर:
 लंगड़ाहट:
 पैर की अतिरिक्त
 अंगुली:
 पैर की गुम अंगुली:

बालों का रंग:
 बालों की कटाई:
 बाल डाई:
 बालों की लंबाई:
 बालों का स्टाइल:
 बालों का प्रकार:
 बालों का सीधा पन:
 विग का उपयोग:
 नेत्रहीन:
 आँखे टिमटिमाना:
 भौंह का आकार:
 भौंह की मोटाई:
 आंखों का रंग:
 आंखों के प्रकार:
 चश्मे का प्रकार:
 भेंगा:
 चश्मे का प्रयोग:

जूते:
 आंतरिक तल:
 आंतरिक शीर्ष:
 बाहरी तल:
 बाहरी शीर्ष:
 मौसमी/उपसाध
 न तल:
 मौसमी/उपसाध
 न शीर्ष:

भुजाये:
 मुड़ी हुई टांग:
 बहरा / गूंगा:
 कान निहाई:
 कान विकृत:
 गुम कान:
 अतिरिक्त उंगली:
 गुम उंगली:
 कठमाला:
 कूबड़ / झुकी हुई
 पीठ:
 ठक घुटने:
 पैर:
 लंगड़ाहट:
 पैर की अतिरिक्त
 अंगुली:
 पैर की गुम अंगुली:

बालों का रंग:
 बालों की कटाई:
 बाल डाई:
 बालों की लंबाई:
 बालों का स्टाइल:
 बालों का प्रकार:
 बालों का सीधा पन:
 विग का उपयोग:
 नेत्रहीन:
 आँखे टिमटिमाना:
 भौंह का आकार:
 भौंह की मोटाई:
 आंखों का रंग:
 आंखों के प्रकार:
 चश्मे का प्रकार:
 भेंगा:
 चश्मे का प्रयोग:

जूते:
 आंतरिक तल:
 आंतरिक शीर्ष:
 बाहरी तल:
 बाहरी शीर्ष:
 मौसमी/उपसाध
 न तल:
 मौसमी/उपसाध
 न शीर्ष:

वन मण्डलाधिकारी
 सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

Language/Dialect
(भाषा/बोली)

Place of (का स्थान)

Others (अन्य)

14	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderm ^a (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	20
	15	16	17	18	19	

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): शिवपुरी P.S. (थाना): देहात थाना Year (वर्ष): 2020
 FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0274 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 20/08/2020 20:20 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	353
2	भा दं सं 1860	186
3	भा दं सं 1860	427

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): शुक्रवार Date from (दिनांक से): 17/04/2020 Date To (दिनांक तक): 17/04/2020
 Time Period (समय अवधि): पहर 5 Time From (समय से): बजे 14:00 Time To (समय तक): 14:15 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 20/08/2020 Time (समय): 19:45 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 026 Date and Time (दिनांक और समय): 20:08 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): मौखिक

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 10 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): मझेरा लीज के पास, शिवपुरी,

Deena

वन मण्डलाधिकारी
 सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम): District (State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): भुवनेश कुमार योगी

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री वनवारीलाल योगी

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1985 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
(पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	आईटीआई के पास फोरेस्ट कालोनी, शिवपुरी, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	जेल लाइन अशोकनगर, अशोक नगर, मध्य प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):
91-9713954796

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	उम्मेद सिंह गुर्जर		पिता का नाम : पंजाब सिंह गुर्जर	1. ग्राम मझेरा, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत
2	हक्को सिंह गुर्जर		पिता का नाम : गजराज सिंह गुर्जर	1. मझेरा, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत
3	छोटू गुर्जर		पिता का नाम : गजराज सिंह गुर्जर	1. मझेरा, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत
4	फुल्लो सिंह गुर्जर		पिता का नाम : चंदन सिंह गुर्जर	1. मझेरा, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत
5	अजबसिंह गुर्जर		पिता का नाम : मोहरसिंह गुर्जर	1. मझेरा, देहात थाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य रु में)

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

फरियादी भुवनेश कुमार योगी पुत्र श्री वनवारी लाल योगी उम्र 35 साल निवासी आईटीआई के पास फोरेस्ट कालोनी शिवपुरी ने थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि मैं वन विभाग में रेंजर के पद पर पदस्त हूँ मेरा वन परिक्षेत्र एरिया शिवपुरी है आज दिनांक 20.08.2020 को परिक्षेत्र सहायक आशीष समाधिया बडागांव बडौदी वाले रोड पर से उम्मेद सिंह गुर्जर निवासी मझेरा को अवैध रूप से मझेरा खदान से फर्सी पत्थर लेकर आते हुये पकडा था जिसका आशीष समाधिया द्वारा प्रकरण बनाकर मय फर्सी व मोटर सायकिल के मेरे समक्ष दोपहर 01 बजे करीब प्रस्तुत किया था मेरे समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व परिक्षेत्र सहायक आशीष समाधिया के साथ शामिल टीम के सदस्यों गिरीश नामदेव, हेमराज शाक्य, बाबूलाल नरवरिया द्वारा बताया गया कि । दिनांक 17.04.2020 को समय दोपहर 02 बजे करीब मझेरा लीज के पास एसडीओ साहब व रेंजर साहब तथा वनदल पर जो हमला हुआ था उसमें यह व्यक्ति भी शामिल था आशीष समाधिया द्वारा पेश करने पर मैंने तत्काल ही उसे देखते हुये पहचान लिया था कि दिनांक 17.04.2020 को हमारी टीम पर हमला करने वालों में उक्त आरोपी उम्मेद सिंह गुर्जर पुत्र पंजाब सिंह भी शामिल था उम्मेद सिंह व उसके साथियों द्वारा दिनांक 17.04.2020 को एसडीओ फोरेस्ट श्री डी के राजौरा, मुझ रेंजर भुवनेश कुमार योगी एवं वनदल पर पत्थर एवं लाठियों से हमला कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई थी एवं शासकीय वाहन क्रमांक एमपी 02 एबी 5989 को क्षतिग्रस्त कर दिया था । प्रकरण बनाने के उपरान्त वन परिक्षेत्र सहायक आशीष समाधिया द्वारा उम्मेद सिंह पुत्र पंजाब सिंह गुर्जर नि0 मझेरा का कबूलिया कथन लिया गया तो उसके द्वारा दिनांक 17.04.2020 को अपने साथी हक्को पुत्र गजराज सिंह गुर्जर, छोदू पुत्र गजराज सिंह गुर्जर, फुल्लो पुत्र चंदन सिंह गुर्जर, अजबसिंह पुत्र मोहरसिंह गुर्जर निवासी गण ग्राम मझेरा द्वारा घटना घटित करना कबूल किया । आरोपी के कबूलिया बयान शिनाख्ती पत्रक, शासकीय वाहन पर हमले के फोटोग्राफ पूर्व में थाने पर दिये गये आवेदन की छायाप्रति पेश कर रहा हूँ उक्त सभी आरोपीगण द्वारा दिनांक 17.04.2020 को वनदल पर हमला कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई थी । आरोपी उम्मेद सिंह पुत्र पंजाब सिंह गुर्जर को थाना इस समय वैधानिक कार्यवाही हेतु हमराह बल के लेकर आया हूँ । रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे । उपरोक्त विवरण पर से अपराध धारा-353, 186, 427 भादवि का पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना हेतु उनि आर0एस0 धाकड को दिया गया ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): GOVERDHAN SINGH JATAV (प्रधान सिपाही)/1 or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):



No. (सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): GOVERDHAN SINGH
JATAV

Rank (पद): HC (Head Constable)

No. (सं.): 1

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुर:

Signature / Thumb
impression
of the complainant /
informant (शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक
और समय):



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष			-		रक्त वर्ग काला निशान: जले का निशान: लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे): तिल की जगह: घाव के निशान: टैटू के निशान:
2	पुरुष			-		रक्त वर्ग काला निशान: जले का निशान: लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे): तिल की जगह: घाव के निशान: टैटू के निशान:
3	पुरुष			-		रक्त वर्ग काला निशान: जले का निशान: लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे): तिल की जगह: घाव के निशान: टैटू के निशान:

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

4	पुरुष			-		रक्त वर्ग काला निशान: जले का निशान: लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे): तिल की जगह: घाव के निशान: टैटू के निशान:
5	पुरुष			-		रक्त वर्ग काला निशान: जले का निशान: लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे): तिल की जगह: घाव के निशान: टैटू के निशान:



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13
भुजाये: मुड़ी हुई टांग: बहरा / गूंगा: कान निहाई: कान विकृत: गुम कान: अतिरिक्त उंगली: गुम उंगली: कंठमाला: कूबड़ / झुकी हुई पीठ: ठक घुटने: पैर: लंगड़ाहट: पैर की अतिरिक्त अंगुली: पैर की गुम अंगुली:		बालों का रंग: बालों की कटाई: बाल डाई: बालों की लंबाई: बालों का स्टाइल: बालों का प्रकार: बालों का सीधा पन: विग का उपयोग:	नेत्रहीन: आँखे टिमटिमाना: भौंह का आकार: भौंह की मोटाई: आंखों का रंग: आंखों के प्रकार: चश्मे का प्रकार: भेंगा: चश्मे का प्रयोग:		जूते: आंतरिक तल: आंतरिक शीर्ष: बाहरी तल: बाहरी शीर्ष: मौसमी/उपसाध न तल: मौसमी/उपसाध न शीर्ष:

<p>भुजाये: मुड़ी हुई टांग: बहरा / गूंगा: कान निहाई: कान विकृत: गुम कान: अतिरिक्त उंगली: गुम उंगली: कंठमाला: कूबड़ / झुकी हुई पीठ: ठक घुटने: पैर: लंगड़ाहट: पैर की अतिरिक्त अंगुली: पैर की गुम अंगुली:</p>		<p>बालों का रंग: बालों की कटाई: बाल डाई: बालों की लंबाई: बालों का स्टाइल: बालों का प्रकार: बालों का सीधा पन: विग का उपयोग:</p>	<p>नेत्रहीन: आँखे टिमटिमाना: भौंह का आकार: भौंह की मोटाई: आंखों का रंग: आंखों के प्रकार: चश्मे का प्रकार: भेंगा: चश्मे का प्रयोग:</p>	<p>जूते: आंतरिक तल: आंतरिक शीर्ष: बाहरी तल: बाहरी शीर्ष: मौसमी/उपसाधन तल: मौसमी/उपसाधन शीर्ष:</p>
<p>भुजाये: मुड़ी हुई टांग: बहरा / गूंगा: कान निहाई: कान विकृत: गुम कान: अतिरिक्त उंगली: गुम उंगली: कंठमाला: कूबड़ / झुकी हुई पीठ: ठक घुटने: पैर: लंगड़ाहट: पैर की अतिरिक्त अंगुली: पैर की गुम अंगुली:</p>		<p>बालों का रंग: बालों की कटाई: बाल डाई: बालों की लंबाई: बालों का स्टाइल: बालों का प्रकार: बालों का सीधा पन: विग का उपयोग:</p>	<p>नेत्रहीन: आँखे टिमटिमाना: भौंह का आकार: भौंह की मोटाई: आंखों का रंग: आंखों के प्रकार: चश्मे का प्रकार: भेंगा: चश्मे का प्रयोग:</p>	<p>जूते: आंतरिक तल: आंतरिक शीर्ष: बाहरी तल: बाहरी शीर्ष: मौसमी/उपसाधन तल: मौसमी/उपसाधन शीर्ष:</p>


वन मण्डलाधिकारी
 सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

भुजाये: मुड़ी हुई टांग: बहरा / गूंगा: कान निहाई: कान विकृत: गुम कान: अतिरिक्त उंगली: गुम उंगली: कंठमाला: कूबड़ / झुकी हुई पीठ: ठक घुटने: पैर: लंगड़ाहट: पैर की अतिरिक्त अंगुली: पैर की गुम अंगुली:	बालों का रंग: बालों की कटाई: बाल डाई: बालों की लंबाई: बालों का स्टाइल: बालों का प्रकार: बालों का सीधा पन: विग का उपयोग:	नेत्रहीन: आँखे टिमटिमाना: भौंह का आकार: भौंह की मोटाई: आंखों का रंग: आंखों के प्रकार: चश्मे का प्रकार: भेंगा: चश्मे का प्रयोग:	जूते: आंतरिक तल: आंतरिक शीर्ष: बाहरी तल: बाहरी शीर्ष: मौसमी/उपसाध न तल: मौसमी/उपसाध न शीर्ष:
भुजाये: मुड़ी हुई टांग: बहरा / गूंगा: कान निहाई: कान विकृत: गुम कान: अतिरिक्त उंगली: गुम उंगली: कंठमाला: कूबड़ / झुकी हुई पीठ: ठक घुटने: पैर: लंगड़ाहट: पैर की अतिरिक्त अंगुली: पैर की गुम अंगुली:	बालों का रंग: बालों की कटाई: बाल डाई: बालों की लंबाई: बालों का स्टाइल: बालों का प्रकार: बालों का सीधा पन: विग का उपयोग:	नेत्रहीन: आँखे टिमटिमाना: भौंह का आकार: भौंह की मोटाई: आंखों का रंग: आंखों के प्रकार: चश्मे का प्रकार: भेंगा: चश्मे का प्रयोग:	जूते: आंतरिक तल: आंतरिक शीर्ष: बाहरी तल: बाहरी शीर्ष: मौसमी/उपसाध न तल: मौसमी/उपसाध न शीर्ष:

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderm ^a (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): शिवपुरी P.S. (थाना): शिवपुरी Year (वर्ष): 2021
कोतवाली

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0639

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 02/11/2021 15:33 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	341
2	भा दं सं 1860	353

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): रविवार Date from (दिनांक से): 31/10/2021 Date To (दिनांक तक): 31/10/2021
Time Period (समय अवधि): पहर 7 Time From (समय से): 20:00 बजे Time To (समय तक): 20:15 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 02/11/2021 Time (समय): 15:25 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 023 Date and Time (दिनांक और समय): 15:25 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 05 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): बडोदी पानी की टंकी के पास, शिवपुरी

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	बृजेन्द्र शर्मा		पिता का नाम : प्रभुदयाल शर्मा	1. बडागांव जिला शिवपुरी, शिवपुरी कोतवाली, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

शिकायतकर्ता द्वारा थाना आकर आवेदन पत्र देने पर

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

M. S. S.

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): आशीष समाधिया
 (b) Father's Name (पिताका नाम): स्व. कृष्ण गोपाल शर्मा
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1983
 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	परिक्षेत्र सहायक एवं , बन विधालय शिवपुरी, शिवपुरी कोतवाली, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	परिक्षेत्र सहायक एवं , बन विधालय शिवपुरी, शिवपुरी कोतवाली, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

91-9893641971



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

आवेदक आशीष समाधिया पुत्र स्व. कृष्ण गोपाल शर्मा निवासी वन विधालय शिवपुरी परिक्षेत्र सहायक एवं वन थाना प्रभारी शिवपुरी वन परिक्षेत्र शिवपुरी मय वनरक्षक बाबू लाल नरवरिया, वनरक्षक महेश गुप्ता ने उपस्थित थाना आकर एक लेखिय आवेदन पत्र पेश किया जिसका मजबूत निम्नप्रकार है परिक्षेत्र सहायक शिवपुरी वन परिक्षेत्र शिवपुरी क्रं.2021/15 दिनांक 01.11.2021 प्रति श्रीमान थाना प्रभारी पुलिस थाना सिटी कोतवाली जिला शिवपुरी विषय- बृजेन्द्र शर्मा पु.प्रभुदयाल शर्मा निवासी बडागाँव जिला शिवपुरी द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों से शासकीय कार्य के दौरान अभद्र व्यवहार करने बावत । संदर्भ वन अपराध प्रकरण क्रमांक 997/08 दिनांक 31/10/2021 महोदय विषयांतर्गत संदर्भित प्रकरण में निवेदन है कि दिनांक 31.10.2021 को जंगल गस्ती के दौरान मुखविर से प्राप्त सूचना के आधार पर जंगल क्षेत्र से आ रहे रेत/रफुआ से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली का वन दल द्वारा पीछा किया गया पीछा करने के बाद घेरा डालकर बडौदी क्षेत्र में उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड लिया । उक्त ट्रैक्टर का ड्रायवर ट्रैक्टर को चलता छोडकर ट्रैक्टर से उतर कर भाग गया. ट्रैक्टर पत्थर की दीवार से टकराकर बन्द हो गया । बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त कर वन परिक्षेत्र परिसर को ले जाते समय बृजेन्द्र शर्मा पु.प्रभुदयाल शर्मा निवासी बडागाँव जिला शिवपुरी मौके पर आ गया व रास्ता रोक कर ट्रैक्टर ट्रॉली को आगे ले जाने देने से मना करने लगा तथा वन अमले से अभद्र व्यवहार एवं झूमा झटकी करने लगा जिसे बडी मुश्किल से रास्ते से हटाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त कर वन परिक्षेत्र शिवपुरी ईको सेन्टर लुधावली शिवपुरी लाया गया । बृजेन्द्र शर्मा पु.प्रभुदयाल शर्मा निवासी बडागाँव जिला शिवपुरी एक आदतन अपराधी है जिसके विरुद्ध पूर्व में भी वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध होकर उसका ट्रैक्टर ट्रॉली राजसात किया जा चुका है एवं अपराधी के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है कृपया निवेदन है कि बृजेन्द्र शर्मा पु.प्रभुदयाल शर्मा निवासी बडागाँव जिला शिवपुरी के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं शासकीय सेवक से शासकीय कार्य के दौरान अभद्र व्यवहार करने का प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें । संलग्न 1.पी.ओ.आर.की छायाप्रति ,2.मौका पंचनामा की छायाप्रति हस्ताक्षर अंग्रेजी आशीष समाधिया परिक्षेत्र सहायक एवं वन थाना प्रभारी शिवपुरी वन परिक्षेत्र शिवपुरी मो.नं.9893641971 पृ.क्र./2021/16दिनांक 01/11/2021 प्रतिलिपि श्रीमान वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र शिवपुरी की ओर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सादर सम्प्रेषित । हस्त परिक्षेत्र सहायक एवं वन थाना प्रभारी शिवपुरी वन परिक्षेत्र शिवपुरी उपरोक्त मजबूत से धारा 341,353 भादवि का अपराध पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । मूल आवेदन पत्र शामिल एफ.आई.आर.किया गया

13.



वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल शिवपुरी

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): सहायकउप - निरीक्षक
ABID KHAN

No. (सं.): 1 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरा

Signature of Officer in charge, Police
Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SUNIL KHEMARIYA

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 123

14. Signature / Thumb
impression
of the complainant /
informant (शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक
और समय):

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1991		-		रक्त वर्ग काला निशान: जले का निशान: लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे): तिल की जगह: घाव के निशान: टैटू के निशान:

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
भुजाये: मुड़ी हुई टांग: बहरा / गूंगा: कान निहाई: कान विकृत: गुम कान: अतिरिक्त उंगली: गुम उंगली: कंठमाला: कूबड़ / झुकी हुई पीठ: ठक घुटने: पैर: लंगड़ाहट: पैर की अतिरिक्त अंगुली: पैर की गुम अंगुली:		बालों का रंग: बालों की कटाई: बाल डाई: बालों की लंबाई: बालों का स्टाइल: बालों का प्रकार: बालों का सीधा पन: विग का उपयोग:	नेत्रहीन: आँखे टिमटिमाना: भौंह का आकार: भौंह की मोटाई: आंखों का रंग: आंखों के प्रकार: चश्मे का प्रकार: भेंगा: चश्मे का प्रयोग:		जूते: आंतरिक तल: आंतरिक शीर्ष: बाहरी तल: बाहरी शीर्ष: मौसमी/उपसाध न तल: मौसमी/उपसाध न शीर्ष:	
Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderm ^a (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

खंडों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली रोकी तो वनरक्षक से कर दी मारपीट

तीन लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

शिवपुरी. देहात थाना अंतर्गत एबी रोड पर बीते रोज वनरक्षक ने अपने साथियों के साथ खंडे से भरा एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोक लिया। जब फोरेस्ट टीम इस वाहन को ले जाने लगी तभी मौके पर तीन युवक आए और टीम के साथ मारपीट कर वाहन को छुड़ाकर ले गए। पुलिस ने तीन लोगों पर केस दर्ज कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक एक

सूचना पर फोरेस्ट टीम के वनरक्षक नकुल पुत्र महेश कुमार शर्मा निवासी नरेन्द्र नगर एबी रोड पर खंडों से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ने पहुंचे जो अवैध रूप से खंडों का परिवहन करके जा रही थी। जैसे ही वन टीम ने वाहन को पकड़ा तो मौके पर भूरा सरदार, खुद्दा सरदार व एक अन्य व्यक्ति निवासी बासखेड़ी आ गए तथा वन टीम के साथ मारपीट कर वाहन को छुड़ाकर ले गए। पुलिस ने वनरक्षक नकुल की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया है।

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

प्रति,

बीट गार्ड
अर्जुनगवां/पाटखेड़ा/खैरोना

विषय:- बीट पाटखेड़ा, खैरोना एवं अर्जुनगवां में अवैध उत्खनन, अतिक्रमण एवं अवैध कटाई के संबंध में।

संदर्भ:- वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र शिवपुरी का कार्यालयीन पत्र क्र./282 दिनांक/30.03.2019

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में परिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी द्वारा लेख किये जाने के अनुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि आपकी बीट में अवैध उत्खनन, अतिक्रमण एवं अवैध कटाई की सूचना मुखबिरों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को प्राप्त हो रही है। अतः आप अपने मुख्यालय पर निवासरत रहना सुनिश्चित करें एवं अपनी बीट की निरंतर सतत गश्ती कर वन अपराधों की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही कर वरिष्ठ को समय-समय पर अवगत करावें।


परिक्षेत्र सहायक
मोहनगढ़, परिक्षेत्र शिवपुरी

प्रतिलिपि:- वनपरिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र शिवपुरी की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।


परिक्षेत्र सहायक
मोहनगढ़, परिक्षेत्र शिवपुरी


बीट गार्ड पाटखेड़ा


बीट गार्ड खैरोना


बीट गार्ड अर्जुनगवां


वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

MJ
08/04/19

स्कार

र • खनियांधाना

dainikbhaskar.com

वन टीम से पत्थर से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली छुड़ा ले गया माफिया, तीन पर केस दर्ज

देहात थाना क्षेत्र में शारदा सॉल्वेंट के पास की घटना

भास्कर संवाददाता/शिवपुरी

शारदा सॉल्वेंट के पास रविवार को वन टीम ने जंगल में आ रहे पत्थर से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया लेकिन माफिया ने बीच रास्ते में गंक्र लिया और डग धमकाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली छुड़ा ले गए। देहात

थाना पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक फरियादी वन रक्षक नकुल शर्मा ने देहात थाने में रविवार की देर रात मुकदमा दर्ज कराया है। वन रक्षक का कहना है कि अन्य साथियों के साथ उसने पत्थर से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी थी जो जंगल से आ रही थी। ट्रॉली में बैठे मुलायम आदिवामी और काशी आदिवामी को हमने गाड़ी में बिठा लिया और

वन रक्षक कैलाश यादव ट्रैक्टर चलाकर लाने लगा। इसी बीच शारदा सॉल्वेंट के नजदीक रास्ते में बांसखेड़ी निवासों भूरा मरदार, बुद्धा मरदार सहित एक अन्य व्यक्ति आ गया। तीनों ने उन्हें रोक लिया और डरा धमकाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली छुड़ा ले गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कर मामला विवेचना में ले लिया है।

Deena


वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

फर्शी पत्थर से भरे ट्रक को गश्ती दल ने जब्त किया

भास्कर संवाददाता/शिवपुरी

मझेरा खदान की आड़ में सब रेंज शिवपुरी के जंगल से फर्शी पत्थर का अवैध उत्खनन चल रहा है। गश्ती दल ने एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक फर्शी पत्थर से आधा भरा हुआ था। ट्रक चालक मौके से भाग गया और आधा घंटे बाद लौटा तो हाथ में रॉयल्टी लेकर आया था। वन विभाग ने ट्रक जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

जिला वन मंडलाधिकारी लवित ने बताया कि गश्ती दल ने ट्रक क्रमांक एच38 एस5989 को जब्ती में लिया है। फर्शी पत्थर भरा होने और तत्काल रॉयल्टी नहीं मिलने पर मामले की जांच कराई जा रही है। वन भूमि में फर्शी पत्थर का अवैध उत्खनन होने पर ट्रक को जब्ती में लिया गया है। ट्रक आधा घंटे बाद



फर्शी पत्थर के साथ ट्रक जब्त

रॉयल्टी लेकर आया है, जिससे जाहिर हो रहा है कि मझेरा खदान की आड़ में जंगल से फर्शी पत्थर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि विभाग के ही कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से लिखित शिकायत की थी। उसके बाद अधिकारी हरकत में आए हैं।

4 अप्रैल की वृत्त शिवपुरी सड़क के व्यक्त व्यक्ति लग पा कर छा र धाकड़ से ला किसान जाने वे के लि झांकव मिली। बाद प को सू कुएं र कराया मामला

घपला • शहर की सड़कों की

खराब सड़कें

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी



Deene

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी



Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी



Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी



Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने की कार्रवाई

अवैध उत्खनन की फर्सी पत्थर से भरा ट्रैक्टर जब्त किया



शिवपुरी ■ राज न्यूज नेटवर्क


आज वन विभाग के दल द्वारा अवैध उत्खनन के संबंध में कार्रवाई करते हुए मय फर्सी पत्थर के एक ट्रक वन क्षेत्र के पास से जब्त किया जो कि वन क्षेत्र अर्जुनगवां, पाटखेड़ा एवं खेरोना बीट में अवैध उत्खनन कर अवैध फर्सी पत्थर लकर उसे लीज क्षेत्र मझेरा में डंप करके ट्रक में भरकर अवैध परिवहन किया जा रहा था। कुछ दिन पहले परिक्षेत्र सहायक मोहनगढ़ आशीष समाधिया एवं बीट गार्ड पाटखेड़ा नकुल शर्मा द्वारा लिखित में बरिष्ठ को इस बारे में सूचित किया था कि वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन किया जा कर अवैध परिवहन कर लीज क्षेत्र में लाकर ट्रक में भरकर उसकी अवैध रॉयल्टी कटवाई जा रही है जिस पर कार्रवाई किया जाना जरूरी है। मुखबिर की सूचना पर आज सुबह 6.00 बजे वन दल प्रभारी आशीष समाधिया डिप्टी रेंजर के नेतृत्व में नकुल शर्मा वनरक्षक, गिरीश नामदेव वनरक्षक, पुरपोतम शर्मा वनरक्षक एवं अन्य वनरक्षकों के साथ क्षेत्र में गश्त करने को निकला तब मझेरा के रास्ते वन क्षेत्र को जाने वाले रास्ते पर एक ट्रक अवैध रूप से वन क्षेत्र से लाए गए फर्सी पत्थर को भर रहा था मौके पर दल द्वारा उक्त ट्रक को जप्त कर कार्यवाही की गई। जिसे 7 बजे जब्त किया तो ट्रक मालिक द्वारा 7.30 बजे की अवैध रॉयल्टी कटवा ली।

अवैध रेत उत्खनन और ठेकेदारों से खनिज विभाग की तरह सांठगांठ

शिवपुरी। कोलारस राजस्व विभाग में प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर और निजी चहरे जो चीथ बसूली में लगे थे उन पर शिकंजा कसते हुए तहसीलदार मधुलिका तोमर ने उन्हें विभाग की इज्जत बनाये रखने के लिए चलता कर दिया है। अधिकारी वही होता है कि विभाग की हर गतिविधि पर उनकी नजर रहे जहां भी खामी हो उसे दुरुस्त करने का प्रयास हो। अपने विभाग की जिनसे बदनामी हो उस कारण को ही समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इस प्रकार की दृढ़ इच्छाशक्ति कुछ ही अधिकारियों में होती है कभी पुरुष अधिकारी भी वह काम नहीं कर सकता जो महिला अधिकारी करके दिखा देती है। अब बदरबास राजस्व विभाग की बात की जाए तो विगत कुछ दिनों से यहां जनता के काम की जगह जेबे भरने का क्रम जारी हो गया है। आचार संहिता को दृष्टि गत रखते हुए अधिकारी वर्ग का ग्राम ग्राम भ्रमण जारी है। एसडीएम आशीष तिवारी भी हर बूथ पर जाकर ग्रामीण इलाकों का दौरा करने में लगे हैं। जहां भी उन्हें इस दौरान अवैध उत्खनन करती मशीन दिखाई देती है उन पर कार्यवाही की जाती है हाल ही में फोरलेन पर एक जेसीबी पर भी उनके द्वारा कार्यवाही की गई और जब्त कर ली गई। लेकिन बदरबास राजस्व अमला अवैध उत्खनन कर्ताओं पर कार्यवाही करने की जगह उनसे एकांत के क्षेत्रों में लेन देन कर उनको संरक्षण देने में लगा है। हालात ये हैं कि बादरबास के आस पास के लगे ग्रामों से आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान भले ही न हो लेकिन गुना बॉर्डर पर चलने वाले अवैध उत्खनन तक पूरी पहुंच अमला रखता है और माइनिंग की तरह इनसे अपने लेन देन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। विभाग में कुर्शी पर बैठकर जो अधिकारी नवीन नामन्तरण में डेरों नुक्स निकालकर खुद को विभाग का वफादार साबित करते नहीं चूकते और छोटे से प्रकरणों में दुनिया भर कु तामील निकाला देते हैं ताकि जनता का काम उलझा रहे वहीं अवैध उत्खनन में लगे माफियाओं से उनका अनेतिक गठजोड़ काबिले तारीफ है। शासकीय अधिकारी जनता को सुविधा और व्यवस्था मुहैया कराने के लिए होते हैं किंतु धन की लालसा में वे अपने मूल कर्तव्यों को ही भूल जाते हैं ये बड़े खेद का विषय है।

Deena

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी



वन टीम पर हमला करने हुए जिले पर
 F.I.R. 0274 दिनांक 20.08.2020

Deena
 वन मण्डलाधिका
 सामान्य वन मण्डल शिद

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल शिवपुरी

- द्वारा:- उचित मार्ग
- विषय:- दैनिक भास्कर समाचार पत्र के शिवपुरी अंक में प्रकाशित समाचार के संबंध में एवं अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु उचित कदम उठाने बाबत।
- संदर्भ:- वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र शिवपुरी का कार्यालयीन पत्र क्र./283 दिनांक/30.03.2019 एवं बीटगार्ड पाटखेड़ा द्वारा परिक्षेत्राधिकारी परिक्षेत्र शिवपुरी को अवैध उत्खनन के संबंध में लिखा गया पत्र दिनांक 19.03.19 एवं मेरा पत्र दिनांक 13.03.19

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में बीटगार्ड पाटखेड़ा द्वारा विस्तृत में लेख कर निवेदन किया है कि सबरेंज मोहनगढ़ की बीट खैरोना एवं पाटखेड़ा में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भारी मात्रा में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। लेकिन उत्खननकर्ता संख्या बल में बहुत अधिक हैं और उनके पास अवैध हथियार हैं जिससे जब उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है तो वह लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं। साथ ही बीटगार्ड द्वारा यह भी बताया गया कि अवैध रूप से उत्खनित पत्थर फर्शी अवैध हथियारों के बल पर लीज क्षेत्र मझोरा में डम्प किया जाता है। जिसे बाद में रॉयल्टी काट कर फैक्ट्री ऐरिया बड़ोदी शिवपुरी में लाया जा रहा है। बीटगार्ड द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि अवैध उत्खनन रोकने हेतु अवैध रॉयल्टी वाले लीज के माल का उत्खनित क्षेत्र के फर्शी पत्थर के साथ भौतिक सत्यापन कराया जावे एवं अवैध रॉयल्टी पर रोकथाम लगाई जावे। बीटगार्ड द्वारा बताया गया की अपराधीगण कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं एवं सदैव लडाई पर उतारू रहते हैं।

3/1

मेरे स्वयं के पत्र दिनांक 13.03.19 के अनुसार भी दिनांक 06.03.19 को भ्रमण के दौरान भी ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी जिसमें मौके पर 25-30 लोग मौजूद थे एवं वन दल के पहुंचने पर तो वह इधर-उधर हो गये परंतु जब दल मौके से औजार जप्त कर उडनदस्ता वाहन में डाल कर निकला तभी अचानक वहाँ लोग आये और भारी पथराव करने लगे जिससे वाहन में पीछे बैठे बीटगार्ड खैरोना एवं मोहनगढ़ के चौकीदार बाल-बाल बचे। जैसे-तैसे दल बचता बचाता हुआ तत्समय निकल आया।

श्रीमान जी से निवेदन है कि इन परिस्थितियों को देखते हुये उपरोक्त कार्यवाही के साथ-साथ सशस्त्र बल (एस.ए.एफ.) को इन अति संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती के लिए बल दल के साथ संयुक्त रूप से भेजा जाये एवं वन दल को भी गश्ती पर जाते समय शासकीय शस्त्र (राईफल) इत्यादि उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि अवैध उत्खनन की रोकथाम की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्त संदर्भित पत्रों की छाया प्रति।


परिक्षेत्र सहायक
मोहनगढ़, परिक्षेत्र शिवपुरी

प्रतिलिपि:-

वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।


परिक्षेत्र सहायक
मोहनगढ़, परिक्षेत्र शिवपुरी


Deena
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

प्रति,

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र शिवपुरी

विषय:- ग्राम जागती तहसील व जिला शिवपुरी के निजी भूमि सर्वेनम्बर 5, 6 रकवा 3.480 हेक्टेयर क्षेत्र पर फर्शी पत्थर खनिज का उत्खनि पट्टा आवेदन के प्रकरण में जाँच प्रतिवेदन/अभिमत दिये जाने बाबत।

संदर्भ:- आपका कार्यालयीन पत्र क्र./227 दिनांक/11.03.19

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में ग्राम जागती के सर्वे नम्बर 5, 6 का मौका निरीक्षण किया गया जिसका मौका पंचनामा पत्र के संलग्न है। मौके पर पाया गया कि उक्त खसरों के नजदीकी बिंदू की दूरी वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 987 के नजदीकी बिंदू से 250 मीटरदूरी के अंदर हैं अर्थात् नियमानुसार वन क्षेत्र से 250 मी. दूरी से अधिक ना होने के कारण उक्त स्थान पर फर्शी पत्थर खनिज का उत्खनि पट्टा दिया जाना उचित नहीं है। साथ ही नजदीकी वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन की समस्या भी अधिक है एवं पट्टा स्वीकृत होने से अवैध उत्खनन पर नियंत्रण करना मुश्किल होगा। जाँच प्रतिवेदन/अभिमत अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जी की सेवा मेंसादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- मौका पंचनामा एवं मानचित्र



परिक्षेत्र सहायक
मोहनगढ़,
परिक्षेत्र शिवपुरी



वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र शिवपुरी

द्वारा:- उचित मार्ग

विषय:- अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु उचित कदम उठाने बाबत।

विषयांतर्गत निवेदन है कि सबरेंज मोहनगढ़ की बीट खैरोना में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भारी मात्रा में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। लेकिन उत्खननकर्ता संख्या बल में बहुत अधिक है और उनके पास अवैध हथियार हैं जिससे जब उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है तो वह लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं। साथ ही अवैध रूप से उत्खनित पत्थरफर्शी अवैध हथियारों के बल पर लीज क्षेत्र मझेरा में डमप किया जाता है। जिसे बाद में रॉयल्टी काट कर फैक्ट्री ऐरिया बड़ोदी शिवपुरी में लाया जा रहा है। यह भी निवेदन है कि अवैध उत्खनन रोकने हेतु अवैध रॉयल्टी वाले लीज के माल का उत्खनित क्षेत्र के फर्शीपत्थर के साथ भौतिक सत्यापन कराया जावे एवं अवैध रॉयल्टी पर रोकथाम लगाई जावे। अपराधीगण कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं एवं सदैव लड़ाई पर उतारू रहते हैं।

दिनांक 04.12.19 को भ्रमण के दौरान वन दल द्वारा कक्ष आर.एफ.53 से अवैध उत्खनन पर कार्यवाही करते हुए एक अपराधी अजब सिंह गुर्जर निवासी खैरोना को गिरफ्तार कर पी.ओ.आर. प्रकरण क्र. 618/15 दि. 04.12.19 कायम किया था एवं अपराधी को लाते समय रास्ते में कुछ लोगों द्वारा वनदल का रास्ता रोककर अवैध रूप से अपराधी को छोड़ा लिया। जिस संबंध में काफी मुश्किल के बाद पुलिस ने प्रकरण में एफ.आई.आर. क्र. 0087 दि. 12.12.2019 कायम की है। इसी प्रकार अवैध उत्खनन की कार्यवाही करते हुए ही अमोला सबरेंज के डिप्टी रेंजर को अपराधियों ने गंभीर रूप से अधमृत हालत में कर दिया जिन्हें मुश्किल से बचाया जा सका।

श्रीमानजी से निवेदन है कि इन परिस्थितियों को देखते हुये उपरोक्त कार्यवाही के साथ-साथ सशस्त्र बल (एस.ए.एफ.) को इन अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती के लिए बल दल के साथ संयुक्त रूप से भेजा जाये एवं वनदल को भी गश्ती पर जाते समय शासकीय शस्त्र (राईफल) इत्यादि उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि अवैध उत्खनन की रोकथाम की जा सके।

Handwritten notes in the bottom left corner, including the date 21/12/19.

Handwritten signature and date 21/12/19.

Handwritten signature.

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

प्रति,
श्रीमान उपवनमण्डलाधिकारी महोदय,
उपवनमण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

द्वारा : वन परिष्काराधिकारी महोदय शिवपुरी।


विषय :- वनपरिक्षेत्र मोहनगढ़ अंतर्गत मोरई जंगल क्षेत्र में एशियारो के क
ष हो रहे अवैध उल्बकन की सूचना प्राप्त।

महोदय,
उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे द्वारा किंगड
01/05/2019 को वन दल के साथ जंगल उल्लंघन किया जा रहा था। गवर्न
दोशन बीट रेवेरीना के प्राय प्रायक RF-53 में पूर्व से अव्यक्त वृक्ष
गड्डे पर पहुँचे वहाँ वन भाफियाओ द्वारा उल्बकन किया जा रहा था
वन दल जैसे ही उनके पास पहुँचा तो उनके द्वारा पिस्तूल, कट्टा और
लाठी लुहोड़ी लेकर आ गए और वन दल से बेल्ला की धमके पास आ
या पकड़ने का प्रयास किया तो गोली चार दंगे। इस पूरी घटना की वन
दल द्वारा वीडियो वीकॉडिंग की गई एवं मोबाइल से फोटो भी लिये ग
जिसमें वन भाफियाओ के पास अवैध एशियारो का होना है। इस वास्त
थाना सुखाया में आवेदन भी दिया गया है जिसमें अपराधियों के
विरुद्ध प्रवर्णन कार्य हो सके। श्रीमान जी से निवेदन है कि वन दल
S.A.F गार्ड उपलब्ध करवाए जाए और शासकीय राइफले प्रदान क
जाए जिससे वन दल आत्म सुरक्षा कर सके और अवैध उल्बक
को रोक जा सके। श्रीमान जी से आगे निवेदन यह है कि वन वन
भाफियाओ द्वारा वन दल के प्रति कभी भी कोई भी गम्भीर घटना ध
की जा सकती है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अतः अपराधियों
के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

अंलग्न :- थाना सुखाया में लिये आवेदन
की दृष्टा प्रति।

आपके लिए
04/05/2019

KS
Khatika Shukla
व. स. शिवपुरी
आशु वन क्षेत्रपाल


आशीष कुमार
वन परिक्षेत्र शिवपुरी


वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी

श्रीमान्

श्रीमान् शाना प्रभारी महेन्द्र
शाना - सरलाया तिला - शिवपुरी (म.प्र.)

विषय :- जंगल क्षेत्र में हो रहे बंधन उखतन की जे
बातन सहायता विषयक ।

महोदय

आपके विषयगत निवेदन है कि शाना जंगल
अंशाल मोड जंगल क्षेत्र में वीट खेती एवं फसल
उत्पादन हेतु बंधन उखतन किया जा रहा
है। जिले के जंगल विभाग द्वारा अपने कार्यों
के अंग में 1 मई 2010 के वीट खेती के 50 हे. R.F.
में वन हटाने उखतन के अर्थ में लिए गए
वै. शु. निवासी आदिवासी वन निवासी राजेश गुर्जर जी
द्वारा पिछले से वन हटाने के अर्थ में
किसी तरह की भी बातें आगे नहीं बढ़ाई
जायेंगी। शाना 5/0 शाना गुर्जर निवासी द्वारा सुझाया गया कि
जंगल क्षेत्र एवं जंगल 6-7 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में वन
हटाने एवं लकड़ लिए, उखतन अथवा अन्य भी पूर्ण भी
नहीं होना चाहिए लकड़ लिए वीट खेती के अर्थ में
लेना चाहिए। श्रीमान् जो से निवेदन है कि वन
हटाने के अर्थ में वन हटाने के अर्थ में वन हटाने के
अर्थ में वन हटाने के अर्थ में वन हटाने के अर्थ में
निवेदन है कि वन हटाने के अर्थ में वन हटाने के अर्थ में
निवेदन है कि वन हटाने के अर्थ में वन हटाने के अर्थ में

मौ. नं.
2399335663

शाना
राजेश अवतार शर्मा
वन रक्षक
वीट खेती

105/19

Deena
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल शिवपुरी



शिवपुरी भास्कर 01-07-2021

अवैध उत्खनन • खैरोना बीट में फर्शी पत्थर के अवैध उत्खनन के मामले में वन विभाग की खानापूर्ति सूचना लीक होने से वन अमले को नहीं मिला पत्थर माफिया

भास्कर संवाददाता | शिवपुरी

जिला मुख्यालय से 15 किमी दूर खैरोना बीट में फर्शी पत्थर के अवैध उत्खनन के मामले में वन विभाग फिर खानापूर्ति करता दिख रहा है। रेंजर ने स्टाफ के साथ बुधवार को मोरई और अर्जुनगवां के जंगल में दबिशा दी। लेकिन सूचना लीक हो जाने से माफिया पहले ही सामान लेकर गायब हो गया। कार्रवाई के नाम पर वन विभाग का अमला खदानों में लाल निशान लगाकर लौट आया। खैरोना बीट में संरक्षित वन उजाड़ रहा माफिया वन विभाग

की गिरफ्त से बाहर हो गया है। इसके पीछे विभाग के ही कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। वहीं कार्रवाई के नाम पर रेंजर भुवनेश योगी की तरफ से सब रेंजर शिवपुरी व मोहनगढ़ के डिप्टी रेंजर आशीष समाधिया और खैरोना बीट प्रभारी कुनाल शर्मा को नोटिस जारी कर दिए हैं। संरक्षित वन में अवैध उत्खनन और दूसरी बीटों से होकर शिवपुरी आ रहे पत्थर को लेकर अन्य किसी के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई नहीं होने से मामला फिर से ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है।



पत्थरों पर लाल निशान लगाकर लौटता वन अमला।

नोटिस जारी कर दिए हैं

■ सब रेंज के डिप्टी रेंजर और खैरोना बीट प्रभारी को नोटिस जारी कर दिए हैं। उत्खनन के ताजा निशान मिले हैं। आगे उत्खनन ना हो, इसके लिए लाल निशान लगा दिए हैं। भुवनेश योगी, रेंजर, वन परिक्षेत्र शिवपुरी संबंधित बीट का हम घनत्व निकलवाएंगे

■ संबंधित बीट में हम घनत्व निकलवाएंगे, ताकि पता चल सके कि कितना अंतर आया है। मामले में कार्रवाई चल रही है।

सीके पाटिल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग भोपाल

सांसें छीन रहा माफिया • बरसात में भी उत्खनन करने ऊपरी सतह पर ट्रैक्टर चलाकर प्लॉट कच्चाए, फिर पेड़ काटने की तैयारी माफिया ने वन भूमि से 2 हजार पेड़ दूंट समेत उखाड़ दिए इतने पेड़ों से 1000 लोगों को सालभर ऑक्सीजन मिलती

भास्कर संवाददाता/शिवपुरी

वन वृत्त मुख्यालय की शिवपुरी रेंज में अवैध फर्शी पत्थर उत्खनन के लिए माफिया ने आरक्षित वन की जमीन से दो साल में दो हजार से अधिक पेड़ न केवल काट दिए बल्कि दूंट समेत उखाड़ दिए हैं। दो साल में जितने पेड़ काटे हैं, उनसे सालभर की ऑक्सीजन के रूप में मिलने वाली एक हजार लोगों की सांसें भी माफिया ने छीन लीं। औसतन दो पेड़ एक व्यक्ति के लिहाज से पूरे साल ऑक्सीजन देते हैं। माफिया ने आरक्षित वन (रिजर्व फॉरेस्ट) में जितनी हरियाली उजाड़ी है, उसकी भरपाई मुश्किल है।

वन वृत्त मुख्यालय से महज 15 से 20 किमी की दूरी पर मौजूद शिवपुरी रेंज की सब रेंज मोहनगढ़ और सब रेंज शिवपुरी की बीटों में चल रहे अवैध उत्खनन को महकमा रोकने में नाकाम है। माफिया इतना हावी हो चुका है कि बरसात में पुराने गड्ढों में पानी भरने से पहले ही उथली जगह पर ट्रैक्टरों से प्लांक चलाकर प्लांटिंग कर ली। बरसात में भी अवैध उत्खनन कर फर्शी पत्थर निकालने के लिए अपने-अपने प्लॉट तक चिन्हित कर लिए हैं। गड्ढों की सफाई के लिए अब फिर से पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है।

वन वृत्त मुख्यालय पर ही 15 किमी दूरी की मोहनगढ़ और शिवपुरी की बीट में अवैध फर्शी पत्थर उत्खनन



खैरोना बीट में फर्शी पत्थर के अवैध उत्खनन के लिए प्लांटिंग की गई।

हर महीने 4.50 करोड़ से अधिक का अवैध कारोबार
अवैध फर्शी पत्थर उत्खनन का मासिक कारोबार 4.50 करोड़ से अधिक है। सूत्रों के अनुसार एक टॉली फर्शी पत्थर 20 से 30 हजार रुपए में फैक्ट्रियों पर बिक रहा है। मोहनगढ़ सब रेंज से ज्यादा पत्थर निकल रहा है, जिसका शिवपुरी सब रेंज की बीटों से परिवहन हो रहा है। ऐसे में रोकने वालों की ही भूमिका संदिग्ध है।

हर काम अवैध... जेसीबी से की गड्ढों की सफाई, डायनामाइट से ब्लास्टिंग भी कर रहे

गड्ढों की सफाई कराने के लिए दो माह पहले चार-पांच जेसीबी उतार दी थी। डायनामाइट से ब्लास्टिंग करके उत्खनन किया जा रहा है। मोरई मंदिर से पूर्व दिशा में ठीक 2 किमी की दूरी पर 250 मीटर का बड़ा गड्ढा है। मंदिर के पीछे अनगिनत गड्ढे हैं। अब प्लांटिंग के बाद सैकड़ों गड्ढे फिर से हो जाएंगे। **रिजर्व फॉरेस्ट के कंपार्टमेंट नंबर, जहां अवैध उत्खनन हो रहा:**



खैरोना बीट में फर्शी पत्थर का अवैध उत्खनन के हालात।

खैरोना बीट के आरएफ (रिजर्व फॉरेस्ट)-53, आरएफ-64, आरएफ-54 में अवैध उत्खनन चल रहा है। इसके अलावा मोहनगढ़ सब रेंज की ही पाटखेड़ा बीट में उत्खनन चल रहा है। शिवपुरी सब रेंज की विर्धा बीट के पहाड़ पर भी पत्थर निकल रहा है। फर्शी पत्थर से भरे ट्रैक्टर मझेरा बीट से होकर फोरलेन पर सूजवाछ कट से बड़ागांव होते हुए बड़ौदा स्थित पत्थर फैक्ट्रियों पर पहुंचते हैं।

यह हैं जिम्मेदार... अवैध उत्खनन रोकने की जिम्मेदारी सरकार के इन नुमाइंदों की

रेंजर भुवनेश योगी: इन पर शिवपुरी वन परिक्षेत्र की जिम्मेदारी है। रेंजर योगी का कहना है कि लगातार नहीं जा पाते, फिर भी समय-समय पर जाकर कार्रवाई करते हैं।

डिप्टी रेंजर आशीष समाधिया: इन पर शिवपुरी सब रेंज का प्रभार है। डिप्टी रेंजर अशोक गहलोत ग्वालियर चले गए। अब मोहनगढ़ सब रेंज का चार्ज समाधिया पर है। समाधिया का कहना है कि वे कुछ नहीं कह सकते। स्टेटमेंट एसडीओ श्रीवास्तव देंगे।

बीट प्रभारी: आशीष भागवत मझेरा बीट, नकुल शर्मा पाटखेड़ा बीट, गिरीश नामदेव विर्धा बीट, कुनाल शर्मा खैरोना बीट प्रभारी है। सारा अवैध पत्थर आशीष भागवत की बीट से होकर निकल रहा है।

बीट में क्या हालात हैं, खुद जाकर देखेंगी

खैरोना बीट सहित अन्य जगह कहीं-कहीं उत्खनन चल रहा है, इसकी जांच करा लेंगे। आखिर बीट में क्या हालात हैं, इसे मैं खुद जाकर देखूंगी।

मीना कुमारी मिश्रा, डीएफओ, गिला वन मंडल शिवपुरी

हम मामले की गंभीरता से जांच कराएंगे

रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध उत्खनन किसी तरह नहीं होना चाहिए। हम इस मामले की गंभीरता से जांच कराएंगे। जो भी जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई करेंगे। **सीक: पाटिल,** एसोमीएफ, प्रोटेक्शन भोपाल

शिवपुरी भास्कर

पोहरी • करैरा • पिछोर • कोलारस • नरवर • खनियांधाना

ग्वालियर, मंगलवार, 29 जून, 2021

आषाढ कृष्ण पक्ष-5, 2078

सांसें छीन रहा माफिया • बरसात में भी उत्खनन करने ऊपरी सतह पर ट्रैक्टर चलाकर प्लॉट कब्जाए, फिर पेड़ काटने की तैयारी
माफिया ने वन भूमि से 2 हजार पेड़ टूट समेत उखाड़ दिए
इतने पेड़ों से 1000 लोगों को सालभर ऑक्सीजन मिलती

भास्कर संवाददाता/शिवपुरी

वन वृत मुख्यालय पर ही 15 किमी दूरी की मोहनगढ़ और शिवपुरी की बीट में अवैध फर्शी पत्थर उत्खनन



खैरोना बीट में फर्शी पत्थर के अवैध उत्खनन के लिए प्लांटिंग की गई।

हर महीने 4.50 करोड़ से अधिक का अवैध कारोबार
अवैध फर्शी पत्थर उत्खनन का मासिक कारोबार 4.50 करोड़ से अधिक है। सूत्रों के अनुसार एक टॉली फर्शी पत्थर 20 से 30 हजार रुपए में फेक्ट्रियों पर बिक रहा है। मोहनगढ़ सब रेंज से ज्यादा पत्थर निकल रहा है, जिसका शिवपुरी सब रेंज की बीटों से परिवहन हो रहा है। ऐसे में रोकने वालों की हो भूमिका संदिग्ध है।

हर काम अवैध... जेसीबी से की गड़दों की सफाई, डायनामाइट से ब्लास्टिंग भी कर रहे

गड़दों की सफाई कराने के लिए दो माह पहले चार-पांच जेसीबी उतर दी थी। डायनामाइट से ब्लास्टिंग करके

उत्खनन किया जा रहा है। मोरई मंदिर से पूर्व दिशा में ठीक 2 किमी की दूरी पर 250 मीटर का बड़ा गड़दा है। मंदिर के पीछे अनगिनत गड़दे हैं। अब प्लांटिंग के बाद सैकड़ों गड़दे फिर से हो जाएंगे। रिजर्व फॉरेस्ट के कंपार्टमेंट नंबर, जहां अवैध उत्खनन हो रहा: खैरोना बीट के आरएफ (रिजर्व फॉरेस्ट)-53, आरएफ-64, आरएफ-54 में

अवैध उत्खनन चल रहा है। इसके अलावा मोहनगढ़ सब रेंज की ही पाटखेड़ा बीट में उत्खनन चल रहा है। शिवपुरी सब रेंज की विधा बीट के पहाड़ पर भी पत्थर निकल रहा है। फर्शी पत्थर से भरै ट्रैक्टर मझेरा बीट से होकर फोरलेन पर सुजवाहा कट से बड़ागांव होते हुए बड़ीदो स्थित पत्थर फेक्ट्रियों पर पहुंचते हैं।



खैरोना बीट में फर्शी पत्थर का अवैध उत्खनन के हालात।

यह हैं जिम्मेदार... अवैध उत्खनन रोकने की जिम्मेदारी सरकार के इन नुमाइंदों की

रेंजर भुवनेश योगी: इन पर शिवपुरी वन परिक्षेत्र की जिम्मेदारी है। रेंजर योगी का कहना है कि लगातार नहीं जा पाते, फिर भी समय-समय पर जाकर कार्रवाई करते हैं।

डिप्टी रेंजर आशीष समाधिया: इन पर शिवपुरी सब रेंज का प्रभार है। डिप्टी रेंजर अशोक गहलोत ग्वालियर चले गए। अब मोहनगढ़ सब रेंज का चार्ज समाधिया पर है। समाधिया का कहना है कि वे कुछ नहीं कह सकते। स्टेटमेंट एसडीओ श्रीवास्तव देंगे।

बीट प्रभारी: आशीष भागवत मझेरा बीट, नकुल शर्मा पाटखेड़ा बीट, गिरीश नामदेव विधा बीट, कुनाल शर्मा खैरोना बीट प्रभारी है। सारा अवैध पत्थर आशीष भागवत की बीट से होकर निकल रहा है।

बीट में क्या हालात हैं, खुद जाकर देखूंगी

खैरोना बीट सहित अन्य जगह कहां-कहां उत्खनन चल रहा है, इसकी जांच करा लेंगे। आखिर बीट में क्या हालात हैं, इसे मैं खुद जाकर देखूंगी।

मीना कुमारी मिश्रा, डीएफओ, जिला वन मंडल शिवपुरी

हम मामले की गंभीरता से जांच कराएंगे

रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध उत्खनन किसी तरह नहीं होना चाहिए। हम इस मामले की गंभीरता से जांच कराएंगे। जो भी जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई करेंगे। सीके पाटिल, एसीसीएफ, प्रोटेक्शन ऑफिस